सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2009-2010

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2009-2010

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	उत्तराखण्ड में सूचना अधिकार आंकड़ों में	3
3	**अध्याय : 1** उत्तराखण्ड सूचना आयोग	7
4	**अध्याय : 2** आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	13
5	**अध्याय : 3** आयोग द्वारा वर्ष 2009 – 10 में पारित किये गये महत्वपूर्ण निर्णय	17
6	**अध्याय : 4** सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	57
7	**अध्याय : 5** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	73
8	**अध्याय : 6** आयोग के अंगीकृत संकल्प	81
9	**अध्याय : 7** आयोग की संस्तुतियां	89
10	**अध्याय : 8** वर्ष 2009 – 10 में आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां तथा अंकित आदेशों का सार	93
11	**अध्याय : 9** आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही	105
12	**अध्याय : 10** सूचना का अधिकार सप्ताह	119
13	**अध्याय : 11** वर्ष 2009 – 10 में आयोग को प्राप्त बजट एवं सम्प्रेक्षण कार्य	129

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा यह पंचम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है.

इससे पूर्व उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने प्रथम (2005–06), द्वितीय (वर्ष 2006–07), तृतीय (वर्ष 2007–08) तथा चतुर्थ (वर्ष 2008 – 09) वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किये गये जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

यह वार्षिक प्रतिवेदन मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) में वर्णित लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को नियमानुसार क्रियान्वित करने की स्थिति पर केंद्रित है. इसके साथ – साथ विभिन्न विवरणियों का श्रेणीबद्ध विश्लेषण, जैसे लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त अपीलें; आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अंतर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से संबंधित विवरण भी इस प्रतिवेदन में उपलब्ध कराये गये हैं.

इस वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सूचना आयोग से संबंधित गतिविधियों तथा प्राप्त बजट एवं व्यय का विवरण भी दिया गया है. इस वर्ष आयोग द्वारा अपनी वैबसाईट के माध्यम से ऑन लाईन द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों को प्रेषित करने की सुविधा भी जनसामान्य को समर्पित की गयी जिसका उपयोग नागरिकों द्वारा अपनी आवश्यकता तथा सुविधा के अनुरूप अपनी द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों को आयोग को प्रेषित करने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य तथा लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के उपयोगार्थ एक एस.एम.एस. सेवा भी प्रारंभ की गयी जिसके माध्यम से आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सकती है.

सूचना का अधिकार अधिनियम के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोग द्वारा दिनांक 6 से 12 अक्टूबर, 2009 की अवधि में ''सूचना का अधिकार सप्ताह'' का आयोजन भी प्रदेश में किया गया जिसके अंतर्गत अल्मोड़ा तथा देहरादून में आयोग द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ मिल कर कार्यशालायें आयोजित की गयीं. आयोग द्वारा बाह्य मूल्यांकन में श्रेष्ठतम 6 लोक प्राधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भी प्रदान किये गये. अधिनियम से संबंधित समाचार प्रकाशित कर व्यापक जागरूकता फैलाने में दिये गये योगदान के लिए मीडिया को; तथा अधिनियम का प्रयोग जन उपयोगी / सार्वजनिक हित में करने की पृष्ठभूमि में सामान्य नागरिकों को भी आयोग द्वारा इस अवसर पर सम्मानित किया गया.

अपने पूर्व चारों वार्षिक प्रतिवेदनों में आयोग द्वारा राज्य सरकार एवं लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्यवाही किये जाने हेतु कई संस्तुतियां की गयी थी. इन संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर पर की गयी कार्यवाही *(ATR)* से आयोग को अवगत कराने के लिए शासन से अनुरोध किया गया था. परंतु शासन स्तर से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण आयोग की संस्तुतियों पर शासन स्तर से की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी है.

वर्ष 2009 – 10 में आयोग को कुल 1177 द्वितीय अपीलें तथा 743 शिकायतें प्राप्त हुयीं जिसमें से क्रमशः 997 अपीलों तथा 719 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया. विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आयोग में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों में कुछ वृद्धि दर्ज की गयी है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों से अधिनियम का उपयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार – प्रसार के लिए राज्य सरकार को यथोचित कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे राज्य की अधिक से अधिक ग्रामीण जनसंख्या इस अधिनियम का उपयोग लोकहित में कर सकें. आयोग द्वारा स्वयं भी समय – समय पर अधिनियम के विषय में लोक प्राधिकारियों एवं जनसामान्य के उपयोग के लिए प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशित की जा रही है जिसका वितरण विभिन्न कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों में आयोग स्तर से किया जाता है.

इस पंचम प्रतिवेदन में भी आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्तुतियां की गयी हैं. मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में अंतर्निहित संस्तुतियों को परीक्षणोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के पटल में इन पर अपनी कृत कार्यवाहियों के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी, जन संपर्क अधिकारी, द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड में सूचना अधिकार आंकड़ों में

1	कुल लोक प्राधिकारी इकाईयां	212
2	कुल सहायक लोक सूचना अधिकारी	642
3	कुल लोक सूचना अधिकारी	9421
4	कुल प्रथम अपीलीय अधिकारी	1092

(स्रोतः लोक सूचना अधिकारियों की निर्देशिका, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, वर्ष 2007–08)

वर्ष 2009 – 10

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या				27,311*
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				22,203*
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				2,740*
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या				2,715*
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये				
	विद्यालयी शिक्षा	गृह	आवास	वित्त	राजस्व
	3861*	3278*	1705*	1695*	1552*
6	**आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील**				
	कुल प्राप्त द्वितीय अपील		कुल निस्तारण (विगत वर्ष की अवशेष अपीलों सहित)		
	1177		997		
7	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत				
	कुल प्राप्त शिकायत		कुल निस्तारण (विगत वर्ष की अवशेष शिकायतों सहित)		
	743		719		
8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की संख्या				74
9	आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की धनराशि (रु.)				7,59,081
10	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				16

**प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर*

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी.

राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया.

इस प्रकार वर्ष 2009 – 10 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त डा० आर०एस० टोलिया के द्वारा (अप्रैल – दिसम्बर, 2009) तथा मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल द्वारा (जनवरी – मार्च 2010) की गयी.

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विरोधी दल के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.

- अधिनियम की धारा 15 (5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये. उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नही होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी.

- राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को संबोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।

- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगें तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगें. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.

- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय वर्तमान में सैक्टर 1, सी 30, डिफैंस कालोनी, देहरादून से संचालित हो रहा है.

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में सूचना आयोग किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के संबंध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना

- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना

- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना

- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना

- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चिय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के संबंध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.

- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.

- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.

- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।

- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.

- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.

- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

शास्ति

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए किये गये अनुरोध को इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी । या सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परंतु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यत : –

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है।

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को सूचना आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।

- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।

❖ ❖ ❖

आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

अध्याय : 2

आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 में प्रदत्त प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर शासन के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है. प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग द्वारा राज्य सरकार को कतिपय संस्तुतियां की जाती हैं जिनके माध्यम से इस अधिनियम की क्रियान्वयनता को सुदृढ़ करने में सहयोग प्राप्त हो सके । अधिनियम के संबंध में राज्य वासियों के मध्य एक प्रभावी रूप रेखा निरूपित किये जाने के उद्देश्य से इन संस्तुतियों को क्रियान्वित किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने पूर्व के वार्षिक प्रतिवेदनों में राज्य सरकार को की गयी संस्तुतियों की संख्या निम्नवत् है :

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या
2005 – 06	03
2006 – 07	20
2007 – 08	08
2008 – 09	09

उपरोक्त वर्षों में की गई समस्त संसुतियों के अनुपालन की आख्या आयोग को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नही करायी गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के सफल एवं सुगम क्रियान्वयन के लिए आयोग द्वारा वर्ष 2008 – 09 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी 9 संस्तुतियां निम्नलिखित थीं :

संस्तुति : 1

आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रेषित संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से परीक्षण करा कर संबंधित लोक प्राधिकारी के स्तर से आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन रिपोर्ट वार्षिक रूप से आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत सचिवालय स्तर के लोक प्राधिकारियों / विभागों द्वारा अधिनियम से संबंधित रिपोर्टिंग निरंतर की जाये ताकि उसका समावेश आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में किया जा सके.

संस्तुति : 3

आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों तथा महिलाओं के

स्तर से सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिक प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन क्षेत्रों / समूहों द्वारा अधिनियम के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों / समूहों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार कर उस पर कार्य किया जाये.

संस्तुति : 4

सरकारी सेवा में आने वाले नये प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण काल में ही सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना का अधिकार अधिनियम को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाय.

संस्तुति : 5

राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को समय – समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था की जाये.

संस्तुति : 6

लोक प्राधिकारियों के स्तर से अपने कार्यकलापों के स्व–प्रकटन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इस हेतु शासन स्तर से उन समस्त कार्य–कलापों को चिन्हित कर निर्देश दिए जाये जिनको अनिवार्य रूप से स्व–प्रकटन से आच्छादित किया जाना है.

संस्तुति : 7

गरीबी की रेखा के नीचे के अनुरोधकर्ताओं के द्वारा अपने से संबंधित के अतिरिक्त किसी अन्य की सूचना मांगे जाने पर अतिरिकत शुल्क की देयता पर नियमावली में समुचित व्यवस्था की जाये.

संस्तुति : 8

शासन स्तर से समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर से अपीलों का सामयिक निस्तारण करने एवं देय सूचना अपील के निस्तारण के समय उनके स्तर से दिए जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जायें.

संस्तुति : 9

लोक प्राधिकारियों के स्तर से अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार के कार्य के सम्पादन की सामयिक समीक्षा की कवायत की जानी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित कराया जाये कि लोक प्राधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारी लोक सूचना अधिकारी को सक्रिय सहयोग प्रदान करें.

उपरोक्त संस्तुतियां पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अभी अपेक्षित है।

❖ ❖ ❖

आयोग द्वारा
वर्ष 2009 – 10 में पारित
महत्वपूर्ण निर्णय

अध्याय : 3

आयोग द्वारा वर्ष 2009 – 10 में पारित महत्वपूर्ण निर्णय

03 अक्टूबर, 2005 को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के गठन की अधिसूचना तथा 18 अक्टूबर, 2005 से मुख्य सूचना आयुक्त के पदभार ग्रहण करने के उपरांत आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया. आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नौटियाल ने 17 दिसम्बर, 2009 को कार्यभार ग्रहण किया । इस प्रकार से आयोग अपने प्रारंभिक 4 वर्षों में एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्यरत रहा और 17 दिसम्बर, 2009 को श्री विनोद नौटियाल के द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत वह एक बहुसदस्यीय आयोग बन गया.

श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त ने आयोग में कार्यभार ग्रहण करते ही आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वयं अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत ऐसे महत्वपूर्ण आदेशों का सारांश भी संकलित किया जो उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण पाया.

वर्ष 2009 – 10 में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत आयोग द्वारा कुल 997 द्वितीय अपीलों पर अंतिम आदेश पारित किये गये. इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग द्वारा कुल 719 शिकायतों पर अंतिम आदेश पारित किये गये.

उपरोक्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में पारित अंतिम आदेशों के संकलन में से वर्ष 2009 – 10 के महत्वपूर्ण आदेशों का सार इस अध्याय में दिया जा रहा है।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–1047/2008 श्री ललिता प्रसाद बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून व अन्य

समक्ष : डॉ0 आर0एस0 टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक : 21/01/2009

उपरोक्त प्रकरण में लोक प्राधिकारी/नगर निगम द्वारा प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित पत्रावली के कार्यालय से खो जाने के संबंध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी जिससे यह अतः प्रमाणित है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की पत्रावली उपलब्ध होते हुए भी उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इस प्रकार से उनके द्वारा देय सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के कारण किया गया है। कार्यालयों में पत्रावली के उपलब्ध होने और उसके खोने पर उसका उत्तरदायित्व निर्धारण करना लोक प्राधिकारी का अंदरूनी मामला है इससे अपीलकर्ता / प्रार्थी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होता. पत्रावली खोना सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के समतुल्य है। खोने की *FIR* करना लोक प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न देय सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उनके विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन की दर से तब तक आर्थिक दण्ड आरोपित कर दिया जाये जब तक उक्त दण्ड राशि 25,000 रू0 से अनधिक न हो जाये? इसके अतिरिक्त उनपर लागू विभागीय सेवा नियमावली के अंतर्गत उनके नियंत्रक अधिकारी से क्यों न उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति कर दी जाये ? अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 80 हजार रू0 की क्षति आंकलित की है, इसके अतिरिक्त 4 जो वर्षों से जो क्षति 80 हजार रू0 क्लेम की गयी है उसके सापेक्ष 10 हजार रू0 की अतिरिक्त क्षति का निर्धारण करते हुए कुल 90 हजार रू0 की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता/प्रार्थी को लोक प्राधिकारी/नगर निगम, देहरादून द्वारा की जाये ?

चूंकि स्वयं लोक सूचना अधिकारी के अनुसार लागू शासनादेश के अनुसार वर्ष 1999 के बाद खोखा लगाने की अनुमति नहीं थी। उसके पश्चात भी अपीलकर्ता/प्रार्थी को खोखा लगाने की अनुमति लोक प्राधिकारी द्वारा देने के कारण उसके खोखा को *CPWD* द्वारा हटाने से उसे 80 हजार रू0 की क्षति हुई है. इस प्रकार से अनुमन्य सूचना उपलब्ध न कराने पर अपीलकर्ता/प्रार्थी को 80 हजार रू0 के अतिरिक्त 10 हजार रू0 हर्जाने के रूप में कुल 90 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति क्यों न नगर निगम से करायी जाये इसका स्पष्टीकरण मुख्य नगर अधिकारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जाना था।

उपरोक्त स्पष्टीकरण नोटिस के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 16/01/2009 को थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है. आयोग की दृष्टि में एफआईआर कराने की प्रक्रिया को सूचना उपलब्ध कराने के समतुल्य नहीं माना जा सकता है। इसका एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिलेखों का रख–रखाव लोक प्राधिकारी स्तर पर उचित प्रकार से नहीं है. मात्र एफआई आर दर्ज कराना सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुमन्य सूचना को उपलब्ध कराने के समतुल्य नहीं माना जा सकता। लोक प्राधिकारी स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना एक कुप्रशासन का ही प्रमाण है। यद्यपि एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात लोक सूचना अधिकारी पर कार्यवाही नहीं की जा रही है लेकिन लोक प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलकर्ता / प्रार्थी को हर्जाने के रूप में 50000 हजार रूपये इस आदेश के निर्गत होने के 1 माह अंदर उपलब्ध करायेंगे जिसमें 30000 तीस हजार रूपये के हर्जाने की गणना अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को लिखे पत्र के आधार पर तथा आयोग द्वारा 20000 बीस हजार रूपये अनुमन्य सूचना न मिलने व सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत विभिन्न चरणों में किये गये व्यय के रूप में अपीलकर्ता / प्रार्थी को देय मानते हुए दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस हर्जाने को लोक प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के निर्गत होने के 1 माह अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराते हुए इसका प्रमाण आयोग को भी प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त क्षतिपूर्ति का प्राविधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने के प्राविधानांतर्गत किया गया है। उपरोक्त क्षतिपूर्ति के प्रकाश में लोक प्राधिकारी को जारी कारण बताओ नोटिस को उनके द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर के कम में पर्याप्त रूप में निष्पादित मानते हुए वापिस लिया गया। लोक प्राधिकारियों के स्तर पर जहॉ कहीं भी अभिलेख / सूचना के उपलब्ध/ अस्तित्व में होने के प्रमाण के उपरांत भी अभिलेख/ सूचना इस आधार पर उपलब्ध नहीं करायी जाती क्योंकि उक्त अभिलेख तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, या खो गया है, ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारियों से यह अपेक्षित होता है कि वह सक्षम स्तर से उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार सार्वजनिक अभिलेखों के खोने के संबंध में स्पष्ट एफआईआर दर्ज करायेंगे। निर्धारित समयावधि में की गयी ऐसी एफआईआर का आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए लोक प्राधिकारी के ऊपर क्षतिपूर्ति लगाने पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

अपील संख्या अ–1175/2008 डॉ0 जयदीप दत्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं अन्य

समक्ष : डॉ0 आर0एस0 टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 16/03/2009

संक्षेप में 6/13 सितम्बर, 2008 को मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान को 3 बिन्दुओं के संबंध में मांगी गयी सूचना का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी / मुख्य सामान्य प्रबन्धक को 18/09/2008 को प्राप्त हुआ और इस प्रकार से जहॉ तक लोक प्राधिकारी के रूप में उत्तराखण्ड जल संस्थान का प्रश्न है अनुमन्य सूचना 17/10/2008 तक देय हो गयी। जिसका उल्लेख लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्रांक 2947 दिनांक 23/09/2008 में भी किया गया है जिसके माध्यम से मूल प्रार्थना पत्र को लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को नियमानुसार अधिनियम की धारा 6(3) अंतर्गत अंतरित कर दिया गया और अपीलकर्ता / प्रार्थी को अवगत कराया गया कि प्रार्थित सूचना को लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक 3272 दिनांक 17/10/2008 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि केवल देहरादून नगर से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (नगर) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और शेष राज्य की सूचना एकत्रित की जा रही है जिसमें समय लगने की संभावना है। इस प्रकार अनुमन्य तिथि 17/10/2008 तक अपीलकर्ता / प्रार्थी को अनुमन्य सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी और मूल प्रार्थना पत्र को केवल दूसरे लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (नगर) को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित कर दिया गया. इससे पूर्व पत्रांक 1339 दिनांक 06/10/2008 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा मूल प्रार्थना पत्र को पुनः लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर / दक्षिण / पित्थूवाला, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को प्रार्थना पत्र की छायाप्रति के साथ प्रेषित किया गया और उसके साथ अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा प्रेषित शुल्क की राशि को भी दक्षिण शाखा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि वे शुल्क के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 06/10/2008 की कार्यवाही भी निर्धारित 30 दिन की अवधि के अंतर्गत ही की गयी और जिस प्रकार से अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पत्रांक 1339 के द्वारा मूल प्रार्थना पत्र को लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण को प्रेषित किया गया है उससे एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि लोक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान के द्वारा मूल प्रार्थना पत्र को 06/10/2008 तक केवल अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) के अतिरिक्त उत्तर और पित्थूवाला को भी इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित किया गया कि वह अनुमन्य सूचना को आवेदक को उपलब्ध करायें।

30 दिन की निर्धारित अवधि के अंतर्गत केवल 15/10/2008 को पत्रांक 58 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) के द्वारा अपीलकर्ता / प्रार्थी को 2 क्रमांकों के सापेक्ष यह अभिव्यक्त रूप से सूचित किया गया कि देहरादून की दक्षिण शाखा के अंतर्गत जो कर्मचारी विभागीय अवास में निवास कर रहे हैं उन कर्मचारियों से पेयजलापूर्ति के सापेक्ष जल मूल्य की धनराशि माह जुलाई, 2008 से प्रतिमाह वेतन से काटी जा रही है। जल संस्थान में कार्यरत कार्मिकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने का नियम नहीं है और क्रमांक 2 के सापेक्ष यह स्पष्ट किया गया है कि जल संस्थान कार्मिकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने का नियम नहीं है अतः सूचना शून्य समझी जाये और क्रमांक 3 के सापेक्ष 2 विभागीय आदेशों अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) कार्यालय आदेश संख्या 883 दिनांक 23/07/2008 तथा अधीक्षण अभियन्ता, नगर / ग्रामीण कार्यालय पत्रांक 1171 दिनांक 09/09/2008 की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

उपरोक्त कार्यालय आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून द्वारा पत्रांक 766 दिनांक 12/07/2008 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता उत्तर / दक्षिण / पित्थूवाला अनुरक्षण खण्ड / मसूरी उत्तराखण्ड जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि शाखाओं के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारी जो कि विभागीय भवनों मे ंनिवास करते हैं अथवा अपने निजी आवासों में अवस्थित जल संयोजनों पर नियमानुसार जल मूल्य की मांग प्रतिस्थापित करते हुए वसूली करने के निर्देश दिये गये हैं तथा अनुपालन आख्या से उन्हें अवगत कराने कराने के निर्देश दिये गये परन्तु प्रेषिति अधिकारियों द्वारा उन्हें 09/09/2008 तक सूचित नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हुआ कि निर्धारित अवधि 17/10/2008 के सापेक्ष एकमात्र अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) के द्वारा 15/10/2008 को पत्रांक 58 के द्वारा 3 बिन्दुओं के सापेक्ष सूचना उपलब्ध करायी गयी जिसके द्वारा जहॉ तक देहरादून नगर क्षेत्र के शेष उत्तर और पित्थूवाला खण्डों का प्रश्न है उस संबंध में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों और अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी और जहॉ तक देहरादून के अतिरिक्त उत्तराखण्ड के शेष जनपदों का प्रश्न है उसके संबंध में भी निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में लोक सूचना अधिकारी असफल रहे। इस प्रकार से उपरोक्त 3 बिन्दुओं के सापेक्ष जहॉ तक अनुमन्य सूचना को उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है आयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 13 जनपदों में से केवल देहरादून जनपद और देहरादून जनपद में भी 3 खण्डों में से केवल 1 खण्ड के द्वारा आंशिक सूचना अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध करायी जा सकी और इस प्रकार से अनुमन्य सूचना तक जहॉ तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रश्न है उस प्रयास में लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या जिन्हें कालान्तर में प्रार्थना पत्रों को अंतरित करने का प्रयास किया गया अधिशासी अभियन्ता दक्षिण के अतिरिक्त असफल रहे।

अनुमन्य सूचना प्राप्त न होने पर अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा 25/10/2008 को मुख्य सामान्य प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के समक्ष प्रथम विभागीय अपील पंजीकृत डाक से प्रेषित की गयी और जिसके सापेक्ष कोई कार्यवाही न होने पर अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा आयोग को 18/12/2008 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी। अपनी प्रथम अपील में अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा मुख्य सामान्य प्रबन्धक को इस आधार पर अपील प्रस्तुत की थी कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह अवगत कराये जाने पर भी 17/10/2008 को यह अवगत कराया गया था कि राज्य के शेष भागों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा किन्तु देहरादून के लोक सूचना अधिकारी (दक्षिण) के अतिरिक्त उन्हें किसी भी स्तर से शेष सूचना प्राप्त नहीं हुयी. प्रथम विभागीय अपील के पंजीकृत डाक से प्रस्तुत होने के उपरांत भी विभागीय अपील अधिकारी द्वारा उसके निस्तारण की कोई सूचना अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्रेषित नहीं की गयी। आयोग के द्वारा 09/01/2009 को नोटिस जारी करने के उपरांत क्रमशः 12/02/2009 और 25/02/2009 को अपील की सुनवाई की गयी।

आयोग द्वारा 12/02/2009 की सुनवाई के दौरान उभय पक्षों को सुनने और लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन पत्रांक 4798 दिनांक 11/02/2009 का अवलोकन करने और प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरांत 12/02/2009 को आदेश द्वारा लोक सूचना को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि मूल प्रार्थना पत्र के सापेक्ष अनुमन्य तिथि 17/10/2008 तक अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने, पूरे प्रदेश के संबंध में क्रमांक 1 के द्वारा मांगी गयी सूचना के सापेक्ष केवल देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद में भी 3 क्षेत्रों में से केवल 1 क्षेत्र के संबंध में सूचना देने और अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण) के द्वारा जो सूचना दी गयी उसमें भी अस्पष्ट और भ्रामक सूचना देने के आधार पर क्यों न लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान को अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर क्यों न 250 रूपये की दर से आर्थिक दण्ड आरोपित कर दिया जाये जिसे उनके अगले माह के वेतन से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रथम विभागीय अपील दिनांक 25/10/2008 प्राप्त होने के उपरांत भी विभागीय अपील अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) अंतर्गत सुनवाई न करने और इस प्रकार से अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर विभागीय अपील को अस्वीकृति के समतुल्य मानते हुए क्यों न लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को अपीलकर्ता / प्रार्थी को 25,000/—(पच्चीस हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति भी भुगतान करने के लिए आदेश निर्गत कर दिये जायें।

लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून और लोक प्राधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान को उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के साथ राज्य के अन्य जनपदों से भी अवशेष अनुमन्य सूचना को अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया और यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि उपरोक्त स्पष्टीकरण आयोग को प्राप्त नहीं होता है तब आयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाल लिया जायेगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है और उपरोक्त आर्थिक दण्ड और दण्ड के अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के विरूद्ध उन पर लागू विभागीय सेवानियमावली अंतर्गत विभागीय कार्यवाही की संस्तुति के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000/—(पच्चीस हजार रूपये) को अपीलकर्ता / प्रार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में भी अंतिम कर दिया जायेगा।

मूल प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिस प्रकार की सूचना लोक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान से मांगी गयी है वह एक लोक महत्व का प्रश्न है जो आयोग की दृष्टि में सामान्य रूप से, जल संस्थान के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा

4(1)(ख) के अंतर्गत जो स्वप्रकटन के प्राविधान हैं, उसके अंतर्गत निर्धारित मैनुअलों में न केवल उपलब्ध होना चाहिए था बल्कि मूल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 1 और शेष 2 बिन्दुओं को लोक प्राधिकारी के मुख्यालय स्तर से ही उपलब्ध कराया जा सकता था। उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के उपरांत आयोग द्वारा 25/02/2009 को भी लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून और लोक प्राधिकारी से मूल प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचनाओं के संबंध में अतिरिक्त सूचनायें प्राप्त की। उत्तराखण्ड जल संस्थान के लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 5182 दिनांक 16/03/2009 के माध्यम से आयोग को यह अवगत कराया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता द्वारा जो पूरे प्रदेश के संबंध में सूचना मांगी गयी थी उसे सभी लोक सूचना अधिकारियों से प्राप्त करके आवेदक को उपलब्ध कराया गया है और देहरादून जनपद की सूचना लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। लोक सूचना अधिकारी के अनुसार पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट दिनांक 22/03/1986, 09/08/1986 एवं 24/08/1991 द्वारा जल संस्थान के अधिकारी / कर्मचारियों को समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रखने का प्राविधान किया गया है अतः शाखाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को बिल प्रेषित नहीं किये जा रहे थे। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा लोक प्राधिकारी / उत्तराखण्ड जल संस्थान की ओर से यह अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या 3012 दिनांक 24/09/2008 से समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को बिल प्रेषित करने के निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये गये जिस पर शाखाधिकारियों द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। लागू टैरिफ में जल उत्पादन के आधार पर जैसे गुरूत्व, लोहैड, हाई हैड, नगरीय क्षेत्रों में भवन मूल्यांकन के आधार पर तथा नगरीय एवं ग्रामीण योजनाओं के लिए अलग–अलग टैरिफ है. जिस कारण उपभोक्ताओं को अलग–अलग दर से बिल प्रेषित किये जाते रहे हैं। उपरोक्त विभिन्न दरों के संबंध में लोक प्राधिकारी द्वारा अपने 16/03/2009 के उत्तर के साथ विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून द्वारा जैसी स्थिति थी उसे न छुपाते हुए अब आयोग को वास्तविक सूचना दे दी गयी है अतः अनुरोध है कि अब उपलब्ध करायी गयी सूचना को भ्रामक न माना जाये। विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो टैरिफ लागू होने हैं उसके संबंध में निर्णय करने के लिए जल संस्थान द्वारा इस प्रकरण को शासन को संदर्भित किया गया है। शासन से जो आदेश प्राप्त होंगे उसका पालन सुनिश्चित किया जायेगा. लोक प्राधिकारी के स्तर पर इसको स्वीकार किया गया है कि वर्तमान स्थिति में सुधार की आवश्यकता है और जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से लोक प्राधिकारी के द्वारा उपरोक्त स्वीकारोक्ति के उपरांत आयोग द्वारा अपने 25/02/2009 की सुनवाई के दौरान उपलब्ध करायी गयी सूचना से उत्पन्न एक अत्यंत गंभीर स्थिति का प्रसंज्ञान लेते हुए यह उचित समझा कि उपरोक्त तथ्यों की जानकारी राज्य लोक प्राधिकारी के सर्वोच्च सक्षम अधिकारी के रूप में सचिव, पेयजल का ध्यान आकर्षित कराया जाये, क्योंकि निर्धारित समयावधि के उपरांत और उत्तरांचल सूचना आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत, जो देहरादून तथा अन्य 12 जनपदों से सूचना अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्राप्त हुयी है उसमें जिस प्रकार की व्यापक भिन्नता विद्यमान है, के संबंध में लोक प्राधिकारी / उत्तराखण्ड जल संस्थान के वरिष्ठतम नियंत्रक उत्तरदायी अधिकारी के स्तर पर इसका प्रसंज्ञान लेते हुए जो अपेक्षित कार्यवाही की जाती है उस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत ही प्रश्नगत प्रकरण पर आयोग द्वारा अपना अंतिम मत स्थिर किया जा सकेगा। इस प्रकरण में जो अग्रेतर कार्यवाही स्वयं लोक प्राधिकारी के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर तत्काल रूप से की जानी आवश्यक प्रतीत होते है उनके संबंध में भी अधिनियम की धारा 19(8) के प्राविधान के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त निर्देश निर्गत किये जाने की स्पष्ट संभावना विद्यमान थी। यह तथ्य निर्विवादित है कि निर्धारित समयावधि के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पूरे राज्य के 13 जनपदों के सापेक्ष केवल देहरादून नगर के केवल 1 भाग के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी जा सकी और वह सूचना भी अस्पष्ट, अपूर्ण और भ्रामक थी। जिसकी पुष्टि लोक सूचना अधिकारी के 16/03/2009 के पत्रांक 5182 के पत्र से भी हो जाती है। आंशिक रूप से केवल इतनी सूचना उपलब्ध करायी जा सकी कि लोक प्राधिकारी के स्तर पर अपने अधिकारियों / कर्मचारियों से पेयजलापूर्ति के सापेक्ष जल मूल्य की धनराशि केवल जुलाई, 2008 से प्रतिमाह वेतन से प्रारंभ की गयी है, तथा जल संस्थान के कार्यरत कर्मचारियों को निःशुल्क पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने का नियम नहीं है। उपरोक्त उत्तर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 5182 दिनांक 16/03/2009 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से बिल्कुल विपरीत है और यह न केवल भ्रामक है बल्कि पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण और मांगी गयी सूचना के संदर्भ में नहीं है. इस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी के रूप में लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून किसी भी प्रकार की सूचना अपीलकर्ता / प्रार्थी को देने में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्णतयः असफल रहे हैं।

सूचना आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत जो 12 जनपदों से भिन्न–भिन्न प्रकार की सूचनायें अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध करायी गयीं उनके संबंध में और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट दिनांक 22/03/1986, 09/08/1986 और 24/08/1991 के द्वारा जल संस्थान के अधिकारी / कर्मचारियों को समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रखने का प्राविधान के सापेक्ष जो राज्य बनने के उपरांत वर्ष 2008 तक पेयजल आपूर्ति के सापेक्ष बिल प्रेषित नहीं किये जा रहे थे उसके संबंध में लोक प्राधिकारी को अपना स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिससे उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर आयोग द्वारा राज्य के सक्षम लोक प्राधिकारी के स्तर से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अंतिम किया जाना आवश्यक था। सचिव, पेयजल द्वारा आयोग को पत्रांक 29 दिनांक 13/03/2009 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट दिनांक 09/08/1986, 24/08/1991 तथा लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 25/02/2009 पर जो लोक प्राधिकारी के सक्षम स्तर से 16/03/2009 तक आयोग को उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी उसके सापेक्ष शासन स्तर से मत स्थिर कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने में कुछ समय लगने की संभावना है। सचिव, पेयजल द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त कार्य के लिए आयोग द्वारा लोक प्राधिकारी / पेयजल विभाग को कम से कम 1 माह का समय प्रदान किया जाये।

सचिव, पेयजल के 13/03/2009 के उपरोक्त पत्रांक 29 के उपरोक्त अनुरोध को आयोग द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में आयोग द्वारा सचिव पेयजल को केवल इस आशय से प्रकरण के विवरण को संदर्भित किया गया था कि इस अपील के संदर्भ में जो भिन्न–भिन्न प्रकार के उत्तर लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्राप्त हुए हैं और जहॉ–जहॉ लोक प्राधिकारियों के अधीनस्थ स्तर पर नितांत भ्रम की स्थिति विद्यमान है, और जिससे स्पष्ट रूप से ऐसे प्रार्थना पत्रों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के उत्तर अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्राप्त होना, वर्तमान की भांति, भविष्य में भी निरंतर रहना संभावित है अतः ऐसी संभावना के प्रकाश में सचिव, पेयजल के द्वारा, लोक प्राधिकारी के रूप में, स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे स्पष्टीकरण के आधार पर ही आयोग द्वारा इस प्रकरण, तथा भविष्य में इसी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में जो उत्तर / सूचना लोक सूचना अधिकारियों द्वारा दिये जायेंगे, उसके संबंध में एक स्पष्ट निर्णय लिया जा सके। आयोग के द्वारा सचिव, पेयजल के 13/03/2009 के उत्तर के क्रम में केवल यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लोक प्राधिकारी के वरिष्ठतम स्तर पर पूर्ववर्ती राज्य के स्तर पर प्रकाशित सरकारी गजट दिनांक 09/08/1986 तथा 24/08/1991 के द्वारा जो उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को उन्हें आपूर्तित पेयजल के सापेक्ष समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रखने का प्राविधान किया गया है और जिसके क्रम में शाखाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को बिल प्रेषित नहीं किये जा रहे थे वह स्थिति अभी भी इस राज्य में यथावत है. संक्षेप में, वर्तमान स्थिति यह है कि पूर्ववर्ती राज्य की भांति, इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने व इस अपील के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने तक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को आपूर्तित पेयजल के सापेक्ष भी किसी प्रकार की जमानत, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रखा गया था और केवल इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के उपरांत ही कुछ शाखाधिकारियों द्वारा इस वर्ग के व्यक्तियों को बिल प्रेषित किये जाने प्रारंभ किये गये। इसी कारण आयोग में अपील की सुनवाई के उपरांत जो विभिन्न श्रोतों से अपीलकर्ता / प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी है उनमें भिन्नता है।

उपरोक्त विवेचना से यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के स्तर पर उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को आपूर्तित पेयजल के सापेक्ष अभी भी पूर्ववर्ती राज्य की भांति रियायती सुविधायें निरन्तर प्रदान की जा रही हैं और वर्तमान में लोक प्राधिकारी / उत्तराखण्ड जल संस्थान के स्तर पर पूरे राज्य के विभिन्न जनपदों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इसी कारण मूल प्रार्थना पत्र के सापेक्ष भ्रामक, अपूर्ण, भिन्न – भिन्न और अस्पष्ट सूचनायें अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्राप्त हो रही हैं और लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी प्राप्त करायी गयी हैं।

प्रश्नगत प्रकरण से जो स्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को आपूर्तित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में प्रकाश में आयी है उससे जो गंभीर स्थिति प्रकट हुयी उसकी ओर भी आयेाग द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान, पेयजल विभाग और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाना भी आवश्यक प्रतीत हुआ। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गजट के द्वारा 22/03/1986, 09/08/1986 और 24/08/1991 के द्वारा न केवल जल संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों को समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रखने का प्राविधान किया गया था बल्कि उपरोक्त प्राविधान के अनुसार निम्न वर्गों के व्यक्ति भी उसी प्रकार की सुविधा के पात्र थे :

''अनुसूचित जाति, के व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक तथा संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारियों को समस्त जमानतें, अग्रिम धनराशि तथा विभागीय शुल्क से मुक्त रखा गया है''

अतः यह प्रकरण मात्र उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारी / कर्मचारियों को समस्त जमानतों, अग्रिम धनराशि तथा विभागीय शुल्क से मुक्त रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी परिधि में प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक वर्ग के व्यक्ति भी आते हैं जिनकी संख्या बहुत ही बड़ी है। सचिव, पेयजल विभाग का ध्यान इसी आधार पर आयोग द्वारा आकर्षित कराया जाना आवश्यक समझा था जिससे उन्हें यह स्पष्ट हो जाये कि यदि इस प्रकार की छूट उपरोक्त सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित, सैनिक विधवाओं, भूमिहीन श्रमिकों को भी अनुमन्य होती है और इन वर्गों के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरांत से उनसे वसूल की जा रही जमानतों, अग्रिम धनराशि व विभागीय शुल्कों द्वारा जलापूर्ति दरों के सापेक्ष इन वर्गों के द्वारा भी छूट की मांग वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2008 तक की जाती है तब उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के समक्ष एक गंभीर वित्तीय स्थिति स्पष्टतयः उत्पन्न हो जायेगा। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोक प्राधिकारी के वरिष्ठतम सक्षम स्तर सचिव, पेयजल विभाग के द्वारा जो आयोग के द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसर के सापेक्ष 13/03/2009 को पत्रांक 29 के माध्यम से आयोग को उत्तर दिया गया है उसमें उनके द्वारा उपरोक्त गंभीर वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रसंज्ञान लेना आवश्यक नहीं समझा गया। उपरोक्त गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रेतर कार्यवाही किया जाना इस आयोग के कार्यक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के बाहर का प्रकरण है। सचिव पेयजल के द्वारा 13/03/2009 के उत्तर का केवल इस आशय से प्रसंज्ञान लिया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो अपूर्ण, भ्रामक और अस्पष्ट सूचनायें अपीलकर्ता / प्रार्थी को अनुमन्य अवधि के अन्दर उपलब्ध करायी गयी और जिस प्रकार से 12 जनपदों के सापेक्ष अनुमन्य तिथि के अन्दर किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी उसकी पृष्ठभूमि से पेयजल विभाग को लोक प्राधिकारी के रूप में आयोग द्वारा पर्याप्त रूप से अवगत करा दिया गया है। आयेाग के स्तर पर इस प्रकरण को सक्षम स्तर के लोक प्राधिकारी के स्तर पर भी अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास का उदाहरण माना जाता है तथा इसी आकार पर में इस प्रकरण पर अपना अंतिम मत, स्थिर किया जाता है।

स्पष्ट है, कि मूल प्रार्थना पत्र के जिन 3 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सामान्य रूप से उक्त सूचना को मुख्यालय स्तर से ही वास्तविक स्थिति के आधार पर अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था क्योंकि जो सूचनायें पूर्ववर्ती राज्य के संबंध में उनके द्वारा 16/03/2009 को आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत उपलब्ध करायी गयी हैं वे समस्त सूचनायें मुख्यालय स्तर पर ही उत्तराखण्ड जल संस्थान में ही उपलब्ध थीं, या हो सकती थीं या होनी चाहिये थीं। इस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो धारा 6(3) का प्रयोग कर प्रार्थना पत्र को अंतरित करने का प्रयास किया गया है वह भी एक प्रकार से अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के ही समतुल्य था। लोक सूचना अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि राजकीय गजट से संबंधित सूचनायें जिसका लाभ उत्तराखण्ड जल संस्थान का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा लिया जा रहा है उसके संबंध में गजट की सूचनायें न केवल मुख्यालय में उपलब्ध होनी चाहिएं बल्कि उसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के उस मैनुअल के भाग के रूप में भी स्वतः प्रकटन के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जिसमें किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधायें छूट और अनुदान, अवदान किसी लाभार्थी वर्ग को दिया जा रहा है उन्हें न केवल मैनुअलों के माध्यम से स्वप्रकटन के रूप में उदघाटित कराया जाना है बल्कि उसे वैबसाईट में इन्टरनैट के द्वारा अधिक से अधिक उपलब्ध कराना है. लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुख्यालय में स्थित सूचना को सीधे उपलब्ध न कराकर जिस प्रकार का प्रयास धारा 6(3) के माध्यम से अंतरण के रूप में किया गया है उस पर आयोग द्वारा अपनी कठोरतम आपत्ति प्रकट की गयी। इस आधार पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष उत्तर दिया गया है और जिस प्रकार के असफल प्रयास अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए किये गये हैं उसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम दण्ड राशि के लिए पात्र पाये गये और सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत उन्हें 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया इसे उनके अगले माह के वेतन से काट कर ट्रेजरी में जमा किये जाने के आदेश दिये गये और इसका प्रमाण आयोग को अनुपालन आख्या के रूप में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जिस प्रकार की चेष्टा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए की गयी उसके क्रम में उन पर लागू विभागीय सेवानियमावली अंतर्गत भी कठोरतम विभागीय कार्यवाही की संस्तुति उनके नियंत्रक अधिकारी को की गयी।

उत्तराखण्ड जल संस्थान के द्वारा लोक प्राधिकारी के रूप में जिस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून स्तर पर अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और अनुमन्य सूचना उपलब्ध न होने पर जो अधिनियम की धारा 19(1) अंतर्गत प्रथम विभागीय अपील की गयी और

जिसे प्राप्त होने के उपरांत भी सुनवायी नहीं की गयी और जिसके पीछे स्पष्ट रूप से पुनः अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने का ही कारण अभीष्ट था, के आधार पर आयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि लोक प्राधिकारी के रूप में इस प्रकरण में न तो लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर और न ही विभागीय अपीलीय अधिकारी / महाप्रबंधक, गढ़वाल, जल संस्थान के स्तर पर अनुमन्य सूचना को अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था उसमें लोक प्राधिकारी पूर्णतयः असफल रहे लोक प्राधिकारी के रूप में जिस प्रकार की चेष्टायें लोक प्राधिकारी के नामांकित लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपील अधिकारी द्वारा की गयी है तथा अनुमन्य सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है उसकी प्रतिपूर्ति अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्रस्तावित 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान के आदेश के द्वारा की गयी। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अपीलकर्ता / प्रार्थी को 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) की धनराशि को उनके ज्ञात पते पर आदेश निर्गत होने के 2 सप्ताह अन्दर बैंक चेक द्वारा किये जाने के लिए निर्देशित किया गया और भुगतान किये जाने के उपरांत अनुपालन आख्या के रूप में आयोग को भी अवगत कराने के संबंधम में आदेश दिये गये।

इस प्रकरण में जिस प्रकार के प्रयास लोक सूचना अधिकारी, प्रथम विभागीय अपील अधिकारी और स्वयं लोक प्राधिकारी के रूप में जल संस्थान स्तर पर किये गयें उसके क्रम में उत्तराखण्ड जल संस्थान और उसके अतिरिक्त अन्य सभी राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर भी जिस प्रकार की कार्यवाही वांछनीय प्रतीत हुयी उसके क्रम में धारा 19(8) के प्राविधानांतर्गत आयोग द्वारा निम्न आदेश भी अनुपालनार्थ पारित किये गये :

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य लक्ष्य प्रार्थित सूचना के सापेक्ष अनुमन्य सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराया जाना है। इस अपील के निस्तारण तक लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), जल संस्थान, देहरादून मूल प्रार्थना के 3 बिंदुओं के सापेक्ष अनुमन्य सूचना को उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। अतः इस आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताहों के अंदर लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), जल संस्थान, देहरादून द्वारा अनुमन्य सूचना को निःशुल्क, प्रमाणित कर पंजीकृत डाक से अपीलकर्ता को उनके ज्ञात पते पर उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जायेगी व अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा। दो सप्ताह का समय इस आधार पर दिया गया जिससे इस अवधि में वे देहरादून से संबंधित सभी अनुमन्य सूचना को लोक प्राधिकारी / पेयजल विभाग के उच्चतम स्तर से यदि किसी नीतिगत निर्णय को भी लिया जाना हो उसे प्राप्त कर सही व अनुमन्य सूचना पूर्ण रूप में उपलब्ध करा सके। अपील की सुनवायी के दौरान ही सचिव, पेयजल विभाग को वस्तुस्थिति की गंभीरता का प्रसंज्ञान कराया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), जल संस्थान, देहरादून स्तर से इस प्रकार से जो अनुमन्य सूचना उपलब्ध करायी जायेगी उसके आधार पर पर लोक प्राधिकारी / उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत तैयार मैनुअल के संबंधित भागों में संबंधित शासनादेशों / कार्यालय आदेशों व लाभार्थियों के विवरण यथास्थान स्व–प्रकटन व्यवस्था में प्रकट / प्रकाशित किये जायेंगे।

1.2 विभागीय अपील प्रार्थना प्राप्त होने के उपरांत भी उसका अधिनियम की धारा 19(1) के प्राविधानानुसार जो औपचारिक रूप से सुनवायी कर उसका निस्तारण प्रथम अपील अधिकारी / सामान्य प्रबंधक, गढ़वाल द्वारा नहीं किया गया है इस संबंध में लोक प्राधिकारी / उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा तथा विभागीय कार्यवाही कर अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा. भविष्य में अधिनियम की धारा 19(1) के प्राविधान का अनुपालन नियमानुसार व प्रभावी ढंग से किया जाये इस संबंध में जो प्रभावी उपाय लोक प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे, उससे भी आयोग को शीघ्रताशीघ्र अवगत कराया जायेगा।

1.3 यह अपील आदेश लोक सूचना अधिकारी / अधीक्षण अभियंता (नगर), जल संस्थान, देहरादून के सापेक्ष ही हैं. अंतरित शेष 12 जनपदों, या अधीक्षण अभियंता (नगर), जल संस्थान, देहरादून के क्षेत्रांतर्गत न आने वाले जनपदों द्वारा भी शेष सूचनाओं को भी लोक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमांतर्गत अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा ऐसा न होने पर नियमांतर्गत प्रथम अपील क्रमशः प्रथम अपील अधिकारी/ सामान्य प्रबंधक, गढ़वाल व सामान्य प्रबंधक, कुमांऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है तो उसका नियमानुसार निस्तारण कर समयांतर्गत अनुमन्य अवशेष सूचना अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी।

1.4 राज्य के समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के रूप में समस्त प्रमुख सचिव, सचिव शासन स्तर पर और समस्त विभागाध्यक्ष, निदेशक निदेशालय स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत धारा 4(1)(ख) के 17 मैनुअलों में से मैनुअल संख्या 4(1)(ख)(xii) ''सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित किये जायेंगे और 4(1)(ख)(xiii) द्वारा अपने और प्राधिकारियों के विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे और उसके स्वप्रकटन व्यवस्था के माध्यम से इन्टरनैट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। जहॉ तक इस प्रकरण मे उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अपने अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुदान रियायतों के संबंध में अपने मैनुअल में सम्मिलित नहीं किया गया है वह सूचना के अधिकार अधिनियम के उक्त प्राविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। अतैव राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरांत यदि पूर्ववर्ती राज्य में उनके पूर्ववर्ती लोक प्राधिकारी / विभाग के द्वारा किसी प्रकार की रियायतें, अनुदान लोक प्राधिकारियों के किसी वर्ग विशेष / कर्मचारियों को प्रदान किये जा रहे हैं तब वे उसका उल्लेख विभाग के द्वारा बनाये गये मैनुअल 4(1)(ख) के xii और xiii में उपलब्ध करायेंगे और उसकी डिजिटाईज्ड कॉपी को इन्टरनैट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

1.5 प्रत्येक राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव व सचिव द्वारा उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरांत जो पूर्ववर्ती राज्य में लागू शासनादेशों, अधिनियम, नियमों और परिनियमों का अंगीकरण, जिस निर्णय के माध्यम से विभिन्न प्रकार की रियायतों विभिन्न वर्गों को प्रदान की जा रही थीं और यदि ऐसे अधिनियमों को, नियमों, शासनादेशों के माध्यम से इन रियायतों को नवोदित राज्य उत्तराखण्ड में भी अंगीकार कर उपलब्ध कराया जा रहा है ऐसे अंगीकरण आदेशों को अभिव्यक्त रूप से शासनादेशों के माध्यम से पुनः प्रख्यापित किया जायेगा और यदि ऐसा अंगीकरण अभी तक औपचारिक रूप से नहीं कराया गया हो और उनके कार्यालयादेशों के माध्यम से अभिव्यक्त रूप से उनको जारी किया गया हो तब वे तदानुसार कार्यवाही करके अपने–अपने मैनुअलों में उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत स्वः प्रकटन व्यवस्था के अंतर्गत प्रख्यापित कर सार्वजनिक करेंगे।

1.6 प्रथम विभागीय अपीलों के निस्तारण में जिस प्रकार की शिथिलता और सुनवाई की प्रक्रिया में त्रुटि इस प्रकरण में प्रकट हुई है और जिसमें यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि यदि विभागीय अपील की सुनवाई दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत की गयी होती और लोक प्राधिकारी के द्वारा नामित विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान पर्याप्त प्रयास किये गये होते तब ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जिस प्रकार की शिथिलता दृष्टिगोचर हुयी है उससे बचा जा सकता था। ऐसी स्थिति में समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जायेंगे कि वे प्रथम विभागीय अपीलों की सुनवाई की प्रकिया को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे जिसमें उभय पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त हो।

1.7 अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के 17 मैनुअलों के निरन्त अद्यावधिकरण के प्रयास के लिए प्रत्येक राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के द्वारा एक–एक नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा, और जो राज्य स्तर पर लोक सूचना अधिकारी भी हो सकता है, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के स्वप्रकटन और उसमें गुणवत्ता पूर्ण प्रतिवेदन और प्राविधान के लिए आवश्यक कार्यवाही को पूर्ण किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त मैनुअल न केवल मुख्यालय स्तर पर डिजिटाईज्ड रूप में और विभागीय पोर्टल, वैबसाईट में उपलब्ध करा दिये जाते हैं बल्कि राज्य स्तर के नीचे मण्डल / वृत्त तथा जनपद स्तर तक भी उपरोक्त मैनुअल हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करा दिये जाते हैं. उदाहरण के लिए यदि उत्तराखण्ड जल संस्थान के द्वारा पूर्ववर्ती राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं की जानकारी, मैनुअल में उपलब्ध होती तब जिस प्रकार से भिन्न–भिन्न जनपदों से भिन्न–भिन्न प्रकार की सूचनायें अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध करायी गयी है वैसी स्थिति उत्पन्न न होती।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–1158/2007 श्री प्रदीप दत्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून व अन्य

समक्ष : डॉ0 आर0एस0 टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 01/05/2009

आयोग द्वारा सचिव, चिकित्सा शिक्षा, एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, सचिव, उच्च शिक्षा, और सचिव, तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त उपरोक्त विभागों के विभागाध्यक्ष के रूप में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, निदेशक, उच्च शिक्षा व निदेशक, तकनीकी शिक्षा को प्रतिवादियों के रूप में आदेश निर्गत किये गये और इस प्रकरण के लोक महत्व को देखते हुए पुनः 16/03/2009 के आदेश के साथ जो आदेश के प्रस्तर 2 में उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 अधिनियम संख्या 14 सन् 2006 के क्रम में जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रख्यापित किया गया है और जिसके अध्याय 5 में धारा 13 में उपरोक्त अधिनियम का पालन करने के संबंध में उल्लघंन की स्थिति पर आर्थिक दण्ड का स्पष्ट प्राविधान है की प्रति इस आशय से प्रेषित की गयी कि संबंधित लोक प्राधिकारी के द्वारा उपरोक्त अधिनियम के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य सरकार के स्तर पर जो व्यवस्था उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप क्रमशः शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश व शुल्क निर्धारण के संबंध में अब तक की गयी है उसपर स्वतः स्पष्ट आदेशों और उपरोक्त के क्रम में की गयी कार्यवाही का कार्यवृत्त को संकलित करते हुए ऐसे कार्यालयादेशों, परिपत्रों व कार्यवृत्तों का संकलन को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे स्पष्ट हो सके कि उपरोक्त अधिनियम के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में संबंधित उत्तरदायी लोक प्राधिकारी के द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर अर्थात सचिवालय स्तर व विभागाध्यक्ष स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है और उसके अनुश्रवण के लिए वर्तमान में इस राज्य में क्या व्यवस्था विद्यमान है? इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यवस्था के सापेक्ष जो शिकायतें विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हो रही हैं उसके निस्तारण के लिए उपरोक्त अधिनियम में जो प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति व अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है उनके स्तर पर जो कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में उपरोक्त प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति व अपीलीय प्राधिकरण को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है अथवा नहीं? यदि लोक प्राधिकारी घोषित नहीं किया गया है तब उक्त प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरण के स्तर पर जो कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए लोक प्राधिकारी के स्तर पर जो लोक प्राधिकारी उपरोक्त अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है उक्त अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त इसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा जो कोर्डिनेटर, श्री गुरू राम राय, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, पटेलनगर, देहरादून के द्वारा 19 मार्च, 2009 को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्रांकः 380/09 के द्वारा उत्तर दिया गया, का आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए उक्त पत्र की प्रति महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उक्त पत्र में जो एम0बी0बी0एस0 कोर्स हेतु फीस संबंधी तथ्य दिये गये हैं उन तथ्यों के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य द्वारा जो कार्यवाही की गयी है उसे उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के सापेक्ष स्पष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस प्रकार के प्रकरणों में जो अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं उसके संबंध में लोक प्राधिकारी के स्तर पर किस प्रकार की कार्यवाही संबंधित शिक्षण संस्थाओं के संबंध में की जाती है?

संक्षेप में, उपरोक्त अधिनियम से आच्छादित होने वाले तीन विभागों / लोक प्राधिकारियों अर्थात चिकित्सा शिक्षा विभाग जो कि इस क्रम में संबंधित लोक प्राधिकारी विभाग है, के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग, जो इस विषय के राज्य स्तर पर नोडल लोक प्राधिकारी/विभाग हैं, व तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर पर, *(i)* सचिवालय स्तर व *(ii)* विभागाध्यक्ष स्तर पर जब तक उक्त अधिनियम के संचालन व अनुश्रवण के संबंध में पूर्णकालिक व्यवस्था स्थापित नहीं होती तब तक उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के द्वारा सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित कराना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त अधिनियम, व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, अधिनियम के अनुपालन के लिए सचिवालय स्तर पर तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर जो स्थायी व्यवस्था की गयी हो उसके क्रम में तीनों विभागों द्वारा अपने स्तर पर जो कार्यवाही की गयी है तथा जो व्यवस्था स्थापित की गयी है, प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों व शिकायतों के क्रम में जो कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में लिखित विवरण इस उद्देश्य से आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रकरण के लोक महत्व को देखते हुए इस अपील की सुनवायी क्रमशः 09/02/2009, 18/02/2009, 27/02/2009, 16/03/2009, 31/03/2009, 16/04/2009 तथा 1 मई, 2009 को सुनवायी की गयी.

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों व राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत क्रमशः निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 666 दिनांक 29 अप्रैल, 2009 तथा उसके संलग्नकों, पत्रांक 237, 16 अप्रैल, 2009 व उसके संलग्नकों, उपसचिव, चिकित्सा अनुभाग–1, 29 अप्रैल, 2009, अपर सचिव, शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा), 28 अप्रैल, 2009 तथा पत्रांक 170 दिनांक 24 अप्रैल, 2009 के साथ प्रेषित विवरणों का आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। उभय पक्षों को सुनने तथा उभय पक्षों की सहमति से आयोग द्वारा मुख्य उत्तरदायी लोक प्राधिकारी के रूप में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया :

,

1.1 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या : 350/1993 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिये गये 14/08/2003 के निर्णय के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या : 83/प्रा.शि./2004, दिनांक 25/02/2004 में निहित प्राविधानों के अनुसार जो शुल्क ढ़ांचा एवं प्रवेश परीक्षा समिति का गठन किया गया है उसके क्रम में इस राज्य में प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो कार्यवाही अब तक की गयी हो उसमें गठित समितियों द्वारा जो निर्णय लिये गये हों उसके परिणामों को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार से प्रमुखता से प्रकाशित किया जायेगा जिससे जन सामान्य को समितियों के द्वारा लिये गये फीस, प्रवेश इत्यादि के संबंध में जानकारी हो सके तथा प्रभावित पक्षों को परिवाद करने का अवसर मिल सके।

1.2 मा0 उच्चतम न्यायालय से उपरोक्त आदेश का उत्तराखण्ड राज्य में अनुपालन करने के लिये जो अंतरिम व्यवस्था उत्तरांचल अनानुदानित निजि व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 के द्वारा 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावित की गयी है वह अंतरिम व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के संबंधित लोक प्राधिकारियों क्रमशः उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के क्रम में कार्यरत है अथवा नहीं. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अन्य संबंधित सभी विभागों के साथ तथ्काल गहन समीक्षा की जायेगी तथा उपरोक्त अधिनियम के क्रम में अनुपालन को इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कठोरता से अनुपालन किया जा रहा है।

1.3 मा0 उच्चतम न्यायालय के वर्णित आदेश तथा उत्तरांचल सरकार के अधिकारियों की व्यवस्थाओं का परीक्षण इस आशय से किया जायेगा कि यदि अधिनियम के प्राविधानों व मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कोई अस्वस्थता विद्यमान है तो वह मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के निर्णय के अनुरूप अनुपालित हो जाये तथा प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण की व्यवस्था एक पूर्णतयः पारदर्शी पद्धती के अंतर्गत अनुपालित होना सुनिश्चित हो जाये।

1.4 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रवेश व शुल्क निर्धारण में यदि कोई अंतर शिकायतों के माध्यम से प्राप्त होता है तो ऐसी शिकायतों को प्राप्त करने व उनकी सुनवायी के उपरांत निस्तारण की भी ठोस व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस आदेश के निर्गत होने के चार सप्ताहों के अंदर करते हुये यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि अनुपालन की लिखित आख्या सूचना आयोग को प्रेषित कर दी जाती है तथा प्रथक अनुपालन आख्या की एक प्रति अपीलकर्ता को भी पृष्ठांकित कर दी जाती है।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–1350/2007 श्री इन्द्रेश मैखुरी बनाम अनु सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून

समक्ष : डॉ0 आर0एस0 टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 08/05/2009

सुनवाई के दौरान चूंकि प्रथम दृष्टया आयोग द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि प्रश्नगत रिपोर्ट तक पहुंच सुलभ कराने के संबंध में धारा 8 के उपबन्ध आकर्षित नहीं होते हैं अतः इसे अनुमन्य सूचना तक अवरोध का प्रकरण मानते हुए लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उनपर 250 रू0 प्रतिदिन की दर से तब तक आर्थिक दण्ड आरोपित कर दिया जाये जब तक उक्त दण्डराशि 25,000 रू0 से अनधिक न हो जाये ? इसके अतिरिक्त क्यों न उनपर लागू विभागीय सेवा नियमावली के अंतर्गत उनके विरूद्ध उनके नियंत्रक अधिकारी से विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति कर दी जाये ? इसी क्रम में लोक प्राधिकारी के रूप में अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर क्यों न अपीलकर्ता/प्रार्थी को 50,000 रू0 (पचास हजार रू0) की क्षतिपूर्ति भुगतान करने के आदेश निर्गत कर दिये जाये ? लोक सूचना अधिकारी और प्रथम विभागीय अपील अधिकारी को उपरोक्त कारण बताओ नोटिसों के सापेक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के साथ–साथ यह भी आदेशित किया गया कि आदेश निर्गत होने के 2 सप्ताह में लोक प्राधिकारी उपरोक्त प्रश्नगत राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट को अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराने के साथ–साथ डिजिटाइज्ड करके विभाग की बेवसाइट में अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत मैनुअल में प्रख्यापित कर कृत अनुपालन से आयोग को भी अवगत कराया जाना था।

चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रश्नगत सूचना तक पहुंच को सुलभ करने में अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के प्राविधान का आधार लिया गया था अतः लोक सूचना अधिकारी और प्रथम विभागीय अपील अधिकारी को एक अवसर दिया गया जिसमें उनसे अपेक्षा की गयी कि वे आयोग को यह प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि प्रश्नगत रिपोर्ट अधिनियम की धारा 8(1) (झ) के प्राविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के विचारार्थ वास्तव में भौतिक रूप से प्रस्तुत कर दी गयी है अथवा प्रस्तुत करने का निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद के लिए नियमानुसार टिप्पणी तैंयार कर उसे मंत्रिपरिषद की बैठक के एजेण्डे में शामिल करने की कार्यवाही हर प्रकार से पूर्ण कर उसे प्रस्तुत किया जा चुका था. आयोग द्वारा ऐसे प्रमाण के सापेक्ष अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के उपबन्ध पर विचार करने के लिए लोक प्राधिकारी के दोनों नामित अधिकारियों को अवसर दिया गया।

29/04/2009 की सुनवाई के दौरान पत्रांक 50 दिनांक 28/04/2009 के स्पष्टीकरण के माध्यम से कैबिनेट के एजेन्डे की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसका आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया. उपलब्ध कराये गये प्रमाण से यह स्पष्ट है कि मंत्रि–परिषद के उक्त एजेण्डे में प्रकरण 28/04/2009 को आया जबकि मूल प्रार्थना पत्र 15/09/2008 का है. अतः यह निर्विवादित है कि जिस समय लोक सूचना अधिकारी स्तर से अपीलकर्ता को पत्रांक 727, 17 अक्टूबर, 2008 को सूचना दी गयी और प्रथम विभागीय अपील की सुनवाई कर पत्रांक 088/18 दिसम्बर, 2008 को प्रथम अपील का निस्तारण किया गया उस समय तक यह प्रकरण मंत्रि–परिषद के विचाराधीन नहीं था. सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत होने के उपरांत तथा सुनवाई के दौरान ही यह मंत्रि–परिषद की 28/04/2009 की कार्यावलि में इसे पहली बार सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लोक प्राधिकारी के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो दो अवसर अनुमन्य सूचना को उपलब्ध कराने के लिये उपलब्ध थे। लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के स्तर, पर दोनों अवसरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के उपबन्धों का उपयोग न करने से प्रश्नगत स्थायी राजधानी निर्माण पर न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित आयोग की रिपोर्ट अपीलकर्ता / प्रार्थी को अनुमन्य हो जाती है. किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के नियमानुसार प्रयोग किये जाने की आवश्यकता के आलोक में और इस तथ्य का प्रसंज्ञान लेते हुए कि आयोग में सुनवाई के दौरान प्रश्नगत न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित की रिपोर्ट को अब राज्य मंत्रि–परिषद के कार्यसूची में 28/04/2009 को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है तर्क संगत समझा गया कि लोक प्राधिकारी, राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव को, जो मंत्रि–परिषद के सचिव भी हैं, उन्हें इस बिंदु पर अंतिम अवसर प्रदान करना

अधिनियम के उपबन्धों की भावना के अनुरूप समझा गया। लोक प्राधिकारी की ओर से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के द्वारा आयोग को लिखित रूप में सकारण औचित्य स्पष्ट किये जाने का अवसर दिया गया जिससे आयोग संतुष्ट हो सकें कि प्रश्नगत रिपोर्ट के प्रकटन न करने, और अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध न कराने से कोई ऐसा लोक हित सिद्ध होता हो जो अपीलकर्ता / प्रार्थी को रिपोर्ट को प्राप्त कराये जाने से होने वाले लोक हित से अधिक महत्वपूर्ण माना जा सके। ज्ञातव्य है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं, सुरक्षा तथा जांच ऐजेन्सियों को अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त रखे जाने के उपरांत भी यदि ऐसी कोई सूचना जो अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य न हो किन्तु उसे देना आयोग द्वारा लोकहित में प्रकटन के लिए आवश्यक माना जाता है तो ऐसी सूचनाओं और अभिलेखों को भी प्रकट करने के आदेश आयोग द्वारा लोकहित में दिये जा सकते हैं. ज्ञातव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में राज्य सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के पास उपलब्ध कोई भी सूचना या अभिलेख पूर्ण रूप से न तो प्रतिबन्धित हैं और न ही उसे प्रकटन से पूर्णतयः मुक्त माना जा सकता है. विशेष परिस्थितियों, में जिसका स्पष्ट उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, ही लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा, नियंत्रण में उपलब्ध अभिलेखों और सूचना तक पहुंच को अस्वीकृत किया जा सकता है. अतिसंवेदनशील प्रकरणों में जिनमें अभिसूचना और सुरक्षा के प्रकरण भी अंतर्निहित होते हैं या ऐसे अन्य सभी प्रकरणों में जहॉ कहीं अभिलेख तक पहुंच को प्रतिबंधित किया गया हो उसे अंततः आयोग के स्तर पर ही यह निर्धारित किया जाना है कि ऐसे अभिलेख या सूचना के प्रकटन की कार्यवाही से जो लोकहित सिद्ध होगा वह छूट दिये जाने वाले हितों के सापेक्ष अधिक महत्वपूर्ण है अथवा नहीं. इस प्रकार से ऐसी कोई सूचना या अभिलेख नहीं है जिसे लोकहित में प्रकट करने के आदेश न दिये जा सकते हों।

प्रश्नगत प्रकरण के लोक महत्व को देखते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को आयोग द्वारा 29/04/2009 के अंतरिम आदेश के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया गया कि वे प्रश्नगत आयोग की रिपोर्ट अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध न कराये जाने के औचित्य से आयोग को लिखित रूप में अवगत करायें साथ ही उनका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 10 के पृथक्करणीयता के प्राविधान की ओर कराते हुए निर्देशित किया गया कि यदि न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित की प्रश्नगत रिपोर्ट के ऐसे अंश को जो राज्य सरकार की राय में उपलब्ध कराये जा सकते हों उसे निःशुल्क अपीलकर्ता को अगली सुनवाई तक उपलब्ध करा दिये जायें. अपने आदेश में इसका भी अभिसंज्ञान लिया गया कि लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को जो 15/04/2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उसके सापेक्ष 29/04/2009 तक न तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष प्रस्तावित आर्थिक दण्ड, विभागीय कार्यवाही तथा क्षतिपूर्ति की संस्तुति का प्रतिरोध नहीं किया गया अतः आयोग द्वारा यह भी अंतिम निष्कर्ष निकाला गया कि 15/04/2009 के कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी को और प्रथम अपील अधिकारी को कुछ नहीं कहना है और तदानुसार उपरोक्त कारण बताओ नोटिस को अंतिम करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जा सकता है।

मुख्य सचिव, द्वारा अपने पत्रांक 327 दिनांक 06/05/2009 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण के बिन्दुओं का निम्नवत निस्तारण किया जाता है :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अनुसार ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 166 के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 में उल्लेख किया गया है कि इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मामले कैबिनेट के समक्ष लाये जायेंगे. प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 एवं 22 निम्नवत है :

मद संख्या 19 ऐसे प्रस्ताव जिनमें नीति या पद्धति विषयक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन सन्निहित हो,

मद संख्या 22 राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा या राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के अनुसरण में नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन.

मुख्य सचिव, के अनुसार इस प्रकार न्यायमूर्ति दीक्षित आयोग का प्रतिवेदन उक्त नियमावली के नियम 7 के अनुसार कैबिनेट के समक्ष लाया जा चुका है, अर्थात उक्त प्रतिवेदन कैबिनेट का कागज (Papers) है। उपरोक्त मद संख्या 22 के अनुसार यह विधिक रूप से स्थापित प्रक्रिया है कि राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से यदि किसी जांच आयोग का गठन किया जाता है तो

उसका प्रतिवेदन मंत्रिमण्डल का विषय रहेगा। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि यह प्रतिवेदन मंत्रिमण्डल का विषयवस्तु किस तिथि विशेष से माना जायेगा अर्थात प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे जाने की तिथि से ही स्वमेव ही (deemed) मंत्रिमण्डल की विषयवस्तु बन जाती है। उक्त कार्य नियमावली का शीर्षक ''मामले जो कैबिनेट के समक्ष लाए जायेंगे'' स्वयंमेव उक्त मंतव्य की पुष्टि करता है। मुख्य सचिव के द्वारा जो उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के नियम 7 का उल्लेख किया गया है जिसमें इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मामले कैबिनेट के समक्ष लाये जायेंगे उसमें मद संख्या 19 और 22 का जो हवाला दिया गया है। मद संख्या 19 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो प्रकरण कैबिनेट के समक्ष लाये जायेंगे वे नीति या पद्धति विषयक होते हैं और मद संख्या 22 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा या राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के अनुसरण में नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन सम्मिलित हैं. लोक प्राधिकारी के स्तर पर मद संख्या 19 और 22 के सापेक्ष प्रमाण को प्राप्त कर अपने को संतुष्ट करते हुए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में जो प्रतिवेदन के रूप में जो सूचना / अभिलेख मांगे गये हैं वह मद संख्या 19 और 22 के द्वारा इंगित परिस्थितियों से आच्छादित है और ऐसी संतुष्टि होने के उपरांत ही लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्रश्नगत न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित आयोग की रिपोर्ट की प्रार्थना के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 का हवाला देते हुए सूचना तक पहुंच को अस्वीकृत किया जाना चाहिये था। यदि राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव से किसी जांच आयोग का गठन किया गया है ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट था कि राज्य सरकार की स्वप्रेरणा के संबंध में जो लिखित अभिलेख उपलब्ध थे या राज्य विधान मण्डल द्वारा जो प्रस्ताव पारित किये गये थे उसके अधिकृत विवरण प्राप्त कर और ऐसे प्रकरणों से स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही प्रश्नगत नियमावली के प्राविधान के आधार पर लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा सूचना तक पहुंच को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था।

न तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 और मद संख्या 19 और 22 का न तो कोई परीक्षण किया गया और न ही परीक्षण के आधार पर जो पुष्ट प्रमाण आवश्यक थे उनको प्राप्त करने का कोई प्रयास ही किया गया है. राज्य सूचना आयोग के द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारी को दिया गया उसमें उनके द्वारा उपरोक्त उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) का कोई उल्लेख किया गया है और न ही राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पास कर किसी रिपोर्ट का उल्लेख किया है. स्वयं मुख्य सचिव द्वारा भी केवल उक्त नियमावली के प्राविधानों का उल्लेख ही किया गया है और इस सुनवाई तक ऐसे किसी राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से लिये गये निर्णय या राज्य विधान मण्डल से पारित किसी प्रस्ताव के आधार पर लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा इन प्राविधानों के नियमानुसार प्रयोग करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियमावली के मद संख्या 19 और 22 और उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 का उल्लेख मात्र ही इस अपील में किया गया है : यह इंगित करना आवश्यक है कि किसी प्राविधान का होना एक तथ्य है और उस प्राविधान का अधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमानुसार प्रयोग करना बिल्कुल दूसरा तथ्य. लोक प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह प्रमाणित करे कि उनके द्वारा प्राविधानों का वास्तव में नियमानुसार प्रयोग किया गया।

मुख्य सचिव द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि यह प्रश्नगत प्रतिवेदन मंत्रिमण्डल का विषयवस्तु किस तिथि विशेष से माना जायेगा. राज्य सरकार की उपरोक्त नियमावली सूचना का अधिकार अधिनियम के 2005 में प्रख्यापन से पहले की है जो उत्तर प्रदेश में प्रख्यापित की गयी और उत्तराखण्ड में प्रवृत्त किया गया है। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन और लोक प्राधिकारी का ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 की ओर विशेष रूप से कराया जाता है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का प्रभाव अध्यारोही (overriding) प्रकृति का होगा. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि भारत वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी अधिनियमों में से एक, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 तक के प्राविधानों को, जिसमें अभिसूचना और सुरक्षा से संबंधित सूचना को प्रतिबंधित किया गया है, उन प्राविधानों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के सापेक्ष उस सीमा तक प्रभावहीन माना गया है जहॉ वह सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप न हों. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 में यह भी स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि किसी भी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी अन्य विधि में कोई ऐसे प्राविधान विद्यमान हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल हों तब ऐसे प्राविधानों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम ही प्रभावी रहेंगे. जहॉ तक उपरोक्त के आधार पर मुख्य सचिव का यह कथन है कि उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 में इस प्रकार की कोई

अभिव्यक्त रूप से व्यवस्था नहीं है कि उक्त प्रतिवेदन मंत्रिमण्डल का विषय वस्तु किस तिथि विशेष से माना जायेगा तब ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार उपरोक्त व्यवस्था को अभिव्यक्त रूप से अपने नियमों में करे और यदि अभिव्यक्त रूप से नियमों में यह व्यवस्था नहीं की जाती है व प्रयोग के आधार पर ही, तिथि का विनिश्चय किया जा सकेगा.

जिस सीमा तक उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम 7 में मद 19 और 22 के लागू होने के संबंध में कोई तिथि विशेष से प्रभावी होने की व्यवस्था नहीं दी गयी है तब राज्य सरकार से अपेक्षित होगा कि वह नियमावली में संशोधन कर इसको स्पष्ट और अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट करे। चूंकि इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस तिथि से उपरोक्त व्यवस्था लागू होगी अतः ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा क्योंकि ऐसी कोई अभिव्यक्त रूप से व्यवस्था नहीं है अतः जब तक प्रमाण प्रस्तुत न किये जायें तब तक ऐसे किसी प्रतिवेदन को मद संख्या 19 और 22 के प्राविधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त आधार पर जो निष्कर्ष मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे आयोग अपने को सहमत नहीं पाता है. इस प्रकरण में और भविष्य में भी जब प्रश्नगत नियमावली 19 और 22 के अंतर्गत किसी प्रतिवेदन या अभिलेख को आच्छादित मानने का मन्तव्य राज्य सरकार के स्तर पर स्थिर किया जायेगा तब स्पष्ट व अभिव्यक्त रूप में उसको इंगित किया जायेगा।

जहॉ तक राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने वाले प्रस्तावों का प्रश्न है उसके संबंध में प्रमाण संबंधी कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि ऐसे किसी भी प्रस्ताव की तिथि और कार्य वृत्त इस प्रकार के स्वतः ही प्रमाण होते हैं अतः मद संख्या 22 में राज्य विधान मण्डल के पारित प्रस्ताव के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्राविधान के अंतर्गत उसका उपयोग किया जाना चाहिये / जा सकता है. ऐसे प्रकरणों में लोक प्राधिकारी के द्वारा, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के माध्यम से, राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अधिकृत विवरण को प्राप्त करके और स्वयं संतुष्ट होकर ही उपरोक्त आधार पर अधिनियम की धारा 8 के प्राविधान का प्रयोग करना चाहिए था. इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया।

मुख्य सचिव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ग) के प्राविधान का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का भंग होता हो उसे प्रकटन से छूट दी जा सकती है। मुख्य सचिव द्वारा प्रश्नगत रिपोर्ट के संबंध में यह उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत अभिलेख शासन द्वारा स्थापित विधिक प्रक्रिया कें अनुरूप यथा समय विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा तथा उपरोक्त अभिलेख को अभी तक शासन द्वारा विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट और राजधानी चयन संबंधी आश्वासन संख्या 87/2008 मा0 विधानसभा की आश्वासन समिति के विचारार्थ विचाराधीन है। यदि अब यह सूचना बिना विधानसभा के पटल पर रखे आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है तब स्पष्ट रूप से विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन होगा। साथ ही साथ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ग) में प्राविधानित व्यवस्था के विपरीत कृत्य होगा. जहॉ तक प्रश्नगत अभिलेख को शासन द्वारा स्थापित विधिक प्रक्रिया के अनुसार विधान सभा के पटल पर रखे जाने का प्रश्न है यह निर्विवादित रूप से राज्य सरकार का ही अपना उत्तरदायित्व था राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने, रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरांत उस पर विधिक प्रक्रिया के अनुसार जिस प्रकार की तत्परता प्रदर्शित करनी चाहिए थी और जैसा कि स्वयं मुख्य सचिव द्वारा कहा गया है कि मंत्रिमण्डल के स्तर पर निर्णय लेते हुए कार्यवाही पूर्ण किये जाने का प्रश्न था वैसी कोई कार्यवाही अब तक इस प्रकरण में की गयी हो यह इस आयोग के प्रसंज्ञान में नहीं लाया गया है। यदि यह प्रक्रिया इतनी जटिल और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से निस्तारित की जानी थी तब जब सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत उपरोक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ तब राज्य सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा उसे उसी गंभीरता के साथ स्वयं लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर और विभागीय सचिव के रूप में प्रथम अपील अधिकारी के रूप में व्यवहृत किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार की जटिलताओं और कठिनाईयों का उल्लेख मुख्य सचिव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में किया गया है वैसा उल्लेख आयोग के समक्ष न तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा और न ही अपीलीय अधिकारी / सचिव, सामान्य प्रशासन द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदनों या स्पष्टीकरणों में नहीं किया गया है। यदि उपरोक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न होती है तब स्पष्ट रूप से इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं राज्य सरकार का है जिनके द्वारा सचिवालय के स्तर पर लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारी को नामित किया गया है। विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों को नामित करने में न तो आयोग का और न ही किसी अन्य प्राधिकारी का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है. लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर जिस प्रकार की शिथिलता इस प्रकरण में प्रदर्शित की गयी है उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं राज्य सरकार का है. तथ्यों को देखने से स्पष्ट होगा कि लोक सूचना अधिकारी स्तर पर जिस प्रकार

का उत्तर अपीलकर्ता / प्रार्थी को दिया गया है और जिस प्रकार की त्रुटियॉ इस प्रकार की सूचनाओं को देने में की गयी हैं जिसमें सतही रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्राविधान के आकर्षित होने का उल्लेख किया गया है और अंततः जिस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का अब प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है उससे लोक प्राधिकारी के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। यह प्रकरण उसका उदाहरण है. आयोग स्तर पर इस प्रकरण पर इससे अधिक कठोर टिप्पणी करना वांछित प्रतीत नहीं होता है. राज्य सरकार की दृष्टि में यदि कार्य बंटवारा नियमावली में ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय विद्यमान हैं जिस पर उच्चतम स्तर पर ही विचार करके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना चाहिये उसमें आयोग को कोई भी आपत्ति नहीं है कि ऐसे प्रकरणों में प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अनिवार्य रूप से प्रमुख सचिवों / सचिवों को और स्वयं मुख्य सचिव को भी प्रथम अपील अधिकारी नामित करने पर विचार किया जाना चाहिये। आयोग प्रारंभ से ही लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों के स्तर को यथा आवश्यकता संशोधित करने के लिए संस्तुति करता रहा है।

जहॉ तक माननीय विधान सभा की आश्वासन समिति और विधान सभा के विशेष अधिकारों का प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के खण्ड ग में यह स्पष्ट प्राविधान विद्यमान है कि ऐसी कोई सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकारों का भंग कारित होगा ऐसी सूचनाओं तक पहुंच को अस्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकरण में जब लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी, जो कि सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ग) के प्राविधान के रहते हुए भी उसका अपने स्पष्टीकरणों में और न ही प्रथम अपील निस्तारण के समय उपयोग किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस प्राविधान के रहते हुए भी उसके उपयोग न करने के लिए कौन उत्तरदायी है इसका निर्धारण भी राज्य सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए. इस संबंध में यदि कोई संवैधानिक या वैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है तब इस संबंध में स्वयं राज्य सरकार और राज्य सरकार के नामित अधिकारी ही स्पष्ट रूप से उत्तरदायी हैं।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा जिस प्रकार के प्रयास उपरोक्त तथाकथित मंत्रिमण्डल के कागज के संबंध में प्रथम अपील के निस्तारण के दौरान किये जाने थे वे इस प्रकरण में नहीं लिये गये. जैसा कि निर्विवादित है कि इस प्रतिवेदन का प्रकरण मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के समय तक मंत्रि–परिषद के विचाराधीन नहीं था अतः ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव का उपरोक्त आधार भी जहॉ तक प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर दी गयी सूचना का संबंध है तर्कसंगत नहीं है और उसे स्वीकार किया जाना संभव नहीं है।

आयोग के द्वारा अधिनियम की धारा 10 के प्रथक्करणीयता के प्राविधान के सापेक्ष मुख्य सचिव का यह कथन है कि उपरोक्त राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट एक समेकित (*holistic*) अभिलेख है इसको आंशिक रूप से नहीं देखा जा सकता है अतः इस अभिलेख का ऐसा विभाजन नहीं किया जा सकता है कि यह रिपोर्ट आंशिक रूप से प्रकटन योग्य है और आंशिक रूप से नहीं. मुख्य सचिव, के उपरोक्त तर्क का निस्तारण सूचना आयोग द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट को मंगाकर अध्ययन करने के उपरांत ही अंतिम रूप से किया जा सकता है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में आयोग द्वारा उपरोक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा था किंतु यहॉ मात्र इसका प्रसंज्ञान लिया जा रहा है कि मुख्य सचिव द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के प्रत्येक अंश को उस रिपोर्ट का एक ऐसा अंश माना गया है जो प्रकटन योग्य नहीं है। आयोग के द्वारा उपरोक्त विकल्प को प्रभावी करने के लिए कोई करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता. आयोग के एक अंतरिम आदेश में मुख्य सचिव को मंत्रि–परिषद का सदस्य सचिव त्रुटिवश उल्लिखित कर दिया गया, आयोग द्वारा इस टंकण त्रुटि का प्रसंज्ञान लिया जाता है।

मुख्य सचिव द्वारा अंत में आयोग के प्रसंज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रश्नगत विषय अत्यंत संवेदनशील है जो प्रदेश के समस्त जनमानस को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है. प्रदेश की राजधानी की स्थापना के निर्णय हेतु सामाजिक / आर्थिक / राजनैनिक / सांस्कृतिक / भौगोलिक / अवस्थापना विषयक आदि विषयों का ध्यान रखना होगा. तकनीकी मानकों, परिस्थितिकीय परिस्थितियों व भूगर्भीय कारकों पर सम्यक निर्णय लेना होगा. विभिन्न संस्तुति स्थानों के परिप्रेक्ष्य में राजधानी स्थल के निर्धारण हेतु अंतर्निहित वित्तीय व्यवस्था का आंकलन करना होगा एवं संसाधनों का तदनुरूप प्रबन्धन करना होगा. ये ऐसे निर्णय हैं जो बहुत ही संवेदनशील एवं विस्तृत परिमापों से परिपूर्ण हैं. ऐसे विषयों पर जिन पर प्रदेश का भविष्य आधारित है के समानुपातिक गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना अपेक्षित है तथा ऐसे प्रकरणों में तदर्थवाद के आधार पर निर्णय नहीं लिये जा सकते हैं। स्पष्ट है कि आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना समय साध्य है. मुख्य सचिव के अनुसार इस प्रकरण में व्यापक जनहित अन्तर्निहित है। आयोग की रिपोर्ट पर बिना शासन का मत स्थिर किये बगैर रिपोर्ट के प्रकटन से

जनहित पर कुठाराघात होगा क्योंकि बिना अन्तर्निहित कारकों के प्रबन्धन किये बगैर रिपोर्ट को प्रकट किये जाने पर व्यापक जनमानस में कई ऐसे अनावश्यक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं जिनका समाधान तात्कालिक नहीं किया जा सकता है। मुख्य सचिव के अनुसार उपरोक्त प्रकरण मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है और उपरोक्त कारणों से प्रश्नगत रिपोर्ट का प्रकटन न करने और अपीलकर्ता / प्रार्थी को प्रश्नगत रिपोर्ट उपलब्ध न कराने से जो लोकहित सिद्ध होता है वह अपीलकर्ता / प्रार्थी को रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने से होने वाले लोकहित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि स्वयं आयोग द्वारा प्रश्नगत रिपोर्ट का स्वयं अध्ययन कर धारा 10 के पृथक्कीकरण के विरोध में दिये गये तर्कों पर कोई टिप्पणी नहीं की है अतः रिपोर्ट का अध्ययन न करने के आधार पर मुख्य सचिव के उपरोक्त निष्कर्ष का मात्र प्रसंज्ञान ही लिया जाता है।

जहॉ तक मुख्य सचिव द्वारा अपने स्पष्टीकरण के अंतिम प्रस्तर में विभिन्न बिन्दु उठाये गये हैं उनका आयोग द्वारा इस विवेचना में बिन्दुवार उल्लेख कर दिया गया है और उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जो आधार उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली के नियम 7 में तिथि विशेष के संबंध में कहा गया, राज्य विधान मण्डल के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया और अंततः धारा 8(1)(झ) का उल्लेख किया गया उसके संबंध में स्पष्ट किया जा चुका है कि उनमें से कोई भी आधार ऐसा नहीं है जिसे इस स्तर पर स्वीकार किया जा सके. मुख्य सचिव के स्तर पर जो आधार अपने स्पष्टीकरण में लिया गया है उसको प्रथमतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा और तत्पश्चात प्रथम अपील अधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी थे के द्वारा प्रयुक्त किया जाना चाहिए था। यदि राज्य सरकार के सचिव स्तर के प्रथम अपील अधिकारी के स्तर पर भी कोई शंका विद्यमान थी तब उनसे यह अपेक्षित था कि उनको उपलब्ध 45 दिन की अवधि में वे मुख्य सचिव या अन्य किसी भी स्तर पर परामर्श प्राप्त कर, जो आधार अब मुख्य सचिव के स्पष्टीकरण में दिया गया है उसका प्रयोग किया जाता. चूंकि इस प्रकरण में न तो लोक सूचना अधिकारी और न ही प्रथम अपील अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव के पत्र के माध्यम से स्पष्ट की गयी स्थिति का आधार नही लिया गया है अतः ऐसी स्थिति में आयोग के समक्ष केवल एक निष्कर्ष ही निकालने के लिए रह जाता है कि इस प्रकरण में न तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा और न प्रथम अपील अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में उपलब्ध उपबन्धों का समय से कोई प्रयोग नहीं किया और इस प्रकार से उनके द्वारा प्रश्नगत रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराकर अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न किया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता द्वारा जो सूचना मांगी गयी है उसके सापेक्ष उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित की रिपोर्ट को उपलब्ध न कराकर अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न किया है। आयोग द्वारा उनको अपने सुनवाई के समय जो प्रथक्करणीयता के आदेश के आधार पर रिपोर्ट को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था उसका भी उपयोग नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर जहॉ तक इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर जिस प्रकार से सूचना उपलब्ध करायी गयी है उसे वह सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के सापेक्ष अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के समतुल्य माना जाता है तथा उनको दिये गये कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष 10,000/—(दस हजार रूपये मात्र) का आर्थिक दण्ड अंतिम किया जाता है जिसे उनके अगले माह के वेतन से काटकर सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व मद में जमा किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त उनके विभागीय नियंत्रक अधिकारी को उन पर लागू विभागीय सेवानियमावली अंतर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने की भी संस्तुति की जाती है. लोक प्राधिकारी के रूप में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिस प्रकार से प्रथम अपील का निस्तारण किया गया है और जिस प्रकार से प्रस्तुत स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सचिव स्तर पर रहते हुए भी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गयी जैसी कि अब मुख्य सचिव से प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट हुयी है अतः ऐसी स्थिति में उन्हें दिये गये कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष लोक प्राधिकारी के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तावित 50,000/—(पचास हजार रूपये) के सापेक्ष 10,000/—(दस हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता / प्रार्थी का भुगतान करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं। लोक सूचना अधिकारी पर आरोपित आर्थिक दण्ड और लोक प्राधिकारी / सामान्य प्रशासन विभाग पर आरोपित क्षतिपूर्ति आदेश निर्गत होने के 2 सप्ताह अन्दर की जायेगी और अनुपालन से आयोग को भी अवगत कराया जायेगा।

आदेश की विस्तृत विवेचना में जिस प्रकार के प्रमाण सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट हुए हैं उनके संबंध में भी आयोग यह आवश्यक समझता है कि वह राज्य सरकार को निम्नवत कार्यवाही करने के लिए भी अतिरिक्त आदेश निर्गत करे :

इस आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताह अन्दर अपीलकर्ता / प्रार्थी को न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित की राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट की सत्यापित प्रति अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध कराते हुए आदेश के अनुपालन की एक प्रति आयोग को भी प्रेषित की जायेगी,

अपील संख्या अ–2206 / 2009 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी ग्रांट, हरिद्वार रोड़, जिला, देहरादून

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 28 / 01 / 2010

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22 / 09 / 2009 को 10 रू0 के पोस्टल आर्डर के साथ 9 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, देहरादून को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 07 / 10 / 2009 को अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 की सूचना 2 रू0 जमा करने पर, बिन्दु संख्या 4 की सूचना 2 रू0 प्रतिपृष्ठ की दर से 6 रू0 जमा करने पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये एवं बिन्दु संख्या 5, 7 व 8 के संबंध में संबंधित संस्थान अर्थात उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इंसटीट्यूट, माजरीग्रान्ट, देहरादून को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

अपीलार्थी के द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 4 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में मांगी गयी राशि जमा करने के बाद संबंधित सूचना प्राप्त कर ली गयी है, उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट हैं। मात्र बिन्दु संख्या 5, 7 व 8 जिन्हें संबंधित संस्थान को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित किया गया था उसके सापेक्ष संबंधित संस्थान द्वारा दिनांक 15 / 10 / 2009 को उपलब्ध करायी गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 5 की सूचना से संतुष्ट न होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25 / 10 / 2009 को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, माजरी ग्रान्ट, हरिद्वार रोड़, देहरादून के समक्ष स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रथम अपील प्रेषित की गयी। अपीलार्थी का कथन है कि संबंधित संस्थान के प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण न करने एवं बिन्दु संख्या 5 पर संतोषजनक सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 26 / 12 / 2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

संस्थान के प्रतिनिधि एवं लोक सूचना अधिकारी श्री परमजीत सिंह के द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है कि बिन्दु संख्या 5 की कौन सी सूचना से वह संतुष्ट नहीं हैं यदि अपीलार्थी यह लिखकर दें कि वह बिन्दु संख्या 5 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी सूचना में से किस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो संस्थान उन्हें वह सूचना उपलब्ध करा सकता है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में संबंधित संस्थान को 7 दिनों के अंदर लिखा जायेगा जिसके सापेक्ष संबंधित संस्थान द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील का समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया गया जिस कारण अपीलार्थी को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील करनी पड़ी। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी समयान्तर्गत अपील का निस्तारण कर अपीलार्थी को समस्त सूचना उपलब्ध करा देते तो अपीलार्थी को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील नहीं करनी पड़ती अतः इस प्रकरण के अनुश्रवण में अपीलार्थी का जो समय व श्रम व्यय हुआ उसके सापेक्ष संबंधित संस्थान उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, माजरी ग्रांट, हरिद्वार रोड, देहरादून पर 2,000 रू0 (दो हजार रू0) की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी जिसका संबंधित संस्थान द्वारा 30 दिनों के अंदर अपीलार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–2057/ 2009 श्री प्रकाश लाल गोस्वामी बनाम लोक सूचना अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिशद, रामनगर, जिला नैनीताल

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 02/02/2010

अपील संख्या 2057 में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16/06/2009 को 10 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर सहित लोक सूचना अधिकारी/ सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के समक्ष इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2009 में विज्ञान वर्ग के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी कुल 4 विषयों के कापियों की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24/06/2009 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9), धारा 8 (1) (ई) एवं धारा 8(1) (जी) के अंतर्गत छूट होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी एवं कथन किया गया कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय बारह (परीक्षाएं) सामान्य विनियम 21 के अंतर्गत प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए सन्निरीक्षा की सुविधा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत कोई भी परीक्षार्थी 40 रू0 प्रति प्रश्न पत्र की दर से जमा कर परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर सन्निरीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी के उक्त आदेश 24/06/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06/07/2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03/08/2009 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये मत से सहमत होते हुए अपीलार्थी को उक्त चारों विषयों की कापियों की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराने से असमर्थता व्यक्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के आदेश 03/08/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16/11/2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

अपील संख्या 2201 में अपीलार्थी श्री विजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक 09/06/2009 को 10 रू0 के पोस्टल आर्डर सहित लोक सूचना अधिकारी/ सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के समक्ष इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2009 में आवेदक की पुत्री कु. कृति सिंह के विज्ञान वर्ग के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित कुल 3 विषयों के कापियों की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30/06/2009 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9), धारा 8 (1) (ई) एवं धारा 8(1) (जी) के अंतर्गत छूट होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। लोक सूचना अधिकारी के उक्त आदेश 30/06/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19/07/2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20/08/2009 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये मत से सहमत होते हुए अपीलार्थी को उक्त तीनों विषयों की कापियों की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराने से असमर्थता व्यक्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के आदेश 20/08/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15/12/2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

अपील संख्या 2203 में अपीलार्थी श्री करन सिंह चौधरी द्वारा दिनांक 30/06/2009 को 10 रू0 के पोस्टल आर्डर सहित लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी एवं परीक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के समक्ष इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2009 में आवेदक की पुत्री कु0 हर्षिता चौधरी के विज्ञान वर्ग के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान कुल 5 विषयों के कापियों की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 08/07/2009 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9), धारा 8 (1) (ई) एवं धारा 8(1) (जी) के अंतर्गत छूट होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी एवं कथन किया गया कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय बारह (परीक्षाएं) सामान्य विनियम 21 के अंतर्गत प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए सन्निरीक्षा की सुविधा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत कोई भी परीक्षार्थी 40 रू0 प्रति प्रश्न पत्र की दर से जमा कर परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर सन्निरीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी के उक्त आदेश 08/07/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22/07/2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/निदेशक,

विद्यालयी शिक्षा के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 04/09/2009 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये मत से सहमत होते हुए अपीलार्थी को उक्त पांचों विषयों की कापियों की फोटोप्रतियां उपलब्ध कराने से असमर्थता व्यक्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के आदेश 04/09/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18/12/2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोप्रति उपलब्ध कराने से इंकार किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत परिषदीय परीक्षाओं की फोटो प्रतियां उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 7(9) निम्नवत हैः

''किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो''।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) तथा 8(1) (जी) के अंतर्गत भी इस प्रकार की सूचना दिये जाने में छूट होने का कथन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (ड) निम्नवत हैः

''किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है''।

अधिनियम की धारा 8(1) (छ) जिसके अंतर्गत छूट होने का कथन किया गया है निम्नवत हैः

''सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गयी किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा''।

लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अभिकथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन एवं अन्य बनाम परितोष भूपेशकुमार सेठ एवं अन्य में सिविल अपील संख्या 1653 जब 1691 वर्ष 1980 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जिसका उद्धरण पृष्ठ 27 में दिया गया है एवं मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल अपील नं0 38 of 2004 अमर ध्यानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं स्पेशल अपील नं0 61 of 2004 योगेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर दिये गये निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि यदि बोर्ड की परिषदीय परीक्षा के विभिन्न विषयों के कापियों की फोटोप्रति दिये जाने की परम्परा प्रारम्भ कर दी गयी तो यह शिक्षा विभाग एवं परीक्षक के मध्य वैश्वासिक संबंधों का उल्लंघन होगा। आयोग द्वारा भी विभिन्न निर्णयों में यह मत व्यक्त किया गया है। इस प्रकरण में आयोग की राय में हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के प्राविधान प्रभावी होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 निम्नवत हैः

''इस अधिनियम के उपबन्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे''।

इस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम में वह सभी अधिनियम जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत होंगे निष्प्रभावी माने गये हैं जैसे कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 एवं उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट बोर्ड एक्ट 1921 जिसका उद्धरण दिया जा रहा है।

. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं वह 1980 में किये गये हैं जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा भी अमर ध्यानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं योगेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में क्रमशः 07/03/2006 एवं

02/03/2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि अमर ध्यानी या योगेश कुमार द्वारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध विशेष अपील या मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 प्रस्तुत की गयी है अथवा नहीं।

आयोग की राय में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) (छ) के अंतर्गत परीक्षक के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने से बचाने के लिए परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित हुये परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक नहीं है।

अपीलार्थी को उ0प्र0 इण्टरमीडिट एक्ट 1921 के अंतर्गत स्क्रूटनी की सुविधा प्राप्त है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा स्क्रूटनी की सुविधा का प्रयोग किया गया अथवा नहीं। अपीलार्थी को स्क्रूटनी की सुविधा के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थी जिसके संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 40 रू0 प्रति प्रश्न पत्र की दर से जमा करने पर प्रत्येक परीक्षार्थी को स्क्रूटनी कराने का अधिकार प्राप्त था।

शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि स्क्रूटनी परीक्षक की नियुक्ति से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षक की चरित्र पंजिका के आधार पर उसकी रिपोर्ट आख्या संतोषजनक हो जिन प्रकरणों में स्क्रूटनी करने पर अधिक अंक पाये जाते हैं ऐसे परीक्षकों के विरूद्ध शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

❖ ❖ ❖

अ–2036/ 2009 श्री किशोर मैठाणी बनाम लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 05/02/2010

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06/05/2009 को 4 बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु 10 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04/07/2009 को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रेषित की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 31/07/2009 के द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण किया गया जिसके द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून को एक सप्ताह के अंदर निःशुल्क पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश 31/07/2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा 03/11/2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

आयोग द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 18/01/2010 के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसमें उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को अपने आदेश 31/07/2009 की सूचना दे दी गयी थी। आयोग के समक्ष अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश 13/08/2009 को लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ।

लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून के द्वारा कथन किया गया कि देहरादून जनपद में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1553/XXIV(1)/2008-51/08, शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक), देहरादून, दिनांक 02 जनवरी, 2009 के अंतर्गत जनपद स्तर पर समायोजित किये जाने वाले शिक्षकों के संबंध में जनपद स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार से जनपद स्तर पर समिति के गठन की तिथि, समिति की बैठक एवं कार्यवाही की पंजिका की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या ग की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी।

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी श्री टीका सिंह अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 06/05/2009 के 4 बिन्दुओं के सापेक्ष अपीलार्थी को निर्धारित समय के अंतर्गत कोई भी सूचना नहीं दी गयी। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के समक्ष कथन किया गया कि देहरादून जनपद में इस प्रकार की कोई भी समिति का गठन नहीं किया गया है, यदि वास्तविक तथ्य इस प्रकार के थे तो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के द्वारा समयान्तर्गत इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना से अपीलार्थी को सूचित कर देना चाहिए था।

अपीलार्थी के द्वारा डा0 राकेश कुमार, सचिव, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2010 को जारी किये गये शासनादेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा जनपद स्तर पर समिति के गठन के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया था और इस संबंध में विधिवत नीति जारी की गयी थी। प्रश्नगत 02 जनवरी, 2009 के शासनादेश जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा सूचना मांगी गयी थी उसके सापेक्ष 08 जनवरी, 2010 को जो शासनादेश जारी किया गया है वह एक वर्ष बाद जारी किया गया है।

चूंकि अपीलार्थी को निर्धारित समय के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी दी गयी कि वह भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित समय के अंदर आवेदकों को सूचना उपलब्ध करा दी जाये। इस प्रकरण के अनुश्रवण में अपीलार्थी का जो समय व श्रम व्यय हुआ है उसके सापेक्ष लोक प्राधिकारी पर 1,000 रू0 (एक हजार रू0) की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी जिसका लोक प्राधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को एक माह के अंदर भुगतान किया जाना था और उसका प्रमाण आयोग को प्रेषित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

अपील संख्या अ–2223 / 2009 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / उप सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 08 / 02 / 2010

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22 / 09 / 2009 को 4 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून को 10 रू0 के पोस्टल आर्डर सहित आवेदन किया गया था। लोक सूचना अधिकारी / निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत उक्त अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं लोक सूचना अधिकारी, नागरिक सुरक्षा (सिविल एवियेशन) उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 29 / 09 / 2009 को अंतरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी श्री पी0एल0 शाह, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 08 / 10 / 2009 को बिन्दु संख्या 1 पर कोई सूचना न होने का आधार लिया गया एवं बिन्दु संख्या 2 एवं 3 पर सूचना उपलब्ध करा दी गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 08 / 10 / 2009 को उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होने पर अपीलार्थी द्वारा 13 / 10 / 2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, उच्च शिक्षा, सचिवालय, देहरादून के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06 / 01 / 2010 को अपील का निस्तारण किया गया एवं जो सूचनायें लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी उसे अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को विलम्ब से निस्तारित करने के संबंध में कथन किया गया कि 13 / 10 / 2009 को जो प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी थी वह उनके संज्ञान में 06 / 01 / 2010 को आयी और उसी दिन उनके द्वारा प्रथम अपील का निस्तारण कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि राज्य में सिक्किम, मनीपाल, पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी समेत कई राज्यों के सेंटर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित हो रहे हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत राज्य में स्थापित शिक्षा केन्द्रों के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से कोई नियम नहीं बने हैं। अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में संचालित हो रहे दूसरे राज्यों के अध्ययन केन्द्रों / आफ कैम्पस के संबंध में सूचनायें एकत्रित की गयी जिसकी एक प्रति आदेश के साथ संलग्न की गयी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 06 / 01 / 2010 को किये गये आदेश के क्रम में संलग्न किये गये अभिलेख अपीलार्थी को प्राप्त करा दिये गये थे। अपीलार्थी द्वारा सूचित किया गया कि लोकायुक्त द्वारा पत्रावली संख्या 46 (कानपुर) / 2006 पूनम सती बनाम सचिव, तकनीकी शिक्षा में दिनांक 17 जून, 2009 को पारित आदेश के अंतर्गत आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने के आदेश के साथ यह भी निर्देश दिये थे कि इस प्रकार के फर्जी संस्थाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त उक्त संस्थानों के विरूद्ध जांच करके आख्या शासन को प्रेषित की जाये।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को 04 फरवरी, 2010 को एफ.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट के संबंध में पत्र लिखा गया है जिसकी एक प्रति आज सुनवाई के समय अपीलार्थी और आयोग को उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने एफ.सी.आई. इन्स्टीट्यूट की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु कुलपति, पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी, जालन्धर को पत्र लिखा गया था।

अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 13 / 10 / 2009 को प्रथम अपील प्रार्थना पत्र को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर श्री एम0आर0 भट्ट, केन्द्रीयकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को प्राप्त कराया गया था जिसमें श्री एम0आर0 भट्ट के हस्ताक्षर हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष संबंधित व्यक्ति के द्वारा यदि समय पर डाक नहीं रखी गयी तो प्रथम अपीलीय अधिकारी उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

चूंकि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत विभागीय अपील का निस्तारण नहीं किया गया तथा 13/10/2009 को प्राप्त हुई अपील को 06/01/2010 में संज्ञान में आना बताया गया है जबकि 13/10/2009 को अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड सचिवालय के केन्द्रीयकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त कराया गया था इस प्रकार से समयान्तर्गत प्रथम अपील का निस्तारण न होने पर अपीलार्थी को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील करनी पड़ी। इस प्रकरण के अनुश्रवण में अपीलार्थी द्वारा जो समय व श्रम व्यय किया गया है उसके सापेक्ष लोक प्राधिकारी पर 1,000 रू0 (एक हजार रू0) की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी जिसका उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक माह के अंदर अपीलार्थी को भुगतान किया जायेगा और उसका प्रमाण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

❖ ❖ ❖

अ–2220 / 2009 श्री राम रतन रवि बनाम लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार सदर, देहरादून

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 15 / 03 / 2010

आयोग द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 25 / 02 / 2010 के माध्यम से विशेष अपील के संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक 15 / 03 / 2010 के माध्यम से सूचित किया गया है कि याचिका संख्याः 2233 / 08 में एकल न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई भी विशेष अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि जाति प्रमाण पत्र दिये जाने से पूर्व तहसील कार्यालय में लगे सूचना पट्ट पर जो सूचनायें आवेदकों से मांगी जा रही हैं वह निम्न शासनादेशों के व्यवस्था अनुसार मांगी जा रही हैं। जिसमें शासनादेश संख्याः 1540 / कार्मिक–2 / 03 दिनांक 29 मार्च, 2003 के प्रस्तर 3, जिसमें उल्लेख किया गया है कि **'' उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वॉछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनाधिकृत रूप से जारी किये गये प्रमाण पत्रों पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाय''।** शासनादेश संख्याः 135 / कार्मिक–2 / 2004 दिनांक 16 फरवरी, 2004 के प्रस्तर 4 जिसमें उल्लेख है कि **'' ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति के उत्तरांचल निवासी होने की समग्र छानबीन करेगा और प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा पूर्ण छानबीन किये बिना त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी''।** शासनादेश संख्याः 1301 दिनांक 22 जून, 2006 के प्रस्तर 1 जिसमें उल्लेख है कि **''कोई व्यक्ति यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो वह आवेदन पत्र के साथ भापथ–पत्र एवं जाति, उपजाति, जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग व मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु विहित किये गये हैं''।** उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर 2 में उल्लिखित है कि **'' उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवरण एवं आवेदन पत्र की समग्र जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जो कि तहसीलदार से निम्न स्तर का न हो, किये जाने के पश्चात संतुष्ट होने पर, जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा''।** शासनादेश संख्याः 1301 दिनांक 22 जून, 2006 में अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्गत किये गये जाति प्रमाण पत्रों की जांच उप जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से करने के पश्चात सत्यापन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में एक स्क्रूटनी कमेटी गठित किये जाने का प्राविधान रखा गया है जिसमें जिलाधिकारी को अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप जिला अधिकारी / परगना अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी (जिस विभाग में कार्यरत कार्मिक की जाति प्रमाण पत्र की शिकायत प्राप्त हो) सदस्य बनाये गये हैं। लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के अनुसार इसी प्रकार मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए शासनादेश संख्याः 2588 / एक–4 / सा.प्र. / 2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 के प्रस्तर 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तहसील कार्यालय में लगे सूचना पट्ट के माध्यम से आवेदकों से सूचनायें मांगी जा रही हैं।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के अनुसार तहसील प्रांगण में जो सूचना पट्ट लगे हैं उसमें बिन्दु संख्या 5 में लिविंग सार्टिफिकेट व अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं जो केवल ऐसे आवेदकों के लिए हैं जिनके पिता का जन्म राज्य से बाहर हुआ हो और वे अब इस राज्य में निवास कर रहे हैं जो लोग पहले से ही यहां के निवासी हैं उन्हें इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिन्दु संख्या 9 में आवेदक के माता / पिता सरकारी सेवा में है? यदि हां तो किस जनपद में, किस

विभाग में, किस पद पर तैंनात हैं से संबंधित दस्तावेज लगाने के निर्देश दिये गये हैं जो केवल ऐसे आवेदकों के लिए है जिन आवेदकों के माता–पिता सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में हैं जो कृषि या मजदूरी का कार्य करते हैं उन्हें उक्त दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के अनुसार यह सत्य है कि इस प्रकार का कोई स्पष्ट शासनादेश नहीं है जिसके अंतर्गत तहसील प्रांगण में लगे सूचना पट्ट में 10 बिन्दुओं पर आवेदकों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं लेकिन विभिन्न शासनादेशों में जाति प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्यक जांच करने के निर्देश दिये गये हैं इसलिए जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र दिये जाने से पूर्व इस प्रकार के दस्तावेजों की जांच करने हेतु आवश्यकता प्रतीत होती है।

लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में उपरोक्त जो भी शासनादेश हैं उसकी प्रतिलिपि 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें एवं उसके अनुपालन से आयोग को अवगत करायें।

यह सत्य है कि शासनादेश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व जांच अधिकारी को सम्यक जांच करने का अधिकार है लेकिन शासनादेश में स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व कौन–कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है व किन–किन दस्तावेजों के आधार पर इन प्रमाण पत्रों को निर्गत किया जाना चाहिए। तहसील स्तर पर सूचना पट्ट लगाकर उसके अनुसार आवेदकों से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं बिना शासनादेश के सम्भव है कि हर एक तहसील में अलग–अलग प्रकार के सूचना पट्ट लगे हों।

इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस संबंध में एक स्पष्ट नीति बनायें एवं शासनादेश में यह व्यवस्था करें कि जो जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं उन्हें निर्गत करने से पूर्व कौन–कौन से दस्तावेज आवेदकों को प्रस्तुत करने हैं एवं तहसील स्तर पर जो सूचना पट्ट लगाये गये हैं उसमें उन दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख हो जो आवेदकों से मांगे जाने हैं, जिससे सभी तहसीलों में लगे सूचना पट्टों में एकरूपता हो सके। क्योंकि इस प्रकार से हर एक तहसील स्तर पर अलग–अलग प्रकार के सूचना पट्ट जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक जांच किये जाने के नाम पर लगाये जा सकते हैं। आयोग की राय में सम्पूर्ण प्रान्त में इस प्रकार के सूचना पट्ट लगाये जाने के संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए और उसी नीति के अंतर्गत सभी तहसीलों में सूचना पट्ट लगे होने चाहिए। निर्देशित किया जाता है कि जिन–जिन तहसीलों में इस प्रकार के सूचना पट्ट लगे हों जो कि किसी शासनादेश के अनुसार नहीं लगाये गये हैं उनके स्थान पर ऐसे सूचना पट्ट लगाये जाये जो कि शासनादेश के अनुसार हों।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देश पर सूचित किया गया है कि जुलाई 2007 से दिसम्बर 2009 तक जनाधार कार्यालय से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 8096 प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं तथा 1676 आवेदन पत्र निरस्त किये गये जिनमें अपूर्ण साक्ष्य एवं पुष्ट अभिलेख पाये गये। इस संबंध में अवगत कराया गया है कि पूर्व में उत्तरा पोर्टल पर प्रमाण पत्र जारी किये जाते थे जो कि माह सितम्बर 2009 से बन्द होने के कारण उपरोक्त जारी जाति प्रमाण पत्रों की सूचना पृथक–पृथक रूप से दी जानी सम्भव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकार की सूचना अपीलार्थी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में पृथक–पृथक रूप से पहले ही दी जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अपीलीय अधिकारी / तहसीलदार सदर, देहरादून के द्वारा अपने आदेश दिनांक 26 / 12 / 2009 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार सदर, देहरादून को चेतावनी निर्गत की गयी है। आयोग द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 04 / 02 / 2010 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को विलम्ब से सूचना दिये जाने के संबंध में इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि क्यों न उनपर 250 रू0 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 5,000 रू0 की शास्ति आरोपित कर दी जाये?

लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार सदर, देहरादून के द्वारा उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जबाब में कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15 / 10 / 2009 को 4 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार सदर, देहरादून के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22 / 12 / 2009 को अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी गयी। अपीलार्थी को विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार सदर, देहरादून पर 2500 रू0 (ढाई हजार रू0) की शास्ति आरोपित की जाती है जिसे उनके अगले माह के वेतन से काटकर सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व खाते में जमा किया जायेगा एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त अर्थदण्ड की वसूली की प्रमाण आयोग को प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–2049/ 2009 श्री गोपाल डोगरा बनाम लोक सूचना अधिकारी/उप जिलाधिकारी, लक्सर

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 22/03/2010

आयोग द्वारा दिनांक 08/03/2010 को डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त, हरिद्वार एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा जो सूचनायें आयोग को प्रेषित की गयी हैं उन सभी सूचनाओं को अपीलार्थी को प्रेषित करें एवं उसके अनुपालन से आयोग को अवगत करायें।

डीम्ड लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देश पर जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी है उसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा आयोग को लिखित रूप में सूचित किया गया है कि वह उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट हैं। आयोग द्वारा पूर्व में भी निर्धारित किया जा चुका है कि आयोग आपस में समझौते के आधार पर प्रकरण को समाप्त नहीं कर सकता है जब एक बार दो पक्षों द्वारा समझौता कर दिया जाता है तो आयोग को यह देखना होता है कि वास्तव में जनहित में जो सूचनायें मांगी गयी हैं वह उपलब्ध करायी गयी हैं अथवा नहीं। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम किन्हीं दो लोगों के समझौते पर नहीं चलेगा बल्कि यह देखा जायेगा कि जनहित में सभी सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के आदेश की पालना हुई है अथवा नहीं।

अपीलार्थी द्वारा इस आशय की सूचना मांगी गयी थी उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों की 70 प्रतिशत नियुक्ति की जा रही है अथवा नहीं तथा उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोग हैं। आयोग द्वारा दिनांक 08/03/2010 को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को संबंधित शासनादेश को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे एवं साथ ही डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये गये थे कि वह हरिद्वार स्थित उद्योगों से पूछकर बतायें कि किस–किस श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त द्वारा कुछ उद्योगों से संबंधित आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को इन उद्योगो में रोजगार दिया जा रहा है। आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि उद्योगों द्वारा मात्र ठेकेदारों के साथ संविदा में लगे मजदूरों की नियुक्ति दिखाकर 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के आदेश की पालना की जा रही है, अन्य अधिकतर पदों पर बाहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया गया है इस प्रकार से उपलब्ध करायी गयी सूचना अपूर्ण है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित शासनादेश आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत शासनादेश संख्याः 429 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्याः 367 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 का आयोग द्वारा अवलोकन किया गया इन शासनादेशों में यह स्पष्ट नहीं है कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के संबंध में किस–किस कैडर के पदों पर उन्हें रोजगार दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकरण में सचिव, उद्योग को पक्षकार बनाते हुए निर्देशित किया जाता है कि अगली सुनवाई के समय आयोग के सम्मुख इस सम्बन्ध में मूल शासनादेश एवम् वास्तविक स्थिति से अवगत करायें।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–2115/ 2009 श्री ओंकार दीप सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसपुर

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 29/03/2010

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28/08/2009 को 10 रू0 का पोस्टल आर्डर संलग्न कर लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसपुर के सम्मुख 8 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15/09/2009 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर के समक्ष दिनांक 05/10/2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर के द्वारा दिनांक 06/11/2009 को प्रथम अपील का निस्तारण किया गया एवं बिन्दु संख्या 5, 6, 9 एवं 10 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसपुर को निर्देशित किया गया कि वह वांछित सूचना एक सप्ताह के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायें। इससे पूर्व लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 12/10/2009 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 5, 6, 9 एवं 10 की सूचना उपलब्ध करायी गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01/12/2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 28/08/2009 में बिन्दु संख्या 10 की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि '' तत्कालीन प्रधानाध्यापिका के पत्र संख्या 332 दिनांक 03/11/99 में वर्णित पत्र संख्याः 3811–13 /वि0म0जर्जर/90–2000 दिनांक 30/10/99 की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें''। इसकी सूचना न तो लोक सूचना अधिकारी एवं न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा कथन किया गया था कि यह पत्र काफी खोजबीन के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूर्व प्रधानाध्यापिका के प्रतिनिधि उनके पुत्र श्री पंकज कुमार के अनुसार उक्त पत्र श्रीमती मंदीप कौर जो कि उस समय ग्राम प्रधान थी और अपीलार्थी की माता हैं को भेजा गया था। अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष पत्रांकः 332/भवन निर्माण/99–2000 दिनांक 03/11/99 की कार्बन कापी प्रस्तुत की गयी। यह पत्र प्रधानाध्यापिका द्वारा दिनांक 03/11/99 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, करनपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला उधमसिंहनगर को लिखा गया था इस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्रांक संख्या 3811–13/वि0म0 जर्जर/99–2000 दिनांक 30/10/99 के अनुपालन में विद्यालय भवन के पुनःनिर्माण हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उधमसिंहनगर द्वारा छियानब्बे हजार की धनराशि जो प्राप्त हुई थी उस धनराशि का चैक ग्राम निधि ग्राम पंचायत करनपुर के नाम जारी कर दिया गया है।

आयोग द्वारा दिनांक 11/03/2010 को लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसपुर को निर्देशित किया गया था कि वह बिन्दु संख्या 10 के क्रम में पत्रांकः 3811–13/वि0भ0जर्जर / 99–2000, दिनांक 30/10/99 की सत्यप्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध करायें। इससे पूर्व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 06/11/2009 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को इस पत्र की फोटोकापी अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। आयोग द्वारा दिनांक 11/03/2010 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर के निर्देश के बाबजूद बिन्दु संख्या 10 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसपुर को कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि क्यों न उनपर 250 रू0 प्रतिदिन की दर से 5,000 रू0 की शास्ति आरोपित कर दी जाये?

आयोग के निर्देश दिनांक 11/03/2010 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांकः 3811—13 /वि0भ0जर्जर/99—2000 दिनांक 30/10/99 की सत्यप्रतिलिपि आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं कथन किया गया कि उक्त पत्र उनके द्वारा डाक के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया है जिसका साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त पत्र काफी दिन पूर्व गुम हो गया था जो काफी खोजबीन करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आयोग के निर्देश पर उक्त पत्र को ढूंढने का प्रयास किया गया एवं पत्र प्राप्त होने पर उसकी सत्यप्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गयी।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28/08/2009 को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया था जिसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा लगभग 7 माह बाद उपलब्ध करायी गयी जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस के जबाब में विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। क्योंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा काफी समय से गुम अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है इसलिए कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित 5000 रू0 की शास्ति के स्थान पर लोक सूचना अधिकारी पर 2500 रू0 (ढ़ाई हजार रू0) की शास्ति आरोपित की जाती है जिसे विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा उनके अगले माह के वेतन से काटकर सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व खाते में जमा किया जायेगा एवं वसूली का प्रमाण आयोग को भी प्रेषित किया जायेगा।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–2271 / 2009 श्री पंकज सिंह क्षेत्री बनाम लोक सूचना अधिकारी / पैट्रोलियम विश्वविद्यालय, देहरादून

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 29 / 03 / 2010

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03 / 07 / 2009 को 4 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु 10 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ लोक सूचना अधिकारी, पैट्रोलियम विश्वविद्यालय, देहरादून को आवेदन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22 / 10 / 2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक 22 / 10 / 2009 के पत्र के आधार पर दिनांक 28 / 10 / 2009 को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना दिनांक 28 / 10 / 2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29 / 12 / 2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया कि बिन्दु संख्या 4 की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16 / 02 / 2010 को अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 4 पर इस आशय की सूचना उपलब्ध करायी गयी कि पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति दिनांक 01 / 02 / 07 के आधार पर गुडगांव (हरियाणा) एवं वेलुगुबन्द राझमुन्दरी (आन्ध्रा प्रदेश) में अपने दो क्षेत्रीय केन्द्र खोले गये जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में संशोधन होने के कारण अब बन्द कर दिया गया है।

आयोग के निर्देश 10 / 03 / 2010 के क्रम में अपीलार्थी को इस आशय की सूचना आयोग के समक्ष उपलब्ध करायी गयी कि जो क्षेत्रीय केन्द्र खोले गये थे व बन्द किये गये थे वह किसकी अनुमति से वह कितनी–कितनी तारीख को खोले गये व बन्द किये गये थे।

लोक प्राधिकारी को दिनांक 10 / 03 / 2010 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि क्यों न विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी को जो समय व श्रम इस प्रकरण के अनुश्रवण में व्यय करना पड़ा है उसके सापेक्ष लोक प्राधिकारी पर दस हजार रू0 की क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु आरोपित कर दी जाये।

लोक प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस के जबाब में विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने का कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03 / 07 / 2009 को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु मूल प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी / पैट्रोलियम विश्वविद्यालय, देहरादून को प्रेषित किया गया था जिसे विश्वविद्यालय के कर्मचारी श्री वी0एस0 तोमर द्वारा दिनांक 03 / 07 / 2009 को मोहर लगाकर प्राप्त किया गया। जब उक्त पत्र के सापेक्ष अपीलार्थी को कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई तो अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22 / 10 / 2009 को पैट्रोलियम विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि उनके समक्ष कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी का इंचार्ज होने के आधार पर दिनांक 28 / 10 / 2009 को अपीलीय अधिकारी के नाते अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी जबकि उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया गया था।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई भी सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करायी गयी, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी गयी। आयोग का नोटिस प्राप्त होने के बाद दिनांक 16 / 02 / 2010 को अपीलार्थी को जो अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह श्री के0बी0 लाल के द्वारा उपलब्ध करायी

गयी है न कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 30/07/2009 को लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त न होना बताया गया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र को पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के कर्मचारी श्री वी0एस0 तोमर द्वारा मोहर लगाकर प्राप्त किया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में लगे नोटिस बोर्ड में प्रथम अपीलीय अधिकारी के छूट्टी पर होने पर लोक सूचना अधिकारी ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी का कार्य देखेंगे ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

लोक प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपीलार्थी को विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराये जाने का संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है जिस कारण लोक प्राधिकारी/पेट्रोलियम विश्वविद्यालय पर 5000 रू0 (पांच हजार रू0) की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की जाती है जिसका लोक प्राधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर अपीलार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं उसके अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–2465 / 2009 श्री हीरा बल्लभ गहतोड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी, लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 31 / 03 / 2010

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22 / 08 / 2009 को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी, लमगड़ा के समक्ष 10 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर संलग्न कर आवेदन किया गया कि ''श्रीमती यशोदा गहतोडी स0अ0 द्वारा दिनॉक 08 / 06 / 09 को रा0इ0का0 कनरा में योगदान सूचना देने के फलस्वरूप उनका वेतन माह जून 2009 से रा0इ0का0 कनरा से आहरित किया जा रहा हैं। श्रीमती गहतोडी ने वेतन से सीधी बचत योजना के अन्तर्गत 500.00 प्रति माह 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता माह जून 2006 में आपके अधिष्ठान में खोला था, आपके अधिष्ठान से जून 2009 तक प्रति माह वेतन से कटौती कर मासिक किस्तें जमा की जा रही होगी, इस आवर्ती खाते की पास बुक आज तिथि तक रा0 इ0 का0 कनरा में उपलब्ध नही हो पाई है, जिस कारण माह जुलाई 09 से उक्त आवर्ती जमा खाते में मासिक किस्तें जमा नही हो पा रही हैं। उक्तानुसार किसी स्थानान्तरित / समायोजित कर्मचारी की आर0डी0पास बुक के उसके कार्यमुक्त / योगदान तिथि एवं सम्बन्धित के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से दो माह या अधिक समय तक उसके स्थानान्तरित / समायोजित विद्यालय को न भेजने से सम्बन्धित नियम एवं शासनादेश की प्रति तथा अल्प बचत योजना के अन्तर्गत इस बावत यदि कोई नियम / धारा है, तो उस नियम / धारा की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें''। जिसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी, लमगड़ा द्वारा दिनांक 31 / 08 / 2009 को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होकर अपीलार्थी दिनांक 09 / 11 / 2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पहले 09 / 12 / 2009 एवं बाद में दिनांक 15 / 12 / 2009 की तिथि सुनवाई हेतु निश्चित की गयी जिससे पूर्व दिनांक 14 / 12 / 2009 को लोक सूचना अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में अपना अभिकथन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17 / 12 / 2009 के माध्यम से अपील का निस्तारण किया गया जिसमें अभिकथन किया गया कि लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिनांक 14 / 12 / 2009 को प्राप्त करके अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी हैं जिसे लोक सूचना अधिकारी स्वयं लाये थे व हाथोंहाथ अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया है, अपीलार्थी सूचना प्राप्ति से संतुष्ट थे। लेकिन बाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण 17 / 12 / 2009 से संतुष्ट न होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11 / 02 / 2010 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में अपीलार्थी को यह सूचना दी गयी है कि अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से दो माह या अधिक समय तक उसके स्थानान्तरित / समायोजित विद्यालय को न भेजने से सम्बन्धित कोई नियम / शासनादेश नहीं है जिस कारण उन्हें इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

किसी स्थानान्तरित / समायोजित कर्मचारी की आर0डी0 पासबुक के उसके कार्यमुक्त / योगदान तिथि एवं सम्बन्धित के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से दो माह या अधिक समय तक उसके स्थानान्तरित / समायोजित विद्यालय को न भेजने से सम्बन्धित नियम एवं शासनादेश की प्रति मांगने का अपीलार्थी का आशय यह था कि विभाग द्वारा स्थानान्तरित कर्मचारी की पासबुक रा0इ0का0, कनरा को 31 / 08 / 2009 को प्रेषित की गयी। विभाग द्वारा यह कथन किया गया कि श्रीमती यशोदा गहतोड़ी का मार्च 2009 का वेतन आहरित नहीं किया गया था इसलिए संबंधित माह की किश्त आर0डी0 पासबुक में जमा नहीं की जा सकी। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि यह किश्त उनके द्वारा नकद विभाग में जमा की गयी थी, अपीलार्थी का यह भी कथन है कि विभागीय लापरवाही के कारण श्रीमती यशोदा गहतोड़ी को लगभग 4500 रू0 का नुकसान हुआ है।

यह ठीक है कि मांगी गयी सूचना के संबंध में कोई शासनादेश या नियम नहीं है लेकिन ऐसे भी कोई नियम नहीं हो सकते है कि किसी कर्मचारी के संबंध में असत्य सूचना दी जाये जबकि उनके द्वारा 500 रू0 आर0डी0 के संबंध में जमा किया गया था। लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि आवर्ती बचत खाते में माह मार्च के अतिरिक्त अन्य माह की किश्त की अंकना

करने हेतु पासबुक प्रधान डाकघर अल्मोड़ा भेजी गयी थी जिसकी अद्यतन अंकना नहीं की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो उपरोक्त कारण अपीलार्थी को बताये गये हैं इस संबंध में विभाग द्वारा डाकघर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और क्या उनके द्वारा डाकघर को कोई स्मृति पत्र भेजा गया है यह स्पष्ट नहीं है।

एक कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करना विभागाध्यक्ष का काम है। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आधी अधूरी सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं, अपीलार्थी का कथन है कि वह उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट नहीं हैं और न ही वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट थे। अपीलार्थी द्वारा माह मार्च, 2009 की किस्त विभाग में जमा करने के बाबजूद विभाग द्वारा माह मार्च, 2009 की किस्त आर0डी0 में जमा नहीं की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी की पासबुक प्रधान डाकघर अल्मोड़ा से प्राप्त कर उसमें अभी तक की सभी प्रविष्टियां अंकित कराकर अपीलार्थी को सूचित करें और अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने से अपीलार्थी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जांचोपरान्त संबंधित से अपीलार्थी को करवायें।

❖ ❖ ❖

अपील संख्या अ–2199/ 2009 श्री कोमल बनाम लोक सूचना अधिकारी/डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून

समक्ष : विनोद नौटियाल, सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

दिनांक 31/03/2010

आवेदक (प्रथम अपीलीय अधिकारी) द्वारा दिनांक 26/02/2010 को इस आशय का पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आयोग कार्यालय को दिनांक 06 मार्च, 2010 को प्राप्त हुआ इस प्रार्थना पत्र में अपील संख्या अ– 2199/2009 श्री कोमल बनाम लोक सूचना अधिकारी/डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/02/2010 को वापस लिये जाने का निवेदन किया गया है।

आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उद्देश्य से आवेदक (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक 31/03/2010 की तिथि निश्चित की गयी।

पुनर्विचार प्रार्थना पत्र में प्रथम अपीलीय अधिकारी/ सचिव, बोर्ड ऑफ मैनेजमेण्ट द्वारा आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/02/2010 को इस आधार पर वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी पर 2500 रू0 (ढ़ाई हजार रू0) की शास्ति आरोपित की गयी है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी पर शास्ति आरोपित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) में प्राविधान है कि **''यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे''।** इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(5) में प्राविधान है कि **''कोई अधिकारी, जिससे उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जायेगा''।**

इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी/प्राचार्य, डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून को दिनांक 24/08/2009 को सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस संबंध में पत्रांक संख्याः DBS/RTI/ 2009/549 दिनांक 19/09/2009 के माध्यम से अपीलार्थी श्री कोमल को सूचित किया गया था कि '' उनके द्वारा प्रबन्ध समिति से आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के क्रम में सूचना मांगी गयी है जिसे प्राप्त होने पर आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा''। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी/प्रबन्ध समिति से धारा 5(4) के अंतर्गत सूचना मांगी गयी थी, उक्त पत्र के क्रम में प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गयी। जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी तो अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03/10/2009 को अपीलेन्ट पब्लिक इन्फारमेशन ऑफिसर द्वारा प्राचार्य, डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गयी, इस पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, मात्र दिनांक 23/10/2009 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को कानपुर आकर अभिलेखों के निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये, अपीलार्थी द्वारा इस पत्र के प्राप्त होने से मना किया गया है। जो पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनर्विचार प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित किया है उसमें भी देहरादून के स्थान पर कानपुर में आकर अभिलेखों का निरीक्षण करने को कहा गया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18/12/2009 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी को दिनांक 18/01/2010 को आधी अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी। आयोग के निर्देश दिनांक 25/01/2010 पर भी बिन्दु संख्या 4 एवं 7 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग

द्वारा अपीलीय अधिकारी, प्रबन्ध समिति, डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून जिनसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19/09/2009 को सूचनाओं के संबंध में धारा 5(4) के अंतर्गत सहायता मांगी गयी थी, को विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि क्यों न उनपर 250 रू0 प्रतिदिन की दर से 5,000 रूपये की शास्ति आरोपित कर दी जाये। जिसके जबाब में विलम्ब का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, आयोग द्वारा उदारता का परिचय लेते हुए 5000 रू0 के स्थान पर 2500 रू0 की शास्ति आरोपित की गयी।

धारा 5(4) के अंतर्गत किसी भी लोक सूचना अधिकारी को किसी ऐसे अधिकारी से सहायता मांगने का अधिकार है जिसके पास सूचना उपलब्ध हो सकती है। लोक सूचना अधिकारी को धारा 6(3) के अंतर्गत भी इस प्रकार की सूचना को अंतरित करने का प्राविधान है लेकिन इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरण न कर धारा 5(4) में सचिव, प्रबन्ध समिति से सूचना उन्हें उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायता मांगी गयी। सचिव, प्रबन्ध समिति, डी0बी0एस0 कालेज द्वारा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 19/09/2009 का कोई उत्तर नहीं दिया गया और ना ही कोई सूचना प्रेषण करने में सहायता प्रदान की गयी। अधिनियम की धारा 5(5) में स्पष्ट प्राविधान है कि ऐसे अधिकारी जिससे सूचना देने में सहायता मांगी जाये और वह सहायता प्रदान न करे उसे भी लोक सूचना अधिकारी माना जायेगा। जिसका अर्थ यह है कि ऐसे अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी की भांति धारा 20 (1) के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है।

सचिव, प्रबन्ध समिति जो प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03/10/2009 को प्रथम अपील प्रेषित की गयी थी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इसका निस्तारण भी नहीं किया गया। मूल प्रार्थना पत्र के सापेक्ष जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18/01/2010 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी हैं। प्रथम अपील के सापेक्ष प्रबन्धक द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी और ऐसा प्रयास किया गया कि अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त न हो सके और न ही वह संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके। अन्यथा प्रबन्धक अपने 23/10/2009 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को कानपुर आकर संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने की सूचना न देते। कालेज देहरादून में स्थित है और अपीलार्थी को अभिलेखों के निरीक्षण हेतु कानपुर बुलाया जा रहा है यह एक प्रकार से सूचना प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करना माना जायेगा। प्रबन्धक, डी0बी0एस0 कालेज द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) व 20(2) में लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति आरोपित करने एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति करने का प्राविधान है लेकिन विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचना विलम्ब से देने, सूचना न देने या सूचना देने में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कोई दण्ड या विभागीय कार्यवाही का प्राविधान नहीं होगा ऐसा इस अधिनियम को बनाने वालों का आशय यह नहीं रहा होगा '' कहा जाता है कि अपील मात्र वाद की निरन्तरता बनाये रखना ही है''। यह कैसे हो सकता है एक लोक सूचना अधिकारी यदि एक सप्ताह का विलम्ब करे तो उसे 250 रू0 से लेकर अधिकतम 25,000 रू0 तक की शास्ति आरोपित कर दी जाये एवं एक विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण निश्चित अवधि के अंदर न करे या तीन माह से अधिक समय का विलम्ब अपील के निस्तारण में करे तो उसे शास्ति आरोपित न की जाये और न ही उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाये। यह तो एक प्रकार से खुला भेदभाव है इस प्रकार का भेदभाव की मंशा अधिनियम बनाने वालों द्वारा नहीं रही होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) में लोक सूचना अधिकारी एवम् धारा 5(2) में सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करने का जिस प्रकार का प्राविधान है उस प्रकार का प्राविधान विभागीय अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करने का अधिनियम में नहीं है। ऐसे में कोई भी विभागीय अपीलीय अधिकारी यह कह सकता है कि उन्हें किस प्राविधान के अंतर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? इस प्रकरण में सचिव, प्रबन्ध समिति, डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून को किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है बल्कि प्रबन्धक द्वारा खुद ही लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अर्थात स्वयं को नियुक्त किया गया है। इसका आशय यह है कि अधिनियम में प्राविधान न होने पर भी ऐसा किया गया है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 20 (1) व 20 (2) में मात्र लोक सूचना अधिकारी को दण्डित या विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति का प्राविधान अपीलीय अधिकारी के संबंध में भी माना जायेगा। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को अधिनियम में शास्ति आरोपित न करने एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति न करने के संबंध में कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है।

आयोग को अधिनियम की धारा 19 (8) के अंतर्गत भी निम्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैंः—

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैंः—

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया हैय

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करनाय

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करनाय

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करनाय

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ानाय

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करानाय

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करनाय

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

अपीलीय अधिकारी / प्रबन्धक, डी0बी0एस0 कालेज द्वारा दिनांक 16 / 02 / 2010 को पारित आदेश को वापिस लेने का अनुरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी पर शास्ति आरोपित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम एवम् धारा 27 के अंतर्गत बनाये गये नियमावली के नियम के अंतर्गत भी स्पष्ट प्राविधान है कि आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है। यदि पुनर्विचार करने का कोई प्राविधान होता भी तो इस प्रकरण में पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25 / 01 / 2010 को दिये गये कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है, आयोग द्वारा पहले ही उदारता का परिचय देते हुए जो 5000 रू0 की शास्ति आरोपित करने का कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसके स्थान पर 2500 रू0 की शास्ति आरोपित की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाये गये उत्तराखण्ड सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2007 की धारा 19 में स्पष्ट किया गया है कि **आयोग का आदेश अंतिम होगाः आयोग के आदेश / निर्णय के विरूद्ध किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण या पुर्नपरीक्षण** नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त आधार पर आयोग द्वारा पुनः प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया गया।

❖ ❖ ❖

सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों
का
संख्यात्मक विवरण

अध्याय : 4

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

लोक प्राधिकारियों के स्तर से प्राप्त प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण निम्नवत् ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

5.1 विभिन्न लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

आलोच्य वर्ष में राज्य के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 27311 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 22203 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विद्यालयी शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 3861 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये. राज्य पुनर्गठन विभाग को सबसे कम सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को इस वर्ष एक भी सूचना आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

5.2 आयोग को लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

आलोच्य वर्ष में प्राप्त द्वितीय अपीलों के जनपदवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे अधिक द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं. इसके बाद राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा शहरी विकास विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी. राज्य सम्पत्ति विभाग, निर्वाचन विभाग, विधान सभा तथा नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित द्वितीय अपीलों की संख्या न्यून रही.

5.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

आलोच्य वर्ष में जनपद देहरादून से सर्वाधिक (44 प्रतिशत) द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं तथा इसके उपरांत हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं. उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत, जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों का प्रतिशत अत्यंत न्यून रहा।

5.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

विगत वर्षों की भांति आलोच्य वर्ष में भी पुरूषों द्वारा ही अधिकतम (92 प्रतिशत) द्वितीय अपीलें आयोग को प्रेषित की गयी. महिलाओं द्वारा अधिनियम का प्रयोग अभी भी सीमित संख्या में किया जा रहा है।

5.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

आलोच्य वर्ष में नगरीय क्षेत्रों से 77 प्रतिशत द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं. इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 23 प्रतिशत द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं. ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त द्वितीय अपीलों में विगत वर्ष की अपेक्षा 2 प्रतिशत की वृद्धि भी इस वर्ष दर्ज की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे – धीरे अधिनियम का प्रयोग बढ़ रहा है.

5.6 आयोग में धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि बागेश्वर तथा रूद्रप्रयाग जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है.

5.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

द्वितीय अपीलों के विपरीत महिलाओं द्वारा अधिनियम की धारा 18 का प्रयोग में एक प्रतिशत अधिक किया गया है. पुरूषों द्वारा ही अधिकतम 91 प्रतिशत शिकायतें आयोग को प्रस्तुत की गयी हैं.

5.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को इस आलोच्य वर्ष में कुल 29 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं जो इन क्षेत्रों से प्राप्त द्वितीय अपीलों से अधिक है।

❖ ❖ ❖

विभिन्न लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या (2009 – 2010)

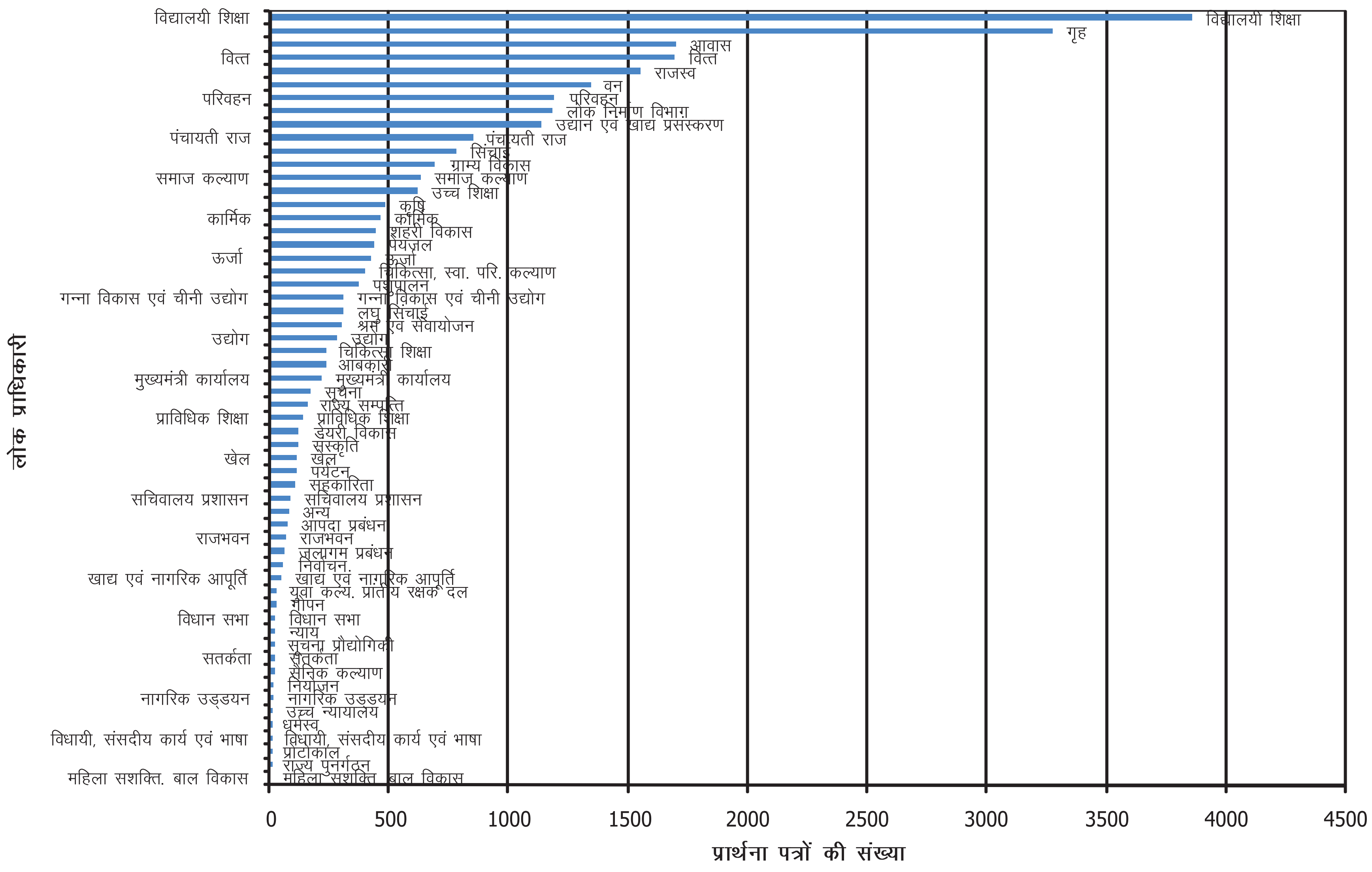

आयोग को लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2009 – 2010)

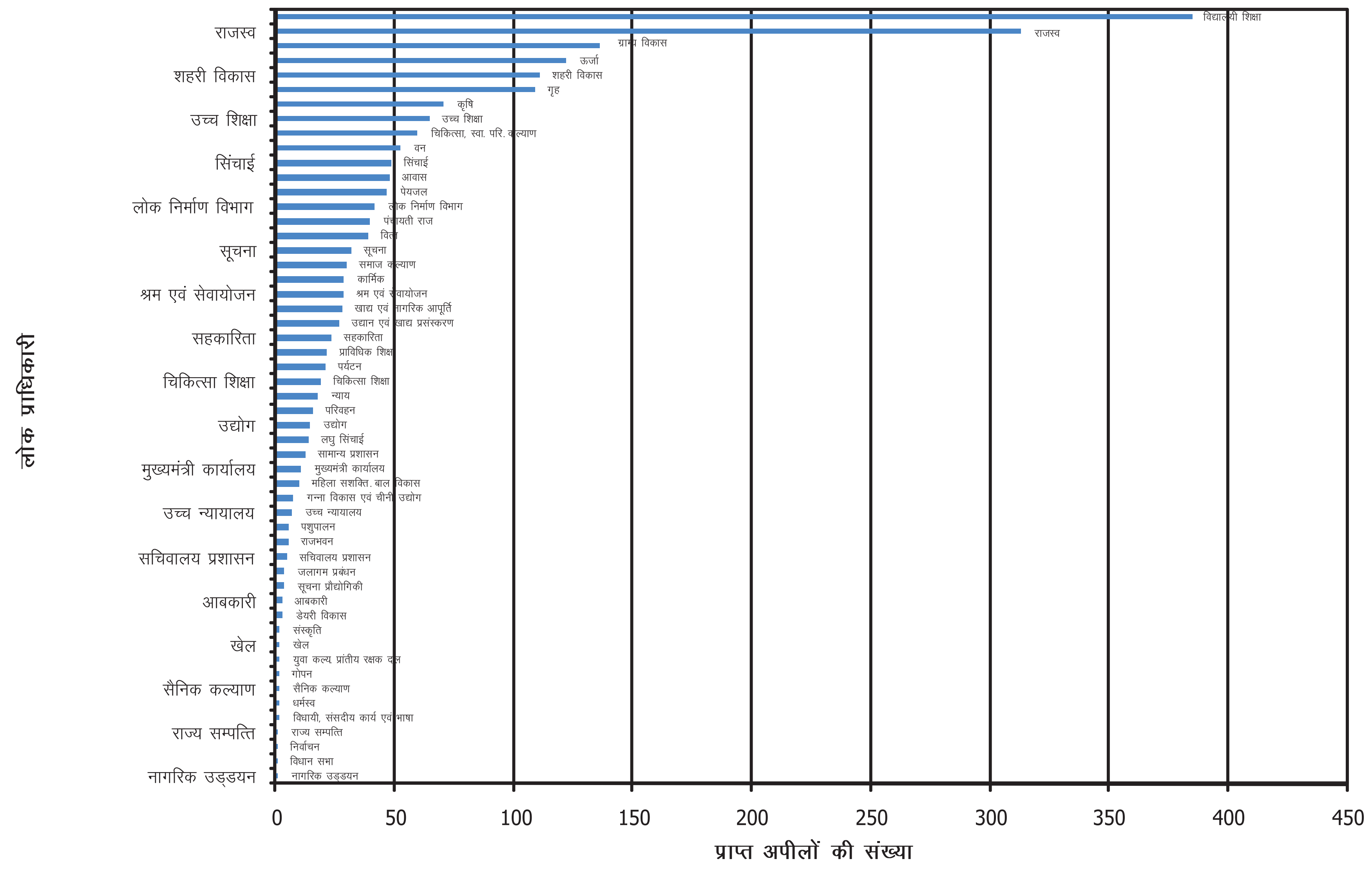

आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत (2009 – 10)

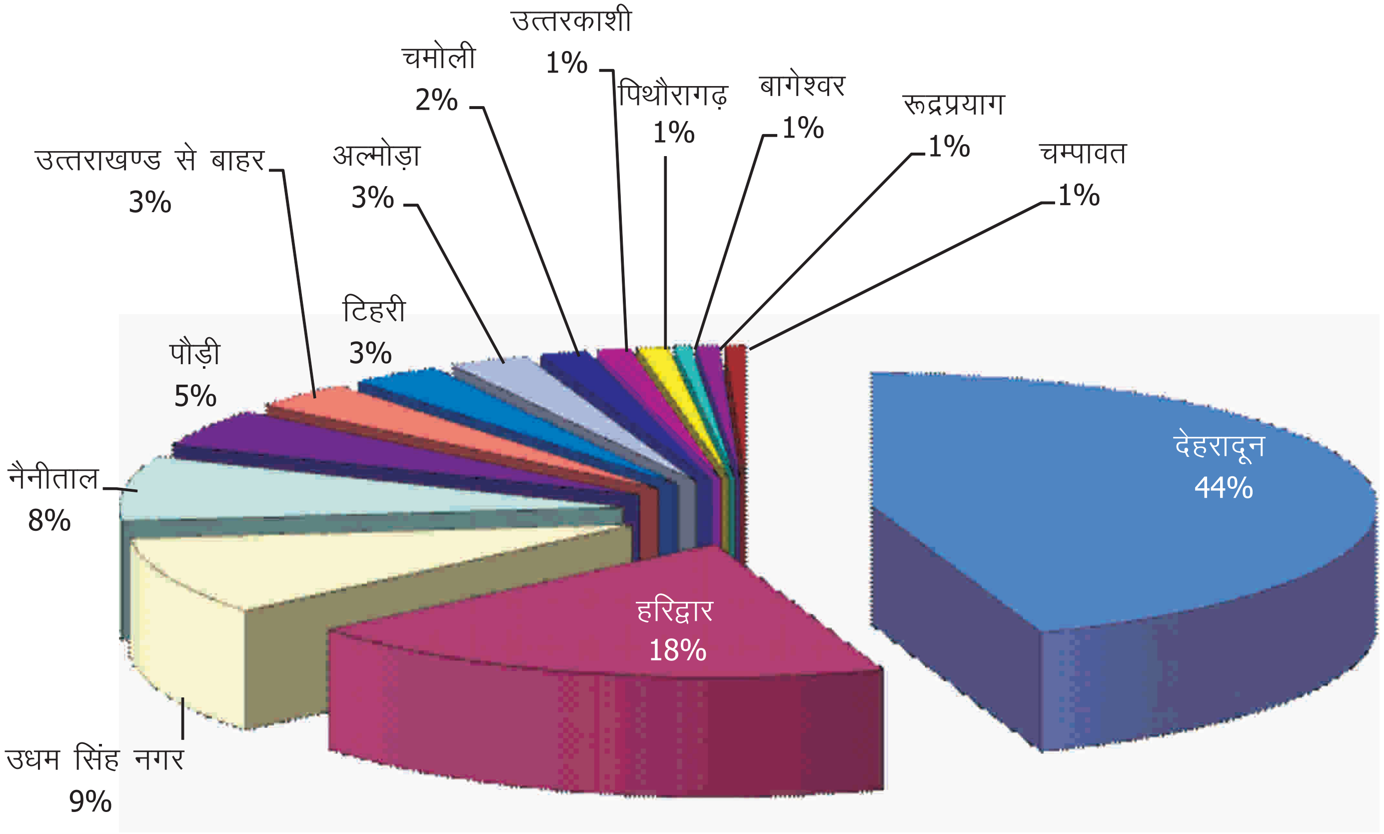

आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत (2009 – 2010)

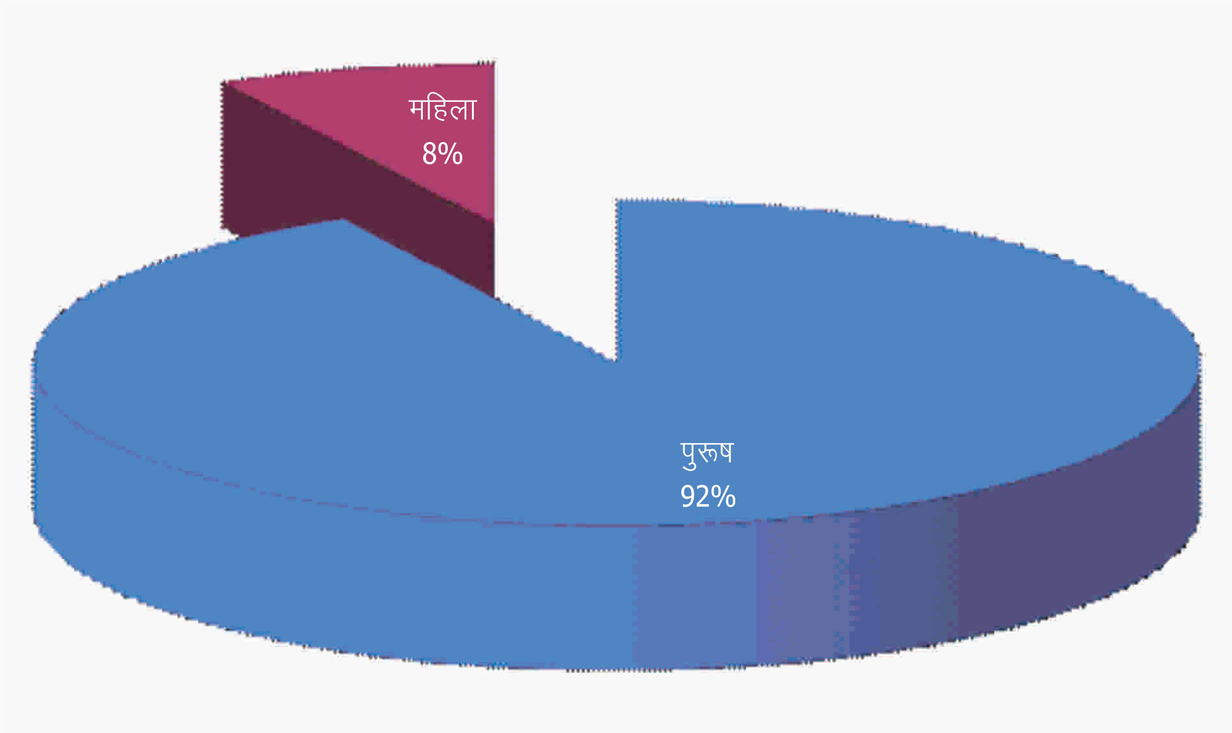

आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत (2009 – 2010)

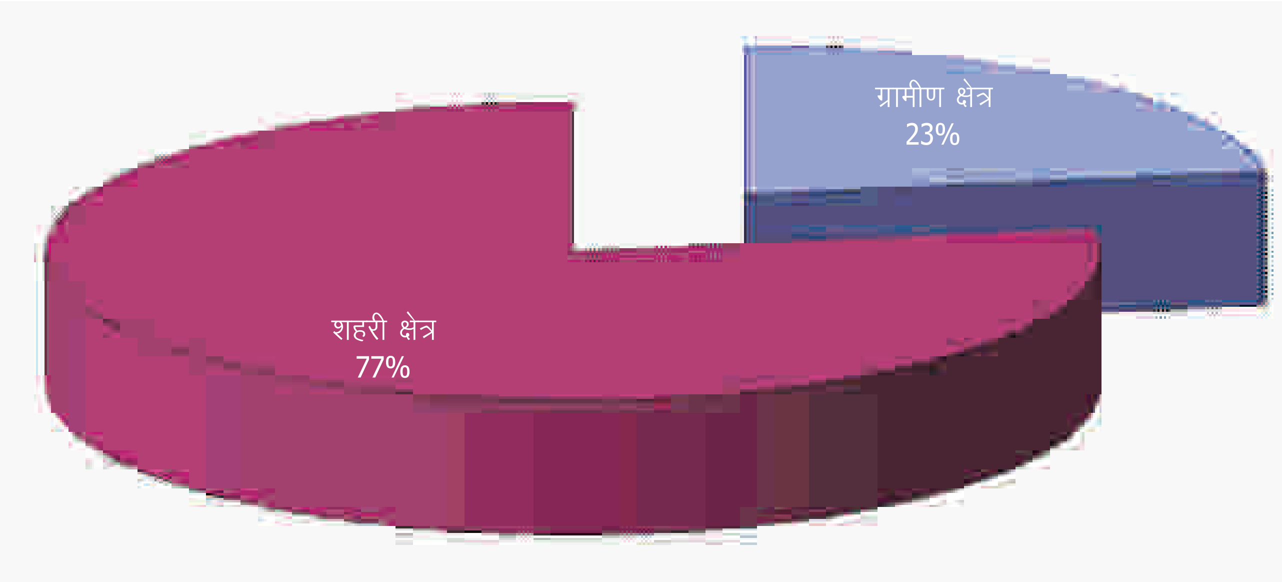

आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत (2009 – 10)

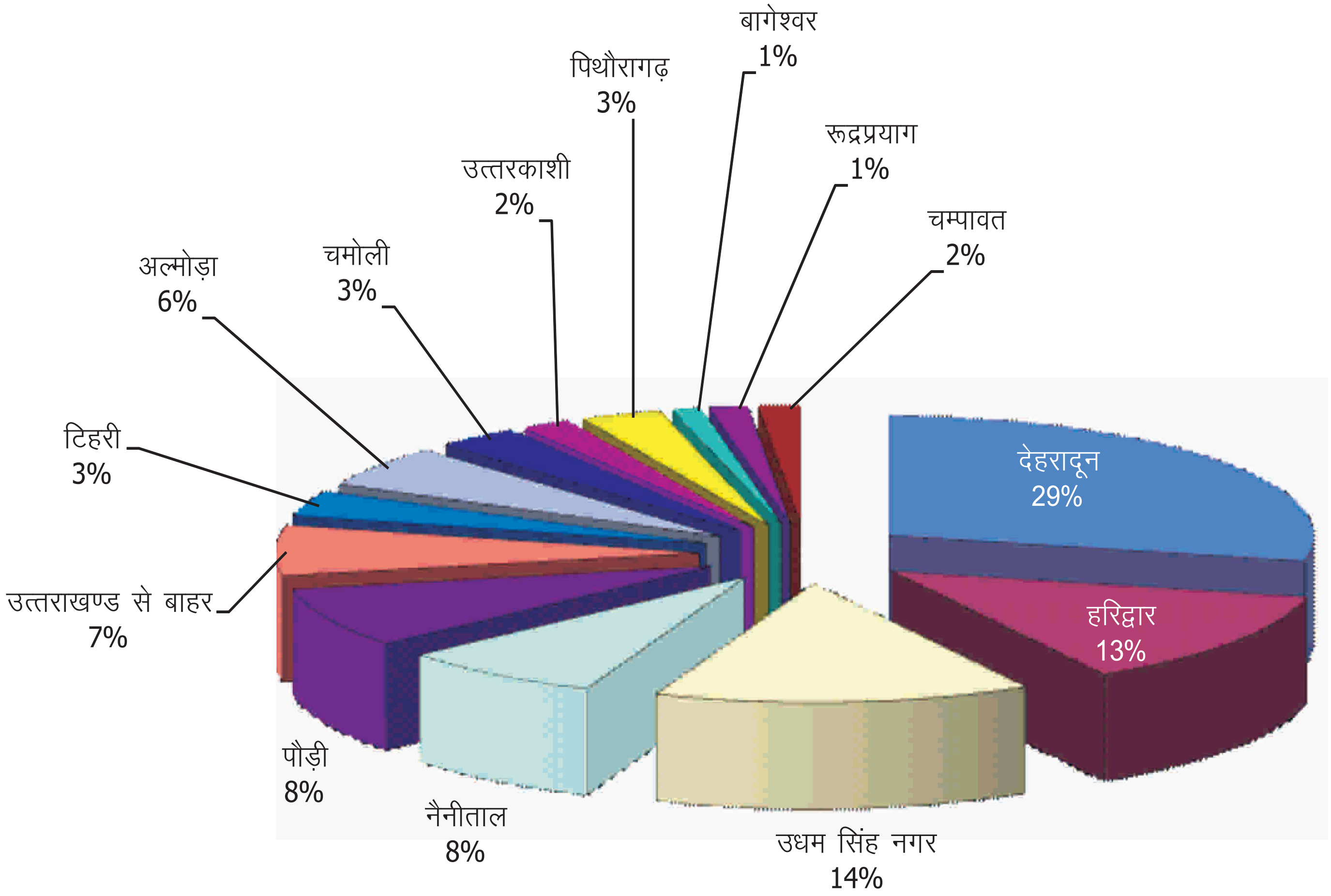

आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत (2009 – 2010)

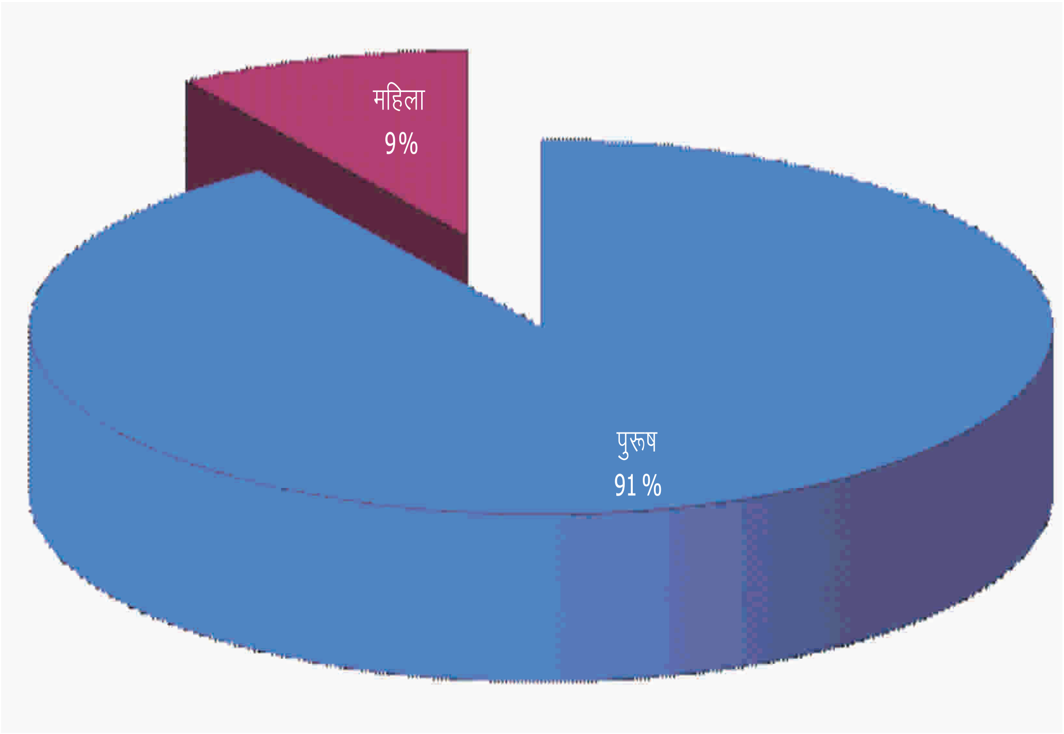

आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत (2009 – 2010)

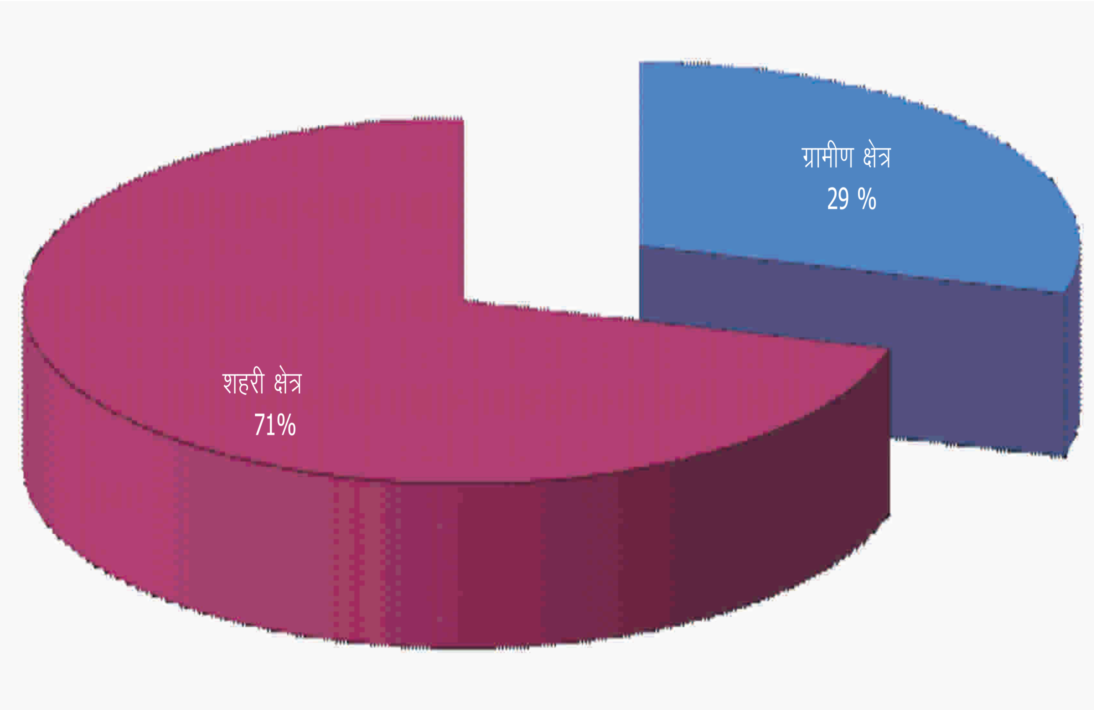

जनपदस्तरीय लोक सूचना अधिकारियों को जनपदवार प्राप्त आवेदन पत्र एवं उनका निस्तारण

वर्ष 2009 — 10

क.	जनपद	वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निस्तारित आवदेन पत्रों की संख्या	कितने आवेदन पत्रों में प्रार्थियों को सूचना दी गयी	कितने आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया
1	अल्मोड़ा	1027	1026	957	
2	हरिद्वार	3837	3665	3659	159
3	चमोली	759	874	730	1
4	पौड़ी	1775	1774	1771	1
5	टिहरी	433	426	426	7
6	रूद्रप्रयाग	609	609	598	
7	उत्तरकाशी	688	684	672	15
8	चम्पावत	523	522	512	9
9	बागेश्वर	740	740	697	3
10	पिथौरागढ़	682	680	679	3
11	उधम सिंह नगर	627	627	627	
12	देहरादून	4386	4386	4386	
13	नैनीताल	970	969	930	1
	कुल योग	17056	16982	16644	199

*उपरोक्त में सचिवालय स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मुख्यालय स्तर, विश्वविद्यालय, संस्थान आदि के लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त आवेदन पत्र सम्मिलिन नहीं है।

जनपदस्तरीय प्रथम अपीलीय अधिकारियों को जनपदवार प्राप्त प्रथम अपील एवं उनका निस्तारण

वर्ष 2009 – 10

क.	विभाग का नाम	वर्ष में प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	कितनी प्रथम अपीलों को स्वीकार कर सूचना प्रदान की गयी	कितनी प्रथम अपीलों को निरस्त किया गया
1	अल्मोड़ा	66	69	69	
2	हरिद्वार	374	374	293	86
3	चमोली	78	79	79	2
4	पौड़ी	137	137	114	23
5	टिहरी	79	77	77	2
6	रूद्रप्रयाग	36	36	36	
7	उत्तरकाशी	65	64	62	2
8	चम्पावत	21	21	21	
9	बागेश्वर	97	97	75	9
10	पिथौरागढ़	32	32	32	
11	उधम सिंह नगर	75	75	34	41
12	देहरादून	271	267	267	
13	नैनीताल	83	83	83	
	कुल योग	1414	1411	1242	165

* उपरोक्त में सचिवालय स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मुख्यालय स्तर, विश्वविद्यालय, संस्थान आदि के प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम अपील सम्मिलिन नही है।

क. सं.	विभाग	प्रगति विवरण (2009 – 2010)				
		प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किये गये अनुरोधों की संख्या	ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किये गये थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था	पुनर्विलोकन के लिए उत्तराखण्ड सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गयी अपीलों की संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियां	इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गयी प्रभारों की रकम (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	483	0	13	0	7899
2	पशुपालन	373	0	2	0	19769
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	222	0	4	0	2230
4	नागरिक उड्डयन	18	0	1	0	0
5	गोपन	30	0	3	0	154
6	सहकारिता	109	0	20	0	520
7	संस्कृति	121	0	1	0	2070
8	डेयरी विकास	126	0	1	0	2983
9	आपदा प्रबंधन	78	0	1	0	220
10	पेयजल	441	0	19	0	6142
11	उच्च शिक्षा	624	0	44	0	6764
12	विद्यालयी शिक्षा	3861	0	244	0	38565
13	प्राविधिक शिक्षा	141	0	19	0	1989
14	निर्वाचन	61	1	9	0	1324
15	ऊर्जा	427	0	45	0	4292
16	राज्य सम्पत्ति	160	0	1	0	1910
17	सैनिक कल्याण	24	0	0	0	50
18	आबकारी	239	0	3	0	10339
19	वित्त	1695	0	48	0	56084
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	53	0	15	0	2554
21	वन	1344	0	17	0	31899
22	सामान्य प्रशासन	0	0	0	0	0
23	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	404	0	38	0	5410

24 गृह	3278	4	59	0	37009
25 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1138	0	9	0	19741
26 आवास	1705	0	29	0	8901
27 उद्योग	286	0	3	0	9829
28 सूचना प्रौद्योगिकी	25	0	4	0	262
29 सूचना	177	0	19	0	3736
30 सिंचाई	781	0	24	0	45551
31 न्याय	25	0	6	0	486
32 श्रम एवं सेवायोजन	306	0	12	0	4043
33 चिकित्सा शिक्षा	239	0	15	0	1702
34 लघु सिंचाई	308	0	14	0	1417
35 पंचायती राज	854	0	27	0	22603
36 विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	6	0	0	0	20
37 कार्मिक	464	4	14	0	7091
38 नियोजन	21	0	0	0	425
39 प्रोटोकाल	5	0	0	0	10
40 लोक निर्माण विभाग	1184	0	0	0	44229
41 धर्मस्व	6	0	0	0	20
42 राजस्व	1552	0	145	0	14932
43 ग्राम्य विकास	695	0	58	0	4938
44 सचिवालय प्रशासन	89	0	2	0	4544
45 समाज कल्याण	634	0	0	0	7352
46 खेल	117	0	0	0	270
47 राज्य पुनर्गठन	4	0	2	0	50
48 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	310	0	20	0	7412
49 पर्यटन	106	0	7	0	1178
50 परिवहन	1192	0	6	0	11714
51 शहरी विकास	448	0	48	0	130
52 सतर्कता	24	0	0	0	240
53 जलागम प्रबंधन	67	0	4	0	884
54 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	10	0	2	0	0
55 युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल	30	0	5	0	1317
56 राजभवन	74	0	1	0	840
57 विधान सभा	27	0	2	0	342
58 उच्च न्यायालय	9	0	3	0	50
59 अन्य	81	0	2	0	1259
कुल योग	27311	9	1090	0	467694

लोक प्राधिकारियों
के स्तर पर
धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत
स्वः प्रकटन की स्थिति

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार मैनुअलों की सूची

क. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग	
1	**कृषि विभाग**	
	1.1	कृषि निदेशालय
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद
2	**पशुपालन विभाग**	
	2.1	पशुपालन निदेशालय
	2.2	मतस्य निदेशालय
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड
3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**	
4	**नागरिक उड्डयन**	
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय
5	**गोपन**	
6	**सहकारिता**	
	6.1	सहकारिता निदेशालय
7	**संस्कृति**	
	7.1	संस्कृति निदेशालय
8	**डेयरी विकास**	
	8.1	दुग्ध आयुक्त
9	**आपदा प्रबंधन**	
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय
10	**पेयजल**	
	10.1	स्वजल परियोजना
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम
11	**उच्च शिक्षा**	
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय
	11.2	दून विश्वविद्यालय
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय

12	**विद्यालयी शिक्षा**	
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान
13	**प्राविधिक शिक्षा**	
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद
14	**निर्वाचन**	
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग
15	**ऊर्जा**	
	15.1	उरेडा
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
	15.3	पिटकुल
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
16	**राज्य सम्पत्ति**	
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग
17	**सैनिक कल्याण**	
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय
18	**आबकारी विभाग**	
	18.1	आबकारी आयुक्त
19	**वित्त विभाग**	
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय
	19.4	मनोरंजन कर विभाग
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**	
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
21	**वन**	
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क
22	**सामान्य प्रशासन विभाग**	
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**	
	23.1	ई.एम.आर.आई. सेवा
24	**गृह**	
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
25	**उद्यान**	
	25.1	उद्यान निदेशालय

	25.2	रेशम निदेशालय
	25.3	भेषज विकास इकाई
26	**आवास**	
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास
27	**उद्योग**	
	27.1	उद्योग निदेशालय
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**	
	28.1	आई.टी.डी.ए.
	28.1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**	
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय
30	**सिंचाई**	
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
31	**न्याय**	
	31.1	न्याय विभाग
32	**श्रम एवं सेवायोजन**	
	32.1	श्रम आयुक्त
33	**चिकित्सा शिक्षा**	
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय
34	**लघु सिंचाई**	
	34.1	लघु सिंचाई
35	**पंचायती राज**	
	35.1	पंचायती राज निदेशालय
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
36	**विधायी**	
	36.1	विधायी विभाग
37	**कार्मिक**	
	37.1	कार्मिक विभाग
	37.2	लोक सेवा अधिकरण
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
38	**नियोजन**	
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय

39	**प्रोटोकॉल**	
	39.1	प्रोटोकॉल
40	**लोक निर्माण विभाग**	
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
41	**धर्मस्व**	
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति
42	**राजस्व**	
	42.1	राजस्व पुलिस
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त
43	**ग्राम्य विकास**	
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान
44	**सचिवालय प्रशासन**	
	44.1	सचिवालय प्रशासन
45	**समाज कल्याण**	
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग
46	**खेल**	
	46.1	खेल निदेशालय
47	**पुनर्गठन**	
48	**गन्ना एवं चीनी**	
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी
49	**पर्यटन**	
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान
50	**परिवहन**	
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
51	**शहरी विकास**	
52	**सतर्कता**	
	52.1	सतर्कता ब्यूरो

53	**जलागम**	
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय
54	**महिला एवं बाल विकास**	
	54.1	राज्य महिला आयोग
55	**युवा कल्यण**	
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय
56	**राजभवन**	
	56.1	राजभवन
57	**विधान सभा**	
	57.1	विधान सभा
58	**उच्च न्यायालय**	
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
	59.1	महाधिवक्ता कार्यालय

आयोग के
अंगीकृत संकल्प

आयोग के अंगीकृत संकल्प

दिनांक 22/12/2009 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सूचना आयोगी की 18 वीं बैठक में पारित संकल्प

दिनांक : 22/12/2009

उपस्थिति :

1. डॉ. आर. एस. टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संकल्प : प्रस्ताव : 1

वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में पीठासीन मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समक्ष विचाराधीन अपीलों एव शिकायतों पर सुनवायी किसी एक सदस्य की अनुपस्थिति में एकल सदस्य द्वारा भी की जायेगी। वादों पर अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अनुमोदनोपरान्त संयुक्त हस्ताक्षर किये जायेंगे।

2. उपरोक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड (प्रबन्धन) विनियम, 2007 के भाग 4 (प्रस्तुतिकरण अपील) के प्रस्तर 11 के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। जो निम्नवत अंकित है :

   मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अन्तर्गत वर्गीकृत, शिकायत/अपील की सुनवायी स्वयं मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अथवा एक सूचना आयुक्त, 2 सूचना आयुक्तों की पीठ या उससे अधिक आयुक्तों की पीठ द्वारा की जायेगी, जैसा कि आदेश में अंकित होगा।

3. प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि उक्त प्रस्तर 11 की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से कियान्वित किया जाये।

24.12.09

उपसचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

दिनांक 31/12/2009 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की 19 वीं बैठक में पारित संकल्प

दिनांक : 31/12/2009

उपस्थिति :

1. डॉ. आर. एस. टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संकल्प : प्रस्ताव : 1

उत्तराखण्ड सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2007 के भाग 4 (प्रस्तुतिकरण अपील) के प्रस्तर 11 की धारा 2 की उपधारा ज के अंतर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुरूप शिकायतों व अपीलों की संख्या में वृद्धि तथा उनके त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पृथक–पृथक शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों का निस्तारण किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। तद्क्रम में यह निर्णय लिये जाने पर विचार किया जाये कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग मे विचाराधीन द्वितीय अपीलों (अधिनियम की धारा 19(3) और 19(4)) / शिकायतों (अधिनियम की धारा 18(1) और 18(2)) का निस्तारण निम्नवत किया जायेगा :

कम संख्या	विभाग का नाम	पीठासीन अधिकारी
1	शिक्षा विभाग (बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समस्त शिक्षण संस्थायें, सभी विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, प्राविधिक शिक्षा, शिक्षा परिषद इत्यादि)	राज्य सूचना आयुक्त
2	राजस्व विभाग	राज्य सूचना आयुक्त
3	कमांक 1 व 2 के अतिरिक्त शेष विभाग / लोक प्राधिकारी	मुख्य सूचना आयुक्त

- उपरोक्तानुसार शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा एवं राजस्व विभाग के समस्त शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों का निस्तारण राज्य सूचना आयुक्त द्वारा एवं शेष अन्य सभी विभागों से संबंधित शिकायतों व द्वितीय अपीलों का निस्तारण मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।

- अग्रेतर, यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग कार्यालय के वर्तमान न्यायालय कक्ष में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रातः 10.30 से अपराहन 1.00 बजे तक एवं 1.00 अपराहन से 3.00 बजे अपराहन तक मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा वादों पर सुनवाई की जायेगी।

- आगामी 06/01/2010 से सुनवायी के लिये सूचीबद्ध वादों के संबंध में पुनः नये नोटिस जिनमें नये समय का उपरोक्तानुसार उल्लेख किया जायेगा सचिव / उपसचिव द्वारा जारी किये जायेंगे।

संकल्प

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में वादों का निर्णय किये जाने के संबंध में संकल्प प्रस्ताव अनुसार नयी व्यवस्था के संबंध में यह संकल्प लिया गया है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार पृथक–पृथक सुनवायी की व्यवस्था होगी। आयोग के सचिव / उपसचिव द्वारा माननीय आयोग के अंतर्गत दोनों बैन्चों के द्वारा की जाने वाली सुनवाई की पंजिकायें पृथक–पृथक अनुरक्षित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

- आदेशित किया गया कि उपरोक्त अनुमोदित संकल्प को बैठक की पंजिका में भी चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(विनोद नौटियाल)
सूचना आयुक्त

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 13/01/2010 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की 20 वीं बैठक में पारित संकल्प

दिनांक : 13/01/2010

उपस्थिति :

1. डॉ. आर. एस. टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संकल्प : प्रस्ताव : 1

बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा अपनी संपत्ति (Assets), के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। यद्यपि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा अपनी संपत्तियों के संबंध में स्व–प्रकटन करने का प्राविधान न तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित है और न ही उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नियम भी प्रख्यापित किये हैं फिर भी स्व–प्रकटन व पारदर्शिता के आधार पर, चर्चा के उपरांत, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गयी कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त स्वैच्छिक रूप से अपनी–अपनी संपत्तियों का प्रकटन इस संकल्प के एक माह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ–साथ इन्हें धारा 4(1)(ख) के मैनुअल संख्या xvii के प्राविधानांतर्गत प्रकटन करते हुए सुलभ कराया जायेगा।

संकल्प :

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपत्तियों के स्वप्रकटन के संबंध में निम्नलिखित संकल्प लिया गया :

1.1 यह संकल्प लिया गया कि इस आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अपनी संपत्तियों का विवरण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे रूप पत्र पर आयोग के वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा सूचना आयुक्त द्वारा अपनी संपत्तियों का विवरण अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए निर्धारित वार्षिक संपत्ति प्रपत्र (मुख्य सचिव के समक्ष वेतनमान के आधार पर) के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा सभी संपत्तियों का विवरण आयोग के धारा 4(1)(ख) में प्राविधानित मैनुअल संख्या 17 में तथा आयोग की वैबसाईट में प्रस्तावानुसार जन साधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध कर दिया जायेगा।

1.2 आयोग राज्य सरकार को यह भी संस्तुति करता है कि, चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के खण्ड (xvii) में "as may be prescribed" शब्दों को प्रयुक्त किया गया है तथा धारा 2 खण्ड (जी) में " prescribed " शब्द का अर्थ "by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority" परिभाषित किया गया है, और चूंकि इस प्रकरण में (appropriate Government) समुचित प्राधिकारी उत्तराखण्ड राज्य सरकार है, राज्य के समस्त संवैधानिक कार्यालयों तथा संस्थानों जहाँ राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संसाधनों से वेतन / मानदेय पर नियुक्तियाँ / तैनातियाँ की जाती हैं, के लिए उपरोक्त प्रकार से वार्षिक संपत्ति विवरण उपलब्ध कराने के लिए नियम (Rules) प्रख्यापित किये जाने पर विचार किया जाये तथा ऐसे स्व–प्रकटन का प्रारूप (format) भी नियमों में निर्धारित कर दिया जाये। नियमों में इन विवरणों को विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को वार्षिक रूप में सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी विनिश्चित कर दी जाये। नियम के प्रख्यापन से यह सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानांतर्गत सूचना के रूप में नागरिकों के द्वारा नियमानुसार प्राप्त भी किया जा सकेगा।

2. संकल्पित किया गया कि उपरोक्त अनुमोदित संकल्प को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने के अतिरिक्त आयोग की बैठकों की पंजिका में भी चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(विनोद नौटियाल)
सूचना आयुक्त

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

आयोग की संस्तुतियां

अध्याय : 7

आयोग की संस्तुतियां

सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के द्वारा सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोग द्वारा इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां प्रेषित की जा रही हैं :

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(अ) (*iii*) के अंतर्गत सामग्रियों के नमूने लेने के विषय में शासनादेश के माध्यम से अथवा नियम बना कर नमूने लेने की प्रक्रिया, वास्तविक लागत, फीस एवं अन्य व्यय के भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लोक प्राधिकारियों तथा जन सामान्य को इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं देय शुल्क का ज्ञान हो सके।

संस्तुति : 2

आयोग स्तर से अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर नोडल विभाग द्वारा परीक्षण कर उन पर समुचित कार्यवाही करते हुये आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए. विगत वर्षों में आयोग को यह आभास हुआ है कि नोडल विभाग के स्तर पर आयोग द्वारा प्रेषित संदर्भों, सुझावों तथा संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही हेतु विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त है. अतः नोडल विभाग के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषयों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक सुदृढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी आवश्यक है.

संस्तुति : 3

विभागाध्यक्ष स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना के अनुरोधों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया की विभागीय बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर उन्हें यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सूचना अनुरोधों तथा प्रथम अपीलों के निस्तारण में गुणवत्ता परिलक्षित हो तथा आवेदकों को द्वितीय अपील करने की आवश्यकता में भी कमी आये.

संस्तुति : 4

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर शीघ्र एक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए तथा अधिनियम के उपयोग के संबंध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग यह अपेक्षा करता है कि राज्य सरकार के स्तर से उपरोक्त संस्तुतियों तथा आयोग द्वारा अपने पूर्व वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित संस्तुतियों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी जिससे राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों की उपयोगिता और अधिक व्यापक होने में सफलता प्राप्त हो सकेगी.

❖ ❖ ❖

वर्ष 2009 – 10 में
आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलों / शिकायतों
में आरोपित शास्तियां
तथा अंकित आदेशों
का सार

वर्ष – 2009 – 10

कम संख्या	शिकायत / अपील संख्या	आदेश की दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक	अभ्युक्ति
1	अ–1281	2-Apr-09	श्रीमती स्मिता बहुगुणा, धर्मपुर, देहरादून बनाम 1.अनु सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।2.संयुक्त सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000/ का आर्थिक दण्ड एवं विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।		कार्यवाही चल रही है।
2	अ–1302	29-Apr-09	श्री भगवान सिंह कोरंगा, जिला बागेश्वर बनाम 1.लोक सूचना अधिकारी, जिला उद्यान कार्यालय, बागेश्वर 2.जिला उद्यान अधिकारी, बागेश्वर।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 25000.00 एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय को रू0 50000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।	The operation of the order dated 29.4.2009 remains stayed.	
3	अ–1447	7-Jul-09	श्री सुमित कुमार यादव, लूनिया मोहल्ला देहरादून बनाम 1.जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून। 2.अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।	लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व रू0 5000.00 एवं लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।		पत्रांक संख्या 1203–04 दिनांक 1 सितम्बर 2011 द्वारा पुनः आदेश दिये गये है ।
4	अ– 1458	17-Jul-09	श्री सत्यप्रेम, ए– 6, रामनगर कालोनी, हरिद्वार बनाम 1.प्रभारी निरीक्षक, श्री वी0 एस0 चौहान, कोतवाली ज्वालापुर, हरिद्वार। 2.सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड एवं लोक प्राधिकारी को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 5000.00 का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।	HC's order on 15.9.09 effect of order dt 17.7.09 in Appeal No. 1458 shall remain stayed	मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है। 52/16.9.2009
5	अ–1552	20-Jul-09	श्रीमती पूजा बागड़ी, ऋषिकेश बनाम 1. जिला शिक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल 2.अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 530.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।		अनुपालन कर लिया गया है।

6	अ– 1418	22-Jul-09	श्री हरपाल सिंह पवांर, बी–85 हरिद्वार बनाम 1.प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ज्वालापुर, हरिद्वार। 2.सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी को संयुक्त रूप से अपीलकर्ता को रू0 10000.00 के क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये गये हैं।	Penalty is stayed by Hon'ble Court on 7.9.09	मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है।7.9.09
7	अ–1544	25-Jul-09	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, रायपुर रोड, देहरादून बनाम लेक सूचना अधिकारी, उप निदेशक, आयुर्वेदिक एवं युनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून 1.निदेशक, आयुर्वेदिक एवं युनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड एंवं विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
8	अ–1591	27-Jul-09	श्री अनवर राणा, पो0 ओ0 पिरानकलियर, जिला हरिद्वार बनाम लोक सूचना अधिकारी / बन्दोबस्त, चकबन्दी अधिकारी रूड़की(चतुर्थ) 1.प्रभारी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी स्थान रूड़की।	लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व रू0 10000.00 का आर्थिक दण्ड एंवं विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।	Operation of the impugned order dt.27.7.09 as against the petitioner shall remain stayed.	
9	अ–1473	29-Jul-09	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, रायपुर रोड, देहरादून बनाम 1.जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून। 2. अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।		कार्यवाही चल रही है।
10	अ–1635	21-Aug-09	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, सम्पादक सूर्य जागरण, 104 ईश्वर विहार, फेज–2, रायपुर रोड, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है।	WP No. 1471/2009 HC's order dated 2.9.2009 CIC's order is stayed	
11	अ–1627	25-Aug-09	श्री औंकार दीप सिंह, दीप डिपार्टमेन्टल स्टोर, सिद्दकी मार्केट काशीपुर, उधम सिंह नगर बनाम 1.तहसीलदार जसपुर, उधम सिंह नगर 2.उप जिला अधिकारी, काशीपुर, जसपुर, जिला उधम सिंह नगर.	लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 465.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।		अनुपालन कर लिया गया है।

12	अ–1667	15-Sep-09	श्री राजेश रस्तोगी,चै0नं0 58, जिला एवं सत्र न्यायालय, रोशनाबाद,हरिद्वार बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, लक्सर, जिला हरिद्वार। 2.जिला अधिकारी, हरिद्वार	लोक प्राधिकारी के कार्यालय को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।		कार्यवाही चल रही है।15.9.09 1.12.09' 1.1.2010 , 18.2.2010
13	अ–1698	15-Sep-09	डा0जयदीप दत्ता, 13–ए, न्यू सर्वे रोड, देहरादून बनाम 1.लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। 2.महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड एवं लोक प्राधिकारी को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 25000.00 का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।	CIC's order dt 15-9-09 imposing a fine of 5000/- and compensation of 25,000 No order has ben received	
14	अ–1703	16-Sep-09	श्री कुरबान अली पुत्र अली शेर निवासी –ग्राम चौली, शहाबुद्दीन ब्लोक व परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार बनाम 1.प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चोली, शहाबुद्दीन, ब्लोक व परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार। 2.खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार।	लोक सूचना अधिकारी के रूप में प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चोली, शहाबुद्दीन, ब्लोक व परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार को रू0 5000.00– रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है।	WP No. M/S 1869/09 No Order has ben received	
15	अ–1746	13-Oct-09	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 236 – एल, नागेश्वर डाकरा बाजार, देहरादून, उत्तराखण्ड बनाम 1.लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी सदर, देहरादून 1. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिला अधिकारी, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 10000.00 का आर्थिक दण्ड एवं लोक प्राधिकारी को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 10000.00 का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है

16	अ–1694	13-Oct-09	श्रीमती बबीता, स0 अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भैल रानीपुर, बी0एच0ई0एल0 सेक्टर –1, बहादराबाद, हरिद्वार बनाम 1.जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार 2.अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 25000.00 का आर्थिक दण्ड एवे लोक प्राधिकारी को अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 50000.00 का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
17	अ–1701	15-Oct-09	श्री जे0पी0पाण्डेय,बजरिये दीप रिखाड़ी,एडवोकेट वेतालघाट, नैनीताल प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय, नैनीताल 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय, नैनीताल।	लोक सूचना अधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय, नैनीताल पर रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड के साथ ही उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
18	अ–1766	15-Oct-09	श्री अमर सिंह घुन्ता, 827 / 1, सिरमौर माग्र, राजेन्द्र नगर देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी जिला ष्शिक्षा अधिकारी, देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी/ अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/ प्रधानाचार्य, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून, इण्टर कालेज देहरादून पर रू0 5000–5000 का अर्थिक दण्ड आरोपित करने के साथ ही विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।		पत्रांक संख्या 1203–04 दिनांक 1 सितम्बर 2011 द्वारा पुनः आदेश दिये गये है ।
19	अ–1792	23-Oct-09	श्री संजय भट्ट पुत्र श्री जी0आर0भट्ट, पता –4, बिन्दाल कॉलोनी, ईदगाह मार्ग, श्री परशुराम मन्दिर चौक, प्रकाश नगर, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, एस0डी0एम0 मसूरी(नगर मजिस्ट्रेट देहरादून) देहरादून।2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी, देहरादून।	लोक प्राधिकारी के रूप में जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून को रू0 5000.00 के क्षतिपूर्ति के आदेश अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है

20	अ–1779	27-Oct-09	श्री रामप्रकाश गुप्त, ओक लॉज, ओक्स रोड,रमादेवी इण्टर कालेज के निकट,मसूरी, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा को रू0 2500.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं उनके विरूद्ध कठोरतम विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।		अनुपालन कर लिया गया है
21	अ–1781	27-Oct-09	श्री राजसिंह पाल, 528, प्रीत विहार, रेलवे स्टेशन, गझोशपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार। प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी,कार्यवाहक उपनिदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री कमल सिंह पर रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
22	अ–1543	3-Nov-09	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104, ईश्वर विहार, फेस–2, रायपुर रोड, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, अनुसचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन उप जिला अधिकारी पाटी हाल उप जिला अधिकारी पूर्णागिरी टनकपुर, जिला चम्पावत श्री जगदीष चन्द्र काण्डपाल पर रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गई।	CIC order dated 3.11.2010 in Appeal No. 1543 regarding Penalty of 5000/- Rupee	

23	अ–1711	3-Nov-09	श्रीमती कमला आहूजा पत्नी श्री हरकेश आहूजा, निवासी 8 / 4, ओल्ड कालोनी, धर्मपुर, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार, देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, तहसीलदार, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार, देहरादून पर रू0 25000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं नायब तहसीलदार एवं विभागीय अपील अधिकारी तहसीलदार, देहरादून के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।	Final order has been passed on 9-2-2010 pertaining to schools.	
24	अ–1755, 1725, 1759, 1726, 1728, 1760	3-Nov-09	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, सम्पादक सूर्य जागरण, 104, ईश्वर विहार, फेस–2, रायपुर रोड, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी,रायपुर, अजबपुर कलां देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।	लोक प्राधिकारी के रूप में अपर निदेशक चिद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को अपील संख्या 1725,1759,1726,1728 प्रत्येक में अपीलकर्ता को रू0 5200–5200 की क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं एवं अपील संख्या 1760 में जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून को सुश्री रचना गर्ग , अपीलकर्ता को रू0 5200.00 का क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।	HC's order dt 25.2.2010 No Dept Proceeding to be initialed and penalty if deducted has to be refereed (subject to final order)	अनुपालन कर लिया गया है।
25	अ–1818	3-Nov-09	श्री विजय कुमार मित्तल, 652, सत्य विहार, विजय पार्क देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, पेयजल संसाघन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड, देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रबंध निदेशक, पेयजल संसाघन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी पर रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है।		कार्यवाही चल रही है।

26	अ–1821	3-Nov-09	श्री किशोर मैठाणी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड एडीटर्स एसोसियेशन सागर कम्यूनिकेशन नटराज चौक, ऋषिकेश प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने के निर्देश दिये गये।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
27	अ–1811	9-Nov-09	श्री श्री रजनीश अग्रवाल, शिवालिक लक्जरी एपार्टमेन्ट, 1–कर्जन रोड, देहरादून प्रतिवादी लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, एम.डी.डी.ए. देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, सचिव, एम.डी.डी.ए. देहरादून।	विभागीय अपील अधिकारी एम.डी. डी.ए. कार्यालय पर अपीलकर्ता को रू0 1.00 क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश जारी किये गये।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
28	अ–1812	11-Nov-09	श्री नारायण दत्त पन्त पुत्र श्री चन्द्रदत्त पन्त, ग्राम कुणाकोली, पो.ओ0 अम्याणी, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा। प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।	लोक प्राधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पर अपीलकर्ता को रू0 5000.00 क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।	Interim order dated 25.2.2010 of CIC's order is stayed till further order	
29	अ–1778	1-Dec-09	श्रीमती हर्षिता, ए–6, रामनगर कालोनी, पोस्ट गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, राज्य उपभेक्ता विवाद प्रतिपोश आयोग, कचहरी परिसर, देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोष आयोग, कचहरी परिसर, देहरादून।	लोक प्राधिकारी को रू0 6600.00 क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।	No Order has been received from Hon HC	अनुपालन आख्या अपेक्षित है

30	अ–1831	1-Dec-09	श्री हरपाल सिंह पवांर, बी–85 श्री रामनगर, निकट गोल गुरूद्वारा, ज्वालापुर, हरिद्वार। प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, हरिद्वार। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला अधिकारी, हरिद्वार।	लोक सूचना अधिकारी पर रू0 25000.00 का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।	HC's order dt 20.1.10 Para 6 of CIC's Order ie Depot Action against DAA is Stayed.	
31	अ–1852	2-Dec-09	डा0 एस0के0 गोयल, 38 सिविल लाइन्स रूड़की, जिला हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड शहरी, रूड़की ।2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ उप महाप्रबंधक, विद्युत वितरण मण्डल, रूड़की।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड शहरी, रूड़की को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
32	अ–1853	2-Dec-09	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री लाल बाबू प्रसाद, निवासी – ई0 91, एन0एच0पी0सी0 बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जिला चम्पावत प्रतिवादी 1.कुल सचिव, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।2. कुलपति, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी को रूव 5000.00 का अर्थिक दण्ड एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है
33	अ–1857	2-Dec-09	श्री अशोक कुमार पुत्र स्व श्री पातीराम, रूई बाजार मंगलोर, परगना मंगलोर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, रूड़की। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, उप महां प्रबंधक, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण मण्डल,	अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, रूड़की को अपीलकर्ता को रू0 5000.00 की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता को दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है

34	अ–1809	3-Dec-09	श्री लक्ष्मण सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत, कैन्टीन जिला पंचायत प्रेस पसिर, पौड़ी गढ़वाल प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, रिखड़ीखाल, पौड़ी गढ़वाल। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का आर्थिक दण्ड एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय को अपीलकर्ता को रू 4855.00 का क्षतिपूर्ति के आदेश दिये गये हैं।		ड्राफट संख्या 330272 दिनांक 22.12.2009 द्वारा भुगतान कर लिया गया हैं।
35	अ–1826	4-Dec-09	श्री महेन्द्र पाल, ग्राम व पोस्ट धर्मावाला, वाया हरबर्टपुर, देहरादून। **प्रतिवादी** 1.लोक सूचना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।	डीम्ड लोक सूचना अधिकारी,/ प्राधानाचार्य, डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, करनपुर, देहरादून को रू0 10000.00 का अर्थिक दण्ड एवं उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।		अनुपालन कर लिया गया है।
36	अ–1840	4-Dec-09	श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त, ग्राम बेतनघान, पो0 देघाट, जिला अल्मोड़ा प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, स्याल्दे। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है।		चालान संख्या वी–268–252 दिनांक 7–10–2010 चालान द्वारा जमा कर लिया गया हैं।
37	अ–1871	9-Dec-09	श्री सुरेन्द्र प्रकाश मलिक पुत्र श्री भूपाल सिंह मलिक, 8– निर्मला छावनी, हरिद्वार प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी निक्षक, रानीपुर, हरिद्वार। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर, हरिद्वार।	लोक सूचना अधिकारी को रू0 5000.00 का अर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है तथा उनके विरूद्व विभागीय कार्वाही करने की संस्तुति की गई है।		अनुपालन आख्या अपेक्षित है।

38	अ–1902	9-Dec-09	श्री जी0 एस0 त्रिपाठी, 35 राजपुर रोड, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।	लोक प्राधिकारी को रू0 5000.00 की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।	CIC order dated 3.11.2010 in Appeal No. 1543 regarding Penalty of 5000/- Rupee	रिट संख्या 1962/2010 में माननीय उच्च न्यायाल नैनीताल द्वारा दिनांक 6/12/2010 सगिनादेश पारित किया है जो आज भी प्रभावी है मा0 न्यायाल के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
39	अ–1882	18-Dec-09	श्री श्री रोशन सिंह कैंतुरा पुत्र स्व0 श्री पूरन सिंह कैन्तुरा, बालावाला, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, देहरादून। 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी, स0 जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानी पंचायत चुनाव, देहरादून।	लोक प्राधिकारी को रू0 2150.00 की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।		

❖ ❖ ❖

आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही

अध्याय : 9

आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा राज्य सूचना आयोग को मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है. सूचना का अधिनियम की धारा 25(5) के अनुसार :

''यदि राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह उस प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।''

अधिनियम की उक्त धारा के प्राविधान के अनुरूप आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीया अपीलों तथा शिकायतों के आदेशों में ऐसे उपाय लोक प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किये जाते हैं जिनसे समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों तथा भावनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही शिथिलताओं का प्रभावी निराकरण कर सकें.

वर्ष 2009 – 10 में आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों को की गयी ऐसी सिफारिशों का सार इस वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा रहा है. तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि आयोग की सिफारिशों पर अधिकतर लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है.

❖ ❖ ❖

अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत की गयी अनुश्रवणात्क कार्यवाही का सार

क्रम स0	अपील संख्या	वादी / प्रतिवादी	आदेश दिनांक	आयोग द्वारा प्रस्तावित उपाय	कृत कार्यवाही
1	अ–1314	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1. लो.सू.अ. / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून. 2. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।	28.04.2009	इस अपील की सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो अतिरिक्त सचूनायें अपीलकर्ता को उपलब्ध करायी गयी हैं और जिस प्रकार के सदंर्भ प्रश्नगत एम.ओ.यू. के संबंध में लोक प्राधिकारी के स्तर से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को किये गये है वह वस्तुतः एक स्वीकारोक्ति ही है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के विभिन्न मदों में खर्चे हेतु प्राधिकृत व्यक्ति की व्यवस्था प्रश्नगत एम.ओ.यू. में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तक स्पष्ट नहीं थी प्रश्नगत एम.ओ. यू. में आवटित धनराशि के व्ययों के संबध में जिस प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए उसके सापक्ष प्रश्नगत एम. ओ. यू. में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है यह लोक हित में आवश्यक है कि चिकित्सा विभाग द्वारा इस बिन्दु के संबंध में शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था स्पष्ट की जानी चाहिए जैसा कि इस अपील के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका है	अप्राप्त
2	अ–1308	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1.अनुसचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 2.संयुक्त सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.	01.05.2009	अपर सचिव, कार्मिक अनुभाग–2 की ओर से पत्र सख्या 435 दिनांक 30 अप्रैल, 2009 में उनके द्वारा अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित किया गया है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मूल निवास / स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के सबंध में कार्मिक विभाग द्वारा कोई शासनादेश निर्गत नहीं किये गये हैं. अतः नियुक्तियों से संबंधित प्रकरणों में मूल निवास / स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की माग का औचित्य तथा आधार कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्ट किया जाना सभंव नहीं हैं। उपराक्त पत्र अपीलकर्ता / प्रार्थी को इस आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाये तथा लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा अपने पत्र संख्या 435 दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के प्रस्तर 3 में जो तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया गया है उसको एक कार्यालय आदेश / शासनादेश के माध्यम से भी आदेश इस आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताह अंदर स्पष्ट करा जायेगा तथा पृष्ठांकन आयोग को अनुपालन के रूप में प्रेषित किया जायेगा.	अप्राप्त

3	अ–1439	श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम 1.अपर पुलिस अधिक्षक, हरिद्वार. 2. पुलिस महानिरीक्षक, देहरादून	06.05.2009	उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जल पुलिस की स्थापना की गयी जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना और प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से स्पष्ट है कि उपरोक्त जल पुलिस की स्थापना जन कल्याण से सबंधित है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदे श के क्रम में की गयी है उसकी पूर्ति नहीं हुयी है.इस आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक, को भी इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे सुनिश्चित करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि कोई कार्यवाही उनके स्तर पर या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर हुयी हो तो उसे करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करेंगे. ज्ञातव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम मात्र सूचनायें उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उपलब्ध करायी गयी सूचना से यदि लोक प्राधिकारी के स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता का प्रकरण प्रस्तुत होता है तो उसका लाभ लेते हुए लोक प्राधिकारी स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए कि ऐसे लोक महत्व के प्रकरण पर यदि कोई कार्यवाही अपेक्षित हो या रह गयी हो उस पर वे प्रभावी कार्यवाही करने के लिए स्वयं अपने स्तर पर पहल करेंगे. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 5 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के सापेक्ष शब्दों का केवल शब्दार्थ न निकालते हुए उनका भावार्थ और फिर निहितार्थ भी निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे लोक प्राधिकारी स्तर पर जिस प्रकार के उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण की अपेक्षा की जाती है उसे क्रियान्वित किया जा सके.	अप्राप्त
4	अ–1467	मौ0 शमशुल इस्लाम बनाम 1. जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर. 2. अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल.	26.06.2009	अपर शिक्षा निदेशक / प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश निर्गत होने के 1 माह अन्दर नियमानुसार प्रथम विभागीय अपील की सुनवाई करते हुए प्रथम अपील का निस्तारण करेंगे साथ ही संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी और अधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत अपील अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ को प्रतिप्रेषित (remand-back) की जाती है सचिव, सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत उपरोक्त आदेशों का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा.	पत्रोत्तर प्राप्त हुआ

5	अ–1572	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1. अधिशासी निदेशक आपदा प्रबधन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून . 2. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड	29.07.2009	आयोग द्वारा इसका प्रसंज्ञान लिया गया कि राज्य सरकार के स्तर पर सार्वजनिक पदों पर विशेष व्यक्तियों को मनोनीत किये जाने के उपरांत उनके संबंध में व्यक्तिगत विवरण, उनकी चल–अचल संपत्ति का ब्यौरा और उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में कोई जानकारी लिये जाने का प्राविधान नहीं है चूंकि उपरोक्त प्रकार के पद सार्वजनिक व्यय पर धारित किये जाते हैं अतः यह आवश्यकीय है कि ऐसे महानुभावों के संबंध में उनके व्यक्तिगत विवरण, उनके आपराधिक ब्यौरे तथा उनकी चल–अचल संपत्ति के संबधं में जो भी विवरण प्राप्त किये जाने आवश्यक हों उसके संबंध में राज्य सरकार अपने स्तर पर ही विचार कर स्पष्ट निर्णय ले. आयोग के स्तर पर मात्र इसका प्रसंज्ञान लिया जा रहा है कि वर्तमान में इस प्रकार की सूचना रखने का कोई प्राविधान नही है. इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपरोक्त विवरणों के संबंध में अनेक सार्वजनिक पदों पर विशेष व्यक्तियों के उनके नामांकन, तैनाती के संबंध में तैनाती से पूर्व और तैनाती के उपरांत संबंध में व्यक्तिगत विवरण उनके आपराधिक इतिहास, उनकी चल–अचल संपत्ति इत्यादि का विवरण लिये जाने या न लिये जाने के संबंध में अपना स्पष्ट मत स्थिर करें और इस संबंध में जो भी निर्णय लिया जाये उसके संबंध मे आयोग को भी यथाशीघ्र अवगत कराया जाये जिसके आधार पर भविष्य में इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में सूचना के अनुमन्य होने या न होने के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सके. इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अतिरिक्त सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत शासन स्तर से उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के लिए पृष्ठांकित की जाये इस संबंध में शासन स्तर से यदि कोई निर्णय लिया जाता है तब उसके संबंध में प्रश्नगत विभाग और गोपन विभाग के द्वारा क्रमशः अपने अपने अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनुअलों में भी यथास्थान सम्मिलित किया जायेगा अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा आयोग को प्रेषित सूचना संलग्नकों सहित अपीलकर्ता / प्रार्थी को भी आदेश निर्गत होने के 1 सप्ताह अन्दर प्रेषित की जाय.	अप्राप्त

6	अ—1707	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी, लघु सिचाई विभाग 2. मुख्य अभियंता लघु सिचाई विभाग	29.8.2009	लोक सूचना अधिकारी द्वारा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 सितम्बर, 2007 का उल्लेख किया गया है लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता के जो भी नियुक्ति प्राधिकारी हों जो इस प्रकरण में प्रमुख सचिव, लघु सिचांई विभाग होने चाहिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके समक्ष उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार इस प्रकरण को प्रस्तुत किया जायेगा और उनके स्तर से उक्त शासनादेश के कम में निर्णय ले कर निस्तारण किया जायेगा. यदि नियमानुसार ब्यौरा संबंधित अधिकारी के स्तर से प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब उनसे इसका कारण पूछते हुए सम्पूर्ण ब्यौरा मांगा जायेगा क्योंकि जो अभिलेख राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं वे अगर समय से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तब केवल इस आधार पर सूचना को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है बल्कि ऐसे अभिलेखों को प्राप्त करके उन पर उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और यदि संबंधित व्यक्ति के द्वारा संबंधित परिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तब उनसे विभागीय आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए और संबंधित परिलेख को प्राप्त करके जिस शासनादेश को लोक सूचना अधिकारी द्वारा उदधृत किया गया है उसके अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त ब्यौरे को प्राप्त किया जायेगा. उपरोक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताह अन्दर की जायेगी और कृत कार्यवाही की सूचना अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत सचिव, सूचना आयोग को आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की जायेगी.	अप्राप्त
7	अ— 1612	सुरेन्द्र मोहन नेगी बनाम 1. जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत 2. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल नैनीताल	27.07.2009	इस प्रकरण में लोक प्राधिकारी के निरीक्षण दल के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उससे स्पष्ट है कि राजकीय अभिलेखों को अपने नियंत्रण में लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का घोर दुरूपयोग किया जा रहा है अतः ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध दृष्टात्मक (Exemplary) कार्यवाही करते हुए आयोग को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया जाता है.	अप्राप्त

8	अ–1665	श्री भागीराम बनाम 1. उप वनसंरक्षक, वन प्रभाग, चकराता कैम्प कालसी, देहरादून 2. वन संरक्षक यमुना वृत्त 87 राजपुर रोड देहरादून 2. उप जिलाधिकारी बाजपुर, उधमसिंहनगर	03.09.2009	प्रमुख वन संरक्षक द्वारा एफ0डी0ए0 को लोक प्राधिकारी मानने के उपरान्त एफ0डी0ए0 के स्तर पर रखे जाने वाले अभिले खों के संबंध में भी विनिष्टीकरण नियमावली में व्यवस्था सम्मिलित की जायेगी और अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत सैल्फ डिस्कलोजर व्यवस्था की जानी है जिसके अनुपालन से उनके द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत सचिव, सूचना आयागे को अवगत कराया जायेगा.	अप्राप्त
9	अ–1720	श्री कंवलजीत सिंह बनाम 1. तहसीलदार, बाजपुर, उधमसिंहनगर, 2. उपजिलाधिकारी, बाजपुर उधमसिंहनगर	08.09.2009	आदेश की प्रति मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड को लाके सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरणों सहित इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे उपरोक्त प्रकरण पर जो पर्यवेक्षणीय कमी जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर कार्यालय में व्याप्त है उसमें सुधार के लिये आवश्यक निर्देश पारित कर आयोग को इस आदेश निर्गत होने के 1 माह अन्दर अपने लिखित अनुपालन से अवगत करायेंगे.	अप्राप्त
10	अ–1773	श्री कृष्ण कुमार बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, गढी कैन्ट देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, गढी कैन्ट, देहरादून	26.09.2009	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) एवं सचिव, सैनिक कल्याण द्वारा सचिव, सूच्ना आयो ग के माध्यम से आयोग को यह अवगत कराया जायेगा कि उपेरा क्त निगम द्वारा अब तक जो विधान सभा सत्र हुये हैं उसमें गठन से अब तक, वर्ष–वार वार्षिक रिपोर्ट क्यों नहीं दी गयी है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा एक अभियान चलाकर इस निगम की वार्षिक रिपोर्टें तैंयार करायी जायेगी जिसकी प्रगति से उनके द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत सचिव, सूचना आयोग को अवगत कराया जायेगा.	अप्राप्त
11	अ–1789	श्री विजेन्द्र कुमार जैन बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी डिप्टी कमि. (क.नि.) वाणिज्य कर विभाग सिविल लाइन्स, रूड़की, हरिद्वार. 2 विभागीय अपीलीय	15.10.2009	वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा इस प्रकरण से आवश्यक निष्कर्ष निकालते हुए अभिलेखों के रख–रखाव की कार्यवाही इस प्रकार से की जायेगी कि जिस प्रकार का प्रकरण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है उसकी पुनरावृत्ति न हो .इसको सुनिश्चित करने के लिए जो कार्यवाही की जायेगी उसके संबंध में आयोग को भी आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा अवगत कराया जायेगा और इस संबंध में जो निर्देश दिये जायेंगे उन्हें अधिनियम की धारा 4(1)(ख) अंतर्गत मैनुअल में भी सम्मिलित किया जायेगा	अप्राप्त

12	अ—1724	श्रीमती रचना गर्ग बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी, जिला उद्यान कार्यालय, विकास भवन, सर्वे चौक, देहरादून. 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला उद्यान कार्यालय विकास भवन सर्वे चौक, देहरादून	15.10.2009	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार जिन अधिकारियों के द्वारा निर्धारित समय पर अपनी चल—अचल सपंत्ति के विवरण प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं उनके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार जिसके अंतर्गत उक्त प्राविधान दिया गया है उसके अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये. आयोग में उपलब्ध करायी गयी सूचना को निर्गत किये जाने तक जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत अपने विवरण प्रेषित नहीं किये गये हैं उनके विरूद्ध भी कठोरतम विभागीय कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत आयोग को कृत अनुपालन से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा आदेश निर्गत होने के 1 माह अन्दर अवगत कराया जायेगा.	अप्राप्त
13	अ—1909	श्री पवन कुमार बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, नारसन, हरिद्वार. 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	15.12.2009	अपील मैमोरेण्डम के साथ अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा जो अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे मूल रूप में जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि आयोग के अपील संख्या अ—935/2008 में दिये गये आदेश तथा अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत के क्रम में यह सुनिश्चित करें कि उक्त शिक्षण संस्था की प्रबंध व्यवस्था में शीघ्रातिशीघ्र सुधार हो और शिक्षण संबंधी कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके.	अप्राप्त
14	अ—1938	श्रीमती शशि रावत बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद मसूरी. 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप जिलाधिकारी, मंसूरी, देहरादून.	01.01.2010	निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को भी निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में जितनी भी नगर पालिकाये विद्यमान हैं उनके गठन से लेकर अन्य समस्त सूचनाओं को भी अपनी विभागीय वैबसाईट में अपलोड कर कृत अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा। लोक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही के अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा।	अप्राप्त

15	अ—2054	श्री उदय सिंह बनाम 1.लोक सूचना अधिकार/कार्यालय महाप्रबंधक (फार्म) हल्दी पन्तनगर, उधमसिंहनगर	25.01.2010	आदेश की प्रति क्रमशः कुलपति, पतं नगर विश्वविद्यालय एवं सचिव, सिंचाई विभाग को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह इस प्रकरण का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर हस्तान्तरण संबंधी कार्यवाही को अंतिम करते हुए अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत आयोग को कृत कार्यवाही अवगत करायें.	अप्राप्त
16	अ—2015	श्री राजेश कुमार शर्मा बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी/हिल्ट्रान 252 इन्द्रानगर, देहरादून.	07.01.2010	आदेश की प्रति प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में लोक प्राधिकारी के स्तर पर नियम होने चाहिए अतः प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्मिकों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में नियमानुसार जो भी नियम बनते हों उसमें कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर उसके निस्तारण की अवधि को समाहित करते हुए मानक सेवा नियमावली इस आदेश के निर्गत होने के 3 माह दर प्रख्यापित की जायेगी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अतर्गत अनुश्रवणात्मक रिपोर्ट आयागे को प्रस्तुत की जायेगी और संबंधित कर्मचारियों को प्रश्नगत नियमावली की प्रतियां उपलब्ध करायी जायेंगी.	अप्राप्त
17	अ—2038	श्री मनोज कुमार जोशी बनाम 1.लोक सूचना अधिकारी/वन संरक्षक राजा जी पार्क ,देहरादून. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ राजा जी पार्क ,देहरादून.	19.01.2010	जो पाक्षिक डायरी की छायाप्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है उसकी प्रति प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड को उपरोक्त दिये गये निर्देश के क्रम में इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह अपने स्तर से इस संबंध में आवश्यक निर्देश पारित करें और जो निर्देश पारित किये जायेगे उसकी प्रति अधिनियम की धारा 25(5) के अतर्गत आयोग को भी प्रेषित की जायेगी एवं उसकी एक प्रति अपीलकर्ता को भी प्रेषित की जायेगी.	अप्राप्त
18	अ—2139	श्री नवीन चन्द्र भट्ट बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रामनगर, जिला नैनीताल 2 विभागीय अपीलीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी रामनगर, जिला नैनीताल	18.2.2010	आदेश की एक प्रति निदेशक, युवक मंगल दल को भी इस आशय से प्रेषित की जाये कि उनके द्वारा इस आदेश के क्रम में प्रदेश के समस्त मंगल दलों के लिए जितने भी शासनादेश निर्गत किये गये हों उनका संकलन कर इस प्रकार से आदेश निर्गत किये जायेंगे जिससे कि समस्त युवक मंगल दलों के द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के रख—रखाव की स्थिति सुदढ़ हो सके तथा उनके द्वारा समस्त अभिलेखों के रख—रखाव व उनके विनिष्टीकरण के सबध में भी समुचित निर्देश पारित किये जायेंगे। इस आदेश की एक प्रति सचिव, सूचना आयोग को इस आशय से प्रेषित की जाये कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत आयोग द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों की मॉनिटरिगं भी करायी जायेगी.	अप्राप्त

19	अ–1918	श्री लक्ष्मण सिंह रावत बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम कोटद्वार, पौड़ी 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण निगम, उत्तराखण्ड पेयजल निगम कोटद्वार पौड़ी	30.12.2009	आदेश की एक प्रति समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित की जाये कि आयोग द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में उनके द्वारा अभिलेखों के विनिष्टीकरण की जो नियमावली बनायी गयी हो उसके सापेक्ष विभागों द्वारा जो कार्यवाही की गयी हो उससे सूचना आयोग को अवगतम कराया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आदेश निर्गत होने के अगले 3 माह में विभागों द्वारा जो अभिलेखों का विनिष्टीकरण किया जायेगा उनके विनिष्टिकरण के प्रमाण की एक प्रति अनुपालन आख्या के रूप में राज्य सूचना आयोग को भी प्रेषित की जायेगी। सचिव, सूचना आयोग द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत समस्त विभागाध्यक्षों से अनुश्रवणात्मक कार्यवाही के रूप में कराया जायेगा।	अप्राप्त
20	अ–2127	श्री प्रदीप वर्मा, लक्सर हरिद्वार बनाम 1. लो.सू.अ. / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका हरिद्वार, 2. वि0अ0अ0 / उप जिलाधिकारी लक्सर, हरिद्वार	06.03.2010	आदेश की एक प्रति निदेशक, शहरी विकास और सचिव, शहरी विकास के साथ मुख्य राजस्व आयुक्त और सचिव, राजस्व विभाग को भी इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे आयोग के स्तर पर विभिन्न प्रकरणों में अब तक निर्गत स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी जिस शिथिलता के साथ नगरीय इकाईयों के समस्त भू अभिलेखों के भौतिक हस्तांतरण उनके प्रबंधन के संबंध में अग्रेतर व्यवस्था और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के नगर निकाय के रूप में परिवर्तित होने के उपरांत तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र को शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने हैं, के फलस्वरूप कार्यवाही की जाती है उनको न करने से जिस प्रकार की परिहार्य कार्यवाहियां विभिन्न स्तरों पर की जा रही हैं जिससे प्रत्यके स्तर पर बहुमूल्य सार्वजनिक व निजी समय और श्रम का अपव्यय हो रहा है. उपरोक्त के अतिरिक्त लोक प्राधिकारी का आयोग द्वारा नजूल संपत्तियों के संबंध में भी पर्याप्त रूप से अभिलेखों के रख–रखाव उन पर अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही न होने से सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण व उसके मूल्य का क्षरण हो रहा है, के संबंध में भी ध्यानाकर्षण कराया गया है. उसी क्रम में उन्हें पुनः अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपेक्षित कार्यवाही दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संवैंधानिक व्यवस्था के अनुसार जो भू क्षेत्र राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण से हटने के उपरांत शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अंतरित हो जाते हैऔर जिनका प्रबंधन स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाता है उनको संविधान के 74वें संशोधन तथा आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये.	अप्राप्त

21	अ—2040	हरदम सिह चौहान बनाम 1 लो.सूअ. / उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, देहरादून 2. वि.अ.अ. / मुख्य पर्यावरण अधिकारी नेहरू कालोनी देहरादून	02.02.2010	अंतरिम आदेश 21 / 01 / 2010 के प्रस्तर 3 के सापेक्ष जिलाधिकारी, हरिद्वार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. जिलाधिकारी, हरिद्वार को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अंतरिम आदेश 21 / 01 / 2010 के प्रस्तर 3 के सापेक्ष स्थिति स्पष्ट करें जिसके संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताह के अंदर आयोग को अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत अवगत कराया जायेगा.	अप्राप्त
22	अ—1540	श्री विवेक चौधरी, हरिद्वार बनाम 1. लो.सू.अ. / उप महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार पुलिस मुख्यालय, देहरादून 2. वि.अ.अ. / अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 पुलिस मुख्यालय, देहरादून	22.07.2009	जहां तक इस प्रकरण में सूचना को दिये जाने का प्रश्न था चूंकि उपरोक्त दूरभाष मोबाईल नम्बर सर्विलास पर नहीं था अतः अभिव्यक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे प्रमाणित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं थी और उनके द्वारा अपीलकर्ता / प्रार्थी को अब उत्तर दे दिया गया है जहां तक सर्विलांस में रखे टेलीफोन और मोबाईल में एकत्र सूचना का प्रश्न है लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 या अन्य किसी अन्य प्राविधान के अंतर्गत यदि प्रकटन से मुक्त रखे जाने का प्रश्न प्रकट होता है तब ऐसी स्थिति में लोक सचूना अधिकारी द्वारा सर्विलांस में रखे गये दूरभाष मोबाईलों के संबंध में एकत्र की गयी सूचना को किस प्रकार से संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है और ऐसी सूचना को विनिष्ट किये जाने के संबंध में लोक प्राधिकारी द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है इन दो बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारी द्वारा या तो अभिलेखों के विनिष्टीकरण नियमों के अतंर्गत अथवा इस संबंध में नियमानुसार नियम प्रख्यापित करके उनके सृजन और विनिष्टीकरण के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था की जायेगी और उपरोक्त पत्र के क्रम में ऐसी सूचना के सृजन और विनिष्टीकरण के संबंध में जो भी कार्यवाही लोक प्राधिकारी / पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी उसे आयोग को अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत आदेश निर्गत होने के 1 माह अन्दर अवगत कराया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसकी समुचित व्यवस्था लिखित रूप में की जायेगी कि इनका सृजन, विनिष्टीकरण और प्रकटन किन परिस्थितियों में किया जायेगा.	अप्राप्त

23	अ–1590	श्री विवेक सिंह चौहान, ऋषिकेश बनाम 1. तहसीलदार, ऋषिकेश, देहरादून 2. उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून	27.07.2009	प्रकरण में जो जांच विचाराधीन बतायी जा रही है उस जांच के पूर्ण होने पर उसकी जांच आख्या के संबंध में लोक सूचना अधिकारी / तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा आयोग को अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत अवगत कराया जायेगा.	अप्राप्त

❖ ❖ ❖

सूचना का अधिकार
सप्ताह
(06 – 12 अक्टूबर, 2009)

सूचना का अधिकार सप्ताह

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 12 अक्टूबर, 2009 की अवधि में ''सूचना का अधिकार सप्ताह'' का आयोजन पूरे भारत वर्ष में किया गया.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा भी ''सूचना का अधिकार सप्ताह'' के अंतर्गत इस अवधि में निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

1. उत्तराखण्ड श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयोजन में अल्मोड़ा में पत्रकारों, संवाददाताओं तथा मीडिया क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ कार्यशाला.

2. लॉ कालेज, देहरादून के संयोजन में लॉ कालेज देहरादून में छात्रों तथा विधि क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ कार्यशाला.

3. महिला सामाख्या, उत्तराखण्ड; पर्वत बाल मंच, देहरादून तथा समाज कल्याण विभाग के संयोजन में देहरादून में कार्यशाला.

4. समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों की कार्यशाला।

''सूचना का अधिकार सप्ताह'' के अंत में दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 को मंथन सभागार में तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड श्री इन्दु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा किया गया. कार्यक्रम के दौरान आयोग द्वारा पूर्ण कराये गये लोक प्राधिकारियों के बाह्य मूल्यांकन के प्रतिवेदन का विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया. इसके अतिरिक्त पर्वत बाल मंच के बाल कार्यकर्ताओं तथा महिला सामाख्या, उत्तराखण्ड से जुड़ी महिलाओं द्वारा भी सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के अपने अनुभवों को बांटा गया. इस अवसर पर आयोग द्वारा नागरिकों को आयोग की वैबसाईट पर ऑन लाईन द्वितीय अपील तथा शिकायतें प्रेषित करने की सुविधा का शुभारम्भ भी किया गया. इसके अतिरिक्त आयोग मे पंजीकृत द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों से संबंधित अद्यावधिक जानकारी एस.एम.एस. से प्राप्त करने की सुविधा को भी नागरिकों तथा लोक प्राधिकारियों को समर्पित किया गया.

आयोग द्वारा प्रायोजित उत्तराखण्ड के लोक प्राधिकारियों के प्रथम बाह्य मूल्यांकन में विभाग / कार्यालय द्वारा सर्वोत्तम श्रेणी प्राप्त करने के क्रम में निम्नलिखित लोक प्राधिकारियों को; अधिनियम से संबंधित समाचार प्रकाशित कर व्यापक जागरूकता फैलाने में दिये गये योगदान के लिए मीडिया को; तथा अधिनियम का प्रयोग जन उपयोगी / सार्वजनिक हित में करने की पृष्ठभूमि में सामान्य नागरिकों को भी उक्त कार्यक्रम में आयोग द्वारा सम्मानित किया गया तथा उन्हें प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भी भेंट किये गये :

लोक प्राधिकारी :

1. श्री कपिल लाल, निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून

2. श्री एस. राजू, निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

3. श्री अरूण कुमार ढौंडियाल, जिलाधिकारी, चमोली

4. श्री आर. सी. पाठक, निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

5. डा. वी. पी. एस. अरोड़ा, कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

6. श्री एम. एच. खान, सचिव / मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध, देहरादून

मीडिया :

1. श्री चेतन गुरंग, ब्यूरो चीफ, अमर उजाला

2. श्री अतुल बरतरिया, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण

3. श्री अविकल थपलियाल, ब्यूरो प्रमुख, हिन्दुस्तान

4. श्री दर्शन सिंह रावत, ब्यूरो प्रमुख, राष्ट्रीय सहारा

5. श्री सतीश शर्मा, संपादक, दि गढ़वाल पोस्ट

नागरिक :

1. श्री नदीमउद्दीन, काशीपुर

2. डा. जयदीप दत्ता, देहरादून

3. श्री किशोर मैठाणी, पौड़ी

''सूचना का अधिकार सप्ताह'' के अवसर मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा ''सैलिब्रेटिंग आर.टी.आई. वीक'' शीर्षक का लेख भी लिखा गया, जिसे नीचे उदृत किया गया है :

CELEBRATING RTI WEEK

As the country gets ready to celebrate the fourth anniversary of notification of the Right to Information Act (RTI Act henceforth) from the 6th of October, officially as the RTI Week, it is time both to reflect on the changes its implementation has brought about in public life on the one hand and various opportunities which lie ahead for its users, both again, inside the various public authorities and outside.

At the outset it must be appreciated that some Governments, at least the Government of India, have publicly acclaimed that the RTI Act is critical in so far as ushering in of good-governance is concerned, and it has accordingly directed all state governments and State Information Commissions, to suitably celebrate the occasion in a befitting manner. Continued indifference of some State Governments towards an effective implementation of the provisions of this Act is not only reprehensible but indicative of the feudalistic and partisan mind-set which had prevailed in a major part of this country for more than past two centuries or so. Uttarakhand Government have issued detailed instruction to all departments and field officers to suitably celebrate the RTI Week between 6th to 12th October, 2009.

Uttarakhand:

Various external evaluations have evaluated the efforts set afoot in Uttarakhand in this respect and it is not for this author to comment on them, either way, except to say that it could with all modesty be claimed that given its nascent status as a State and resource crunch it certainly has done “better than average” among the major states (using the criterion adopted by India Today in classifying the States of India in its annual rankings) and among the peers, in size and age, it should be at the top of the heap. Certainly there is a lot to be done and Uttarakhand Information Commission is now putting in place various measures in near future to provide sustainability to its existing initiatives and reach out the sectors and regions, where for various reasons it has not been possible to do so. The Government of India initiative of involving the Information Commissions and the various State Training Institutions in these efforts, including some monetary assistance, has been of great help and it also provides some hope for more effective action in near future.

Uttarakhand Information Commission, based on its past four year’s experience in the state, has divided its action approach into the following eight categories of action :.

1. **Managing RTI :** by all public authorities notified under RTI,

2. **Reporting RTI :** by press and media and Information Deptt.,

3. **Using RTI :** by the citizens and the public authorities themselves, with special focus on weaker sections of the society,

4. **Inclusive RTI:** reaching out to remote regions, sections of public with the benefit of this egislation,

5. **Mainstreaming RTI:** involving the Law Institutions and legal practitioners in legal profession for wide spread legal education on RTI and other Rights,

6. **Sustaining RTI:** by launching Uttarakhand RTI Network (URTI Network) which not only continues pushing the frontiers of RTI coverage but involves all interested institutions and individuals who are public –spirited and strong advocates of transparency and accountability in public life,

7. **Dispensing RTI :** relates to qualitative disposal of applications received, right from the APIO/PIO level to the First Appeal Authority and the Uttarakhand Information Commission level, and beyond, and

8. **Monitoring & Supervising RTI :** addresses the issue of implementation of various provisions which have been incorporated into the RTI Act but either not fully appreciated by the various Information Commissions and the various Competent Authorities and Appropriate Governments or being implemented even on the eve of the fourth Anniversary of the RTI Act.

Action Approach :

Managing RTI :

It was realized from the very beginning that without a reasonable “supply-side” arrangement in the state all the big talk about transparency and accountability in the public domain would be anything if not just hot air and wishful thinking. Therefore the first two years in particular special efforts were made by this Commission to issue Best Practices Guidelines to all public authorities, helping them access related material on their departmental history, statistics etc to be used in compliance of section 4, issue of Records Weeding Rules etc.; for which workshops, seminars and meetings were held at the Commission office and elsewhere. Various publications have also been circulated, distributed and uploaded on the websites of UIC and NIC.

To what extent the various public authorities of this state have been able to gear themselves up and improved the "supply-side" arrangement of the RTI regime, has also been captured by an external evaluation sponsored by this Commission. Conducted by a retired Secretary to the Government of Uttarakhand this External Evaluation ranks 6 public authorities under "excellent", 92 as "good", 28 as "average" and 24 as "below average". This Commission considers only the first six as passing muster of its standard and therefore all the remaining public authorities have their job cut out, as the External Evaluation Report also mentions their weak points and the areas where they have to take urgent action. This report underlines the alarming physical conditions under which Government's 97 major offices are functioning and which has a direct bearing on the quality of their work, besides dealing with RTI applications.

Office space, use of computers, condition of record rooms, notice boards, departmental manuals and file-keeping are the critical office management areas which this report touches upon. This incidently also became the first ever status report on all major government offices made by any study. This External Evaluation Report has been made available to all Secretaries and Heads of Department for immediate action and this Commission hopes that these public authorities will first improve their own working conditions if they wish to be any help to a citizen who approaches it.

Reporting RTI :

As the Commission gained experience it was realized that all that was being achieved for cleansing and honing up the public sector would be of no avail if the short-coming discovered in its proceedings did not reach the public ear. Besides making copies of all important judgments to the public authorities and government departments concerned arrangements were also made to systematically make them available to the members of the media and press. Accordingly all major judgments, involving matters of public interest, are made available to the local press and electronic media every Saturday at the Commission Office. In addition all the judgments are also uploaded the same week on the UIC website, in full.

This measure has considerably improved reporting of RTI coverage and this has also sensitized the citizen about the potential of the RTI and the public good that is continuously emerging by the use of the RTI by the citizen and citizen groups. Frauds in public appointments, mis-use of public funds, embezzlement of Insurance money, non-payment of laborers wages, registration of fraudulent sale-deeds are several instances which have been brought to light during the past four years and continue to appear regularly. Ad-hoc functioning of public servants, transgression of delegated authorities has been severely curbed by citizen demanding copies of Governments Orders authorizing a public servants to use his or her powers. Severe fines have been imposed and sizeable compensations has been awarded to the harassed citizen in exemplary cases. More than 31,000 hits during the past one year shows that the Information Commission portal (uic.gov.in) has been furnishing useful information to its clients and citizens.

Garhwal Post, Dainik Jagaran, Amar Ujala, Hindustan, Uttar Ujala and Sahara Dainik besides others in the print media have done yeoman service to the cause of RTI and have highlighted major stories regularly from the very inception and this has significantly contributed to RTI's effective implementation in Uttarakhand.

Using & Inclusive RTI :

The test of the pudding, as they say, is in eating it, and I would like to add in enjoying it. Have the citizen 'enjoyed' using the RTI, it is difficult for the author to make a guess. It depends on what expectation a citizen has of the RTI as it stands and what has been his or her actual experience of using it. One tentative evaluation was made by this author itself after the second anniversary of the RTI and the results were published in one of the publications which has been brought out by it. The first two years' experience was mixed in the sense that

people has had no similar experience to compare this experience with. The Consumers' Rights had preceded this one on "information" and the comparisons which had appeared two years back showed that this "right to information" had certainly scored over the previous one on the "consumers' right". Now, there is no denying of the fact that this right has earned its place under the sun and if the figures of applications, complaints and first and second appeals are any indicator, the RTI is now being increasingly used for various individual as well public rights. Mahila Samakhya, Mountain Forum of Children, Friends of Doon, Citizen's Consumers Forum and the Association of British Scholars has taken major initiative to outreach sections which are otherwise remote from the mainstream.

The fact that a citizen when requesting for any information matter of factly hints at use of the RTI as an alternative says much more than any evaluation study results.

The press and media stories which are appearing after making use of the RTI provisions speaks its own story. Yet, the fact remains that the reports emerging from the remote country side, on the rural issues, on the segments which deserve better deal at the hands of our public authorities proves that a lot more remains to be done in the domain of 'Reporting RTI'. This Commission feels that the role of the Ministry of Information and Broadcasting and the respective Information and Public Relations departments of the states in education and training of the journalists working in the rural areas or those who have beats like covering rural development, social issues etc is evident and there is an urgent need to mount a massive awareness and education programmes for the media and press persons in the Use and Reporting of RTI in journalism profession. Press Clubs of the districts and the Working Journalist Association also has this obligation towards a section of their own society. This would substantially add to the public good that the RTI Act has generated already.

That the public authorities themselves can make an effective use of the RTI provisions has not been highlighted sufficiently so far. This yet another dimension of the RTI discourse deserves to be highlighted through two well known examples. Andhra Pradesh Rural Development department has effectively used RTI to ensure transparency in the Rural Employment Guarantee projects and the Second Administrative Reforms Commission (Second ARC) used RTI both as its very first theme for reporting as well as collecting information from all the Ministries on their responses to applications under the RTI Act ! It is not unlikely that one may find all major public expenditure projects and externally funded projects might make it mandatory that full-self disclosure be made mandatory.

Maintaining & Sustaining RTI :

Is one futuristic agenda to which almost all sections of the society, especially who believe in the philosophy of transparency and accountability in public and even in private life, have to contribute.

Just as there are two sides to the RTI regime viz. the "supply-side" and the "demand-side", there are only two categories of people viz. those sincerely believe in it and those who do not believe in it. There seems to be no reason today as to why all public servants, who are also citizens and thus equally eligible to seek any information eligible under this regime, should ensure that no information at all is denied which is not under law prohibited from public access under the RTI and take pride in actions which he or she has himself or herself initiated under his /her own department/office. Four years down the line no such public official has come out as to what has been done under his or her own department to see that the RTI Act provisions are fully implemented. Once such a movement begins the very edifice of unnecessary secrecy would crumble and the real gains of RTI would start becoming available. This Commission awaits an initiative of this kind in this state, where any officer can officially go ahead, as the RTI Act is an official Act and every official is duty bound to follow and implement it.

The Commission is taking steps to ensure 100% compliance of its orders on Issuance of Compendium of Government Orders (GOs) in two volumes by every state level public authority, strict compliance of

shortcomings highlighted by the External Evaluation Committee, Model Compliance of Self-disclosure provisions through Departmental Manuals in web-sites and otherwise, Model Records Management in Offices. To reach out to the remote regions of this mountain state an OB van is to be launched soon giving access to RTI experts for advise etc. and arrangements are also being made to respond to SMS messages automatically in addition to updated web-site on case listing, judgment reporting and sundry assistance. Launching of Uttarakhand RTI Network is an ambitious project of the Commission whereby all right thinking institutions and individuals are proposed to be brought together on a virtual forum which would deliberate, discuss and mobilize action on further measures for a more effective implementation of the RTI Act in this state. It might be hosted by the Commission itself or by a society constituted with the assistance and support of the Commission / Government of India.

Dispensing RTI : is the logical culmination of the first step of this Action Approach, namely Managing RTI. The chain commences with an application being received by the Assistant PIO (APIO) or the Public Information Officer (PIO), or even by a wrongly addressed Public Authority office (expected to send it to the appropriate public authority office or back to the sender, under the ideal conditions) who transfers or deals with the application as per the provisions of the RTI Act. After this stage the application reaches the last and final stage within the public authority concerned, in the form of the first appeal submitted under section 19(1), or 19(2) and the same is expected to be finally disposed of suitably i.e. either in providing the sought for information or rejecting the same giving the grounds for doing so, by the first appeal authority. It was found that most of the public authorities were not well prepared for effective disposal of applications, as either the first appeal arrangements were not adequate or the first appeal authorities had not been sufficiently trained and sensitized about the crucial and important nature of this stage of disposal of application within the public authority itself. As the applications grew at the APIO/PIO stage, from month to month and year to year, it became clear to the Uttarakhand Information Commission (which continued to remain a single-member Commission during the first four years like four other states, namely Rajasthan, Gujarat, Sikkim and Nagaland) that there would be a corresponding increase in the first appeals at the First Appeal Authorities within the respective public authorities and ultimately at the State Information Commission level, it was extremely important that the arrangements to receive and dispose off first appeals improved very very significantly. Accordingly two steps were initiated. First, the Uttarakhand Academy of Administration was requested to use the DoPT financial assistance received by them exclusively for conducting a Training of Trainers (ToT) program for the departmental Trainers for improving their First Appeal disposal mechanism and secondly, the Information Commission issued detailed instructions to all Public Authorities for taking a multi-pronged approach to address this lacuna. UIC publication No. 23 is exclusively addressed to this aspect of dispensing RTI first appeals at various levels. On its own part, the UIC had commenced forwarding various complaints received by it for disposal under section 19(1) to the First Appeal Authority, if it found that the so-called complaint indeed deserved to be first considered under section 19(1) and not by pass the dispensation which the statute had made under section 19(1) and even section 19(2), the latter for the third party. This decision of UI on the one hand ensured that the public authority also received its due share of 'natural justice' just like the applicant and more important the First Appeal Officers, also got an opportunity and taste of applications which their field officers were receiving under the RTI Act. A comparison of the provisions of section 18 and 19 would reveal that it is only for a narrow spectrum of grounds for which provisions under section 18 have been made and for the rest the public authorities must receive a second opportunity to address the requests, as provided by section 19(1) and section 19(2). In hindsight this early decision on the part of UIC has allowed a considerable experience of handling first appeals to the various relatively inexperienced First Appeal Officers an opportunity to deal with first appeals against the decisions of their PIOs. This has also kept the backlog of the UIC second appeals within manageable size for single-member Commission. The Daily Log exhibited by the UIC web-site provides an insight into this early decision of the UIC. However, this needs to be emphasized that all public authorities must seriously undertake a close review of the quantity and quality of their first appeal disposal and improve their existing mechanism of first appeal disposal before it becomes unmanageable. ToT being undertaken at the Uttarakhand Academy of Administration level must also fully realize the cascading effect of improvement as envisaged under the three day ToT training package. The Trained Trainers must mainstream this knowledge within their respective organizations.

Making the UIC a multi-member Commission is something which has become overdue as has been repeatedly requested by the Commission itself and now joined in by the Uttarakhand High Court at Naini Tal, as well. Besides, this being the fifth and thus the last year of the only Information Commissioner, who is also the Chief Information Commissioner of the State Information Commission, it is of paramount importance that there is not only a smooth transition in 'general superintendence, direction and management of the State Information Commission' but also continuity and consolidation of the action agenda which has been charted out and acted upon by this Commission in consonance with the provisions of the RTI Act.

Strengthening of Legal Advisory mechanism at the Nodal department of the state government and Law Department besides all major departments of the state and Uttarakhand High Court is something which deserves urgent attention of the state government.

Monitoring & Supervising RTI :

Compared to the commencement of the Act time the monitoring and supervisory role expected of the Information Commissions is much clearer now; UIC took various steps right at the inception of the Information Commission and set in motion its monitoring and supervisory role, covering various aspects of reporting and monitoring. Chief Information Commissioner undertook review and monitoring cum awareness meetings at the district and block levels, during the past four years. Already three Annual Reports have been submitted by UIC to the state Government, with its recommendations; of which two Annual Reports have also been laid at the table of the State Assembly. Monthly Reports on filing of applications and disposal of First Appeals have been prescribed and Manuals under section 4 have also been prepared and voluntarily displayed by the public authorities. Position at the sub-district level, panchayati raj institutions and aided educational institutions deserves far better attention. The First External Review of all state level public authorities at the state, division and district level sets in a very clear relief the long haul ahead for all public offices as the years roll by which is required to be in place for an ideal 'supply-side' by all i.e. the Government of Uttarakhand and all public authorities under the three Competent Authorities.

Tenth Anniversary & Zero Tolerance Commission

One of the major objectives of the URTI Network would obviously be to see a ZERO TOLERANCE INFORMATION COMMISSION in place in Uttarakhand by October 16th 2010 towards the end of the fifth year of its notification, a fair target for an Information Commission of a new state like Uttarakhand.

Would it not be the most fitting tribute to the new state on its Tenth Anniversary, due on 9th November, 2010 ?

❖ ❖ ❖

वर्ष 2009 – 10 में आयोग
को प्राप्त बजट
एवं सम्प्रेक्षण कार्य

संख्या 4533 /XXXI(9)/बजट–2009

प्रेषक,

सन्तोष बडौनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग ,उत्तराखण्ड
देहरादून ।

17 AUG 2009
9904

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 13 अगस्त 2009

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में अनुदान संख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद में प्राविधानित धनराशि (दि0 1.4.2009 से 31.7.2009 तक आवंटित धनराशि को सम्मिलित करते हुए) निम्नविवरण के अनुसार सचिव,सूचना आयोग, उत्तराखण्ड ——— के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद	धनराशि (हजार रू0 में)
01–वेतन	5200
02– मजदूरी	100
03– महगाई भत्ता	1300
04– यात्रा व्यय	50
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1
06– अन्य भत्ते	780
07– मानदेय	50
08– कार्यालय व्यय	600
09– विद्युत देय	100
10– जलकर/जल प्रभार	5
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	175
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1
13– टेलीफोन पर व्यय	250
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का कय	1
15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200

Dect
PL KOF
17/8/09

17— किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	400
18— प्रकाशन	400
19— विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	100
22— आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता	200
26— मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	100
27— चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50
42— अन्य व्यय	500
45— अवकाश यात्रा व्यय	50
46— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	50
47— कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	200
योग (कुल रू0 एक करोड़ चौदह लाख तिरेसठ हजार मात्र)	**11463**

2— शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3— उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 515 /XXVII(1) /2006 दिनांक 28 जुलाई 2009 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

संख्या 4533(1) /XXXI(9) /बजट–2009 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4— वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5— गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

संख्या /XXX(9)/लेखा-4(बजट)/2009-10

प्रेषक,

संन्तोष बडौनी
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
राज्य सूचना आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
08 DEC 2009
संख्या 14332
देहरादून

सचिवालय सामान्य प्रशासन लेखा अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 07 दिसम्बर ~~नवम्बर~~ 2009

महोदय,

अनुदान संख्या-06 लेखा शीर्षक 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें -00- आयोजनेत्तर -800- अन्य व्यय- 13- सूचना आयोग की स्थापना के अर्न्तगत मानक मद सं0 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में प्राविधानित धनराशि कम होने के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, पुनर्विनियोग के उपरान्त उल्लिखित मदों में निम्नवत धनराशि आवंटित होगी:-

लेखा शीर्षक का विवरण	प्राविधानित बजट	बचत की धनराशि	पुनर्विनियोजित धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ-1 की राशि
अनुदान सं0-06 लेखा शीर्षक 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें -00- आयोजनेत्तर -800- अन्य व्यय- 13- सूचना आयोग की स्थापना				
01- वेतन	5200	1800	-	3400
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	450	-	1800	2250
योग	5650	1800	1800	5650

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 663 NF /वित्त अनु0-5/2009 दिनांक 3/12/09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त बजट व्यवस्था के अनुसार आहरण वितरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-15

भवदीय,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव।

संख्या 6889 /XXX(9)/लेखा-4(बजट)/2009-10 दिनांक दिसम्बर-7 ~~अक्टूबर~~, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 निदेशक, कोषागार, देहरादून।
3 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव।

Acct
8/12/09

C:\Documents and Settings\a\My Documents\Punarviniyog\Order.doc

1205

संख्या /XXX(9)/लेखा-4(बजट)/2009-10

प्रेषक,

सन्तोष बडौनी
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
राज्य सूचना आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सचिवालय सामान्य प्रशासन लेखा अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 25 मार्च 2010

महोदय,

अनुदान संख्या-06 लेखा शीर्षक 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें -00- आयोजनेत्तर -800- अन्य व्यय- 13- सूचना आयोग की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद सं0 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण एवं 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि कम होने के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, पुनर्विनियोग के उपरान्त उल्लिखित मदों में निम्नवत धनराशि आवंटित होगी:-

लेखा शीर्षक का विवरण	प्राविधानित बजट	बचत की धनराशि	पुनर्विनियोजित धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ-1 की राशि
1	2	3	4	5
01-वेतन	3400	834	—	2566
03-महगाई भत्ता	1300	616	—	684
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	01	—	250	251
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	50	—	1200	1250
योग	4751	1450	1450	4751

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 721 म0 /वित्त अनु0-5/2009 दिनांक 23/3/10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उपरोक्त बजट व्यवस्था के अनुसार आहरण वितरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-15

भवदीय,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव।

संख्या /XXX(9)/लेखा-4(बजट)/2009-10 दिनांक मार्च 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 निदेशक, कोषागार, देहरादून।
3 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव।

Acct
25/3

C:\Documents and Settings\a\My Documents\Punarviniyog\Order.doc

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून को वित्तीय वर्ष 2009–20 में अनुदान सं0 600 लेखा शीर्षक 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें ,800 अन्य व्यय, 13 सूचना आयोग की स्थापना के पश्चात आवंटित बजट के सापेक्ष किये गये व्यय एंव बचत / समर्पण का विवरण पत्र

क्रम सं0	कोड	मानक मद (स्थापना व्यय)	आवंटित बजट पुनर्विनियोग सहित	वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय	बचत / समर्पण
(A)					
1	1	वेतन	25,66,000.00	24,62,574.00	1,03,426.00
2	2	मजदूरी	1,00,000.00	99,532.00	468.00
3	3	महंगाई भत्ता	6,84,000.00	5,79,352.00	1,04,648.00
4	4	यात्रा भत्ता	50,000.00	26,890.00	23,110.00
5	5	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1,000.00	-	1,000.00
6	6	अन्य भत्ते	7,80,000.00	3,10,781.00	4,69,219.00
(B)	मानक मद (प्रशंगिक व्यय) योग		**41,81,000.00**	**34,79,129.00**	**7,01,871.00**
7	7	मानदेय	50,000.00	35,000.00	15,000.00
8	8	कार्यालय व्यय	6,00,000.00	5,99,699.00	301.00
9	9	विद्युत देय	2,00,000.00	1,65,158.00	34,842.00
10	10	जलकर जल प्रभार	5,000.00	5,000.00	-
11	11	लेखन सामिग्री और फार्मो की छपाई	1,75,000.00	1,74,645.00	355.00
12	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,51,000.00	2,48,319.00	2,681.00
13	13	टेली फोन व्यय	2,50,000.00	2,25,062.00	24,938.00
14	14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टा कारों /मोटर गाड़ियों का क्रय	1,000.00	-	1,000.00
15	15	गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरींद	6,00,000.00	5,97,016.00	2,984.00
16	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	22,50,000.00	18,43,673.00	4,06,327.00
17	17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	4,00,000.00	3,94,180.00	5,820.00
18	18	प्रकाशन	2,00,000.00	1,19,950.00	80,050.00
19	19	विज्ञापन और विख्यापन व्यय	-	-	-
20	22	आतिथ्य व्यय /व्यय विषयक भत्ता	1,50,000.00	1,41,258.00	8,742.00
21	26	मशीन साज सज्जा/उपकरण संयत्र	1,00,000.00	94,125.00	5,875.00
22	27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,000.00	43,204.00	6,796.00
23	42	अन्य व्यय	5,00,000.00	4,99,556.00	6,035.00
24	45	अवकाश यात्रा	50,000.00	-	50,000.00
25	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	12,50,000.00	12,48,457.00	1,543.00
26	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी क्रय	2,00,000.00	1,97,608.00	2,392.00
		योग **(B)**	**72,82,000.00**	**66,31,910.00**	**6,50,090.00**
		कुल योग **(A+B)**	**1,14,63,000.00**	**1,01,11,039.00**	**13,51,961.00**

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सम्प्रेक्षण विषयक

क.	सम्प्रेक्षण अवधि	सम्प्रेक्षण तिथि	सम्प्रेक्षण दल द्वारा लगायी आपत्तियों की संख्या	सम्प्रेक्षण दल द्वारा लगायी आपत्तियों की निराकरण संख्या
1	फरवरी, 2008 से जून 2009	18.07.2009 से 24.07.2009 तक	दो भाग – 3 पैरा	दो भाग – 3 पैरा वर्ष 2009 – 10

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची
वर्ष 2009 – 10

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम
1	डा. आर. एस. टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त
3	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव
4	श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त/जन संपर्क अधिकारी
5	श्री बी.डी. जोशी, विधि सलाहकार
6	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार
7	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी
8	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, सहायक समीक्षा अधिकारी
9	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
10	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
11	श्रीमती रजनी भण्डारी, प्रेषण लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर
12	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर / व्यैक्तिक सहायक
13	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर
14	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक
15	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक
16	श्री मनोज सिंह, अनुसेवक / डाक रनर
17	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक
18	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक
19	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक
20	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक
21	श्री दिनेश सेमवाल, वाहन चालक
22	श्री मातबर सिंह, वाहन चालक
23	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड
24	श्री डबल सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड
25	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड
26	श्री जगमोहन सिंह गुसाई, सुरक्षा गार्ड

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779
ईमेल : uicddn@gmail.com

APNA JANMAT, D.Dun Ph. : 653420, 2655174